अंक 9

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय की हिंदी गृह पत्रिका

वर्ष : 2025-26

आतंक वित्तपोषण के ख़िलाफ ईडी की मुहिम

श्री राहुल नवीन, प्रवर्तन निदेशक त्रैमासिक सम्मेलन बैठक के शुभारंभ सत्र में दीप प्रज्वलित करते हुए।

श्री सुभाष अग्रवाल, विशेष निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र त्रैमासिक सम्मेलन बैठक में दीप प्रज्वलित करते हुए।

श्री रजनीश देव बर्मन,
विशेष निदेशक (न्यायनिर्णयन), मुख्यालय।

श्री विप्लव कुमार चौधरी,
विशेष निदेशक, मध्य क्षेत्र, नई दिल्ली।

श्री प्रशांत कुमार,
विशेष निदेशक, दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई।

प्रवर्तन संदेश

अंक-09

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय की हिंदी गृह पत्रिका

वर्ष : 2025-26 (अप्रैल- सितंबर, 2025)

मुख्य संरक्षक एवं अनुप्रेरक

श्री राहुल नवीन, प्रवर्तन निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली।

मार्गदर्शक

श्री रजनीश देव बर्मन, विशेष निदेशक (न्यायनिर्णयन), नई दिल्ली।
श्री मनु टेंटीवाल, विशेष निदेशक (मुख्यालय), नई दिल्ली।
श्री टी.शंकर, विशेष निदेशक (एच.आई.यू), नई दिल्ली।

परामर्शदाता

श्री सुभाष अग्रवाल, विशेष निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई।
श्री विप्लव चौधरी, विशेष निदेशक, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली।
श्री प्रशांत कुमार, विशेष निदेशक, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई।
श्री एन. पद्मनाभन, विशेष निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ एवं पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता।
श्रीमती नेहा यादव, संयुक्त निदेशक, दिल्ली आंचलिक कार्यालय-2, नई दिल्ली।
श्री मधुर डी. सिंह, संयुक्त निदेशक (आसूचना), प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।
श्री रॉबिन गुप्ता, संयुक्त निदेशक, दिल्ली आंचलिक कार्यालय-1, नई दिल्ली।
श्री विशाख कृष्णा, संयुक्त निदेशक (समन्वय), प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।

मुख्य संपादक

सुश्री निशि चौधरी, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।

संपादक-मण्डल

संपादक: श्री अंकित गहलौत, उप निदेशक (राजभाषा), प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।
श्री सुंदर शॉ, सहायक निदेशक (राजभाषा), प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।

सह-संपादक : श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।
सहयोग : श्री हर्ष कुमार मीना, आशुलिपिक-2, प्रवर्तन निदेशालय (मु.), नई दिल्ली।

नोटः पत्रिका में प्रकाशित विधाओं/रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। विभाग/कार्यालय का सहमत होना आवश्यक नहीं है, जहां कहीं भी दूसरे स्त्रोतों से ज्ञानवर्द्धक सामग्रियां साभार ली गई हैं, उनका उद्देश्य हिंदी में उनके प्रचार-प्रसार एवं ज्ञानवर्धन से इतर नहीं है। मौलिकता की जिम्मेवारी रचनाकारों की है। पत्रिका के लिए सुझाव एवं पत्राचार के लिए कृपया कार्यालय से संपर्क करें:- प्रवर्तन निदेशालय, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली-110011

ईमेल: adrajbhasha-ed@gov.in

हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाषचन्द्र बोस, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, काका साहब कालेलकर, राजगोपालाचारी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उन्होंने हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जो दीर्घदृष्टि से काम किया वो हमें प्रेरणा देता है।

-श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री

प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली।
Directorate of Enforcement, New Delhi.

श्री राहुल नवीन, प्रवर्तन निदेशक
Shri Rahul Navin, Director

संदेश

पहलगाम में आतंकवाद की अमानवीय और विकृत मानसिकता के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की सेना की अटूट प्रतिबद्धता और ऐतिहासिक पराक्रम के हम सभी गवाह बने।

हाल ही में, श्रीनगर में प्रवर्तन निदेशालय का त्रैमासिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कुछ महीने पहले पहलगाम में दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी हमले के बाद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में विश्वास कायम करना था। सम्मेलन के सफल आयोजन से यह परिलक्षित हुआ कि जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विचार-विमर्श के लिए एक सुरक्षित, जीवंत और रमणीय स्थल बना हुआ है।

एक सुंदर-स्वस्थ कल्याणकारी विश्व की कल्पना आर्थिक समृद्धि के संरक्षण के बिना अधूरी है। आर्थिक कल्याण की रक्षा के लिए अपराध से उत्पन्न आगम और संलिप्त धन का किसी एक क्षेत्राधिकार/देश विशेष की वैध अर्थव्यवस्था में पनपना एवं आतंकवाद समेत अन्य अपराधों के वित्तपोषण हेतु निष्कासन-बहिर्गमन को रोकना आज विश्वव्यापी प्राथमिकता है।

हाल के अंतरराष्ट्रीय अनुमानों के अनुसार अवैध धन-प्रवाह सालाना खरबों डॉलर तक है, जो दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बराबर है। ये प्रवाह न केवल सार्वजनिक वित्त को निष्कासित करते हैं, बल्कि उन नेटवर्क को भी गंभीर रूप से वित्तपोषित करते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरे में डालते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध व्यापार को कोई भी सहयोग न मिले, चाहे वह वित्तीय हो या ज़मीनी, ताकि हम अपने बाजारों, अपने नागरिकों और अपने साझा भविष्य की रक्षा कर सकें।

प्रवर्तन निदेशक के रूप में, मैं अपराधियों के विरुद्ध मुक़दमा दायर करने में ही केवल अपनी भूमिका नहीं देखता, बल्कि भारत की वित्तीय और आर्थिक प्रणालियों की अखंडता की रक्षा करने में भी देखता हूँ।

प्रवर्तन संदेश के पिछले अंक में साइबर और डिजिटल वित्तीय अपराधों पर केंद्रित महत्वपूर्ण मामलों का विश्लेषण सरल एवं रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया था, इस बार ऑपरेशन सिंदूर की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के उद्देश्य से इस अंक में आतंक वित्तपोषण के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयों पर चर्चा की गई है, साथ में निदेशालय से जुड़े वित्तीय अपराध के अन्य महत्वपूर्ण आयामों को भी शामिल किया गया है। पत्रिका में रचनात्मक योगदान करने वाले सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

अन्वेषण के साथ-साथ निदेशालय में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा कार्यान्वयन के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द!

राहुल नवीन
(राहुल नवीन)

विशेष निदेशक, न्यायनिर्णयन, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली।
Special Director, Adjudication,
Directorate of Enforcement, New Delhi.

श्री रजनीश देव बर्मन
Shri Rajnish Dev Burman

शुभकामना

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय में अपना दायित्व ग्रहण करने के बाद हिंदी में छपने वाली निदेशालय की गृह पत्रिका–'प्रवर्तन संदेश' का 8वां संस्करण मेरे हाथ लगा, मेरे लिए यह हर्ष का विषय था कि वित्तीय अन्वेषण की गहन व्यस्तता वाली कार्य शैली के बावजूद निदेशक महोदय एवं अन्य उच्च अधिकारियों का राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार की ओर प्रतिबद्धता भी उत्साहजनक है। इसी क्रम में पत्रिका का 9 वां अंक हम सभी के हाथों में हैं।

संविधान के अनुच्छेद 351 में अंतर्निहित है कि मुख्यत: संस्कृत और गौणत: भारतीय भाषाओं के शब्दों से हिंदी को समृद्ध करना है ताकि यह भारत की सामासिक संस्कृति की वाहक बने। राज्य सरकारों द्वारा राज्य की भाषा में शासन चलाने का प्रावधान है एवं केंद्र सरकार में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, यह व्यवस्था संविधान की देन है और संविधान की अन्य व्यवस्थाओं में यह भी प्रावधान है कि व्यथा का निवारण लोगों की अपनी भाषा में हो।

हिंदी के विकास और राजभाषा के रूप में कार्यान्वित होते देख मैं आशावान हूँ कि भारतीय भाषाओं का समय अब आ गया है। राजभाषा विभाग ने 'भारतीय भाषा अनुभाग' की शुरुआत की है। राजभाषा विभाग का यह प्रयास भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करेगा। हिंदी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हमारी सामासिक संस्कृति को प्रवाह एवं अखंडता प्रदान करेगा।

मैं आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और निदेशक महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके प्रोत्साहन और प्रेरणा के बगैर इस पत्रिका का प्रकाशित होना संभव न था। सभी रचनाकारों को हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द!

रजनीश देव बर्मन

(रजनीश देव बर्मन)

विशेष निदेशक (मुख्यालय), प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली।
Special Director (Headquarters),
Directorate of Enforcement, New Delhi.

श्री मनु टेंटीवाल
Shri Manu Tentiwal

शुभकामना

मानव सभ्यता के प्रारंभ से भाषा ने समाज को आकार दिया है। भाषा ने विचारों को दिशा दी, संस्कृति को अभिव्यक्ति दी, और समाज को पहचान दी। हमारी भारतीय संस्कृति, जिसकी ध्वनि "वसुधैव कुटुम्बकम्" में निहित है, ने सदैव समस्त मानवता को एक परिवार माना है। हिंदी इस दर्शन की संवाहिका है।

भारतवर्ष, जिसकी मिट्टी में हजारों वर्षों की सभ्यता की गूंज है, वह न केवल आध्यात्म, दर्शन और विज्ञान में समृद्ध रहा है, अपितु भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में भी अनुपम है। इसी गौरवशाली विविधता के मध्य, एक भाषा सदियों से इस राष्ट्र की आत्मा के रूप में विद्यमान रही है — वह है हिंदी।

हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर इसकी गौरवशाली भूमिका को विधिसम्मत मान्यता दी। अनुच्छेद 343 और 351 में किए गए प्रावधान इस बात के साक्षी हैं कि हिंदी को समृद्ध और व्यापक बनाना हम सबका साझा उत्तरदायित्व है।

आज, जब भारत आत्मनिर्भरता और डिजिटल इंडिया के पथ पर अग्रसर है, तब यह आवश्यक है कि हम राजभाषा हिंदी को केवल अनुवाद की भाषा न मानें, बल्कि उसे अपनी मौलिक कार्य भाषा के रूप में अंगीकार करें। सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और उपक्रमों के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का यह दायित्व है कि वे हिंदी में कार्य करना न केवल कर्तव्य समझें, बल्कि यह प्रण लें कि हम हिंदी को अपने प्रशासनिक कार्यों की पहली भाषा बनाएंगे।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' के 9वें अंक को देख कर बेहद हर्ष की अनुभूति हो रही है। 'प्रवर्तन संदेश' का यह नवां अंक इसी विचारधारा की अभिव्यक्ति है — एक ऐसा प्रयास, जो भाषा के माध्यम से राष्ट्र की चेतना को जागृत करता है, और हिंदी को उसके यथोचित स्थान पर प्रतिष्ठित करने की दिशा में एक और सशक्त कदम है।

साथ-ही-साथ प्रवर्तन निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा हिंदी के प्रति अपने सांविधिक दायित्वों को बड़ी सहजता से निभा रहे हैं। यह बेहद हर्ष का विषय है कि अब प्रवर्तन निदेशालय की वेबसाइट पर हिंदी कॉर्नर (राजभाषा) जोड़ा गया है, जहां निदेशालय में हो रही राजभाषा संबंधी गतिविधियां संरक्षित की जा रही हैं। कार्यालय में हिंदी के संवर्धन में निदेशक महोदय के इस अप्रतिम प्रयास एवं मार्गदर्शन हेतु मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।

मैं इस अंक के सभी पाठकों, लेखकों, संपादकों एवं प्रवर्तन निदेशालय के समस्त सदस्यों को इस रचनात्मक प्रयास के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।

मनु टेंटीवाल

(मनु टेंटीवाल)

जय हिन्द!

श्री टी.शंकर
Shri T. Shankar

विशेष निदेशक, एचआईयू, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली।
Special Director, H.I.U. ,
Directorate of Enforcement, New Delhi.

शुभकामना

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 'प्रवर्तन संदेश' पत्रिका के नवीनतम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। यह अंक न केवल संस्थान की रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक है, बल्कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ करता है।

अपनी भाषा के प्रति प्रेम और अनुराग, राष्ट्रप्रेम का ही एक रूप है। मातृभाषा में किया गया लेखन स्वाभाविक, सजीव और प्रभावशाली होता है। भारत विविध भाषाओं और संस्कृतियों का संगम है। यहां हर क्षेत्र, हर प्रदेश की अपनी भाषा, बोली और अभिव्यक्ति है, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। इसी विविधता में एकता की भावना को हिंदी ने सदैव पोषित किया है। आज हिंदी वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है, जो इसकी व्यापक स्वीकार्यता और सशक्त उपस्थिति का प्रमाण है। 'भाषाएं अनेक, हिंदी से एक'- यह आज हम सभी के लिए एक प्रेरक नारा है। जितनी हिंदी जानते हैं, उतनी हिंदी का उपयोग करने से शुरुआत करें, और धीरे-धीरे अपनी भाषा दक्षता बढ़ाएं। कठिन या अत्यधिक साहित्यिक शब्दों की जगह सरल, रोज़मर्रा की हिंदी का प्रयोग करने का सुझाव है ताकि संवाद सहज और प्रभावी हो सके। सीखने की प्रक्रिया को सरल और निरंतर बनाएं।

तकनीकी क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति यथा हिंदी यूनिकोड की-बोर्ड, लीला सॉफ्टवेयर, वॉइस टाइपिंग, ई-महाशब्दकोश, मशीन अनुवाद (मंत्र) जैसे कई ई-उपकरणों ने हिंदी में कार्य करना सरल और सुलभ बना दिया है। स्मृति-आधारित अनुवाद टूल 'भारती (कंठस्थ)', 'भाषिणी', 'अनुवादिनी' आदि के माध्यम से अनुवाद प्रक्रिया में समय की बचत हो रही है। ये सुविधाएं हिंदी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी उपलब्ध हैं।

राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह आवश्यक है कि हम सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाएं और इसे केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि व्यवहार में उतारें। हिंदी को सहज रूप में अपनाकर हमें अपने सरकारी कार्यों में प्राथमिकता देनी चाहिए। यही हमारे संविधान की भावना का सच्चा सम्मान होगा।

अंत में, 'प्रवर्तन संदेश' पत्रिका के सभी पाठकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि यह अंक हिंदी भाषा और राजभाषा नीति के प्रति जागरूकता बढ़ाने में एक प्रभावशाली माध्यम सिद्ध होगा।

जय हिन्द!

टी. शंकर
(टी शंकर)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा), प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली।
Joint Director (Official Language),
Directorate of Enforcement, New Delhi.

सुश्री निशि चौधरी
Ms. Nishi Choudhary

संपादकीय

भारत की भूमि ने सदैव यह प्रमाणित किया है कि जब भी अंधकार ने मानवता को ढकने का प्रयास किया है, तब इस मिट्टी ने सत्य, साहस और आत्मबल से उसे परास्त किया है। 'ऑपरेशन सिंदूर' इसी परंपरा की आधुनिक प्रतिध्वनि है — आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्र की संगठित चेतना का प्रतीक। इस अभियान ने यह सन्देश दिया कि भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि वह हर उस मोर्चे पर सक्रिय है जहां से उसके नागरिकों की शांति व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने की चेष्टा हो रही है।

2014 से 2024 के बीच, निदेशालय ने हजारों मामलों में संदिग्ध लेनदेन की जांच की और लाखों करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की — जिनमें से एक बड़ा हिस्सा आतंक वित्तपोषण, हवाला चैनल और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था। आर्थिक अपराधी जब पकड़े जाते हैं, तो उनके पीछे छिपा आतंक का तंत्र भी स्वतः कमज़ोर होता है। जैसा कि स्पष्ट है कि "आर्थिक रूप से सुरक्षित भारत ही आतंकमुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा।" यह वक्तव्य स्पष्ट करता है कि आतंक के विरुद्ध निर्णायक युद्ध अब केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि खातों और बैलेंस शीटों में भी लड़ा जा रहा है।

'ऑपरेशन सिंदूर' भारत का वह मिशन था जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंक के विरुद्ध संघर्ष केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि वैचारिक भी है। यह कार्रवाई किसी राष्ट्र के विरुद्ध नहीं, बल्कि आतंकवाद के ढांचों के विरुद्ध थी। यह भारत की नीति-स्पष्टता का प्रमाण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और एफएटीएफ जैसे मंचों पर भारत ने लगातार यह तर्क रखा है कि आतंकवाद की वित्तीय नसों को काटे बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। प्रवर्तन निदेशालय उन आतंरिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कदम उठा रहा है जो विदेशी धन से देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं।

भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा सेनाएं करती हैं, किंतु उसकी आर्थिक सीमाओं की रखवाली का दायित्व प्रवर्तन निदेशालय जैसी संस्थाएं निभाती हैं। आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों की पहचान कर, हवाला नेटवर्कों पर प्रहार करना, और अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करना — यही वह तंत्र है जिससे राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा सुदृढ़ होती है।

कठोर प्रवर्तन और मानवीय दृष्टिकोण — दोनों का संतुलन ही किसी संस्थान की परिपक्वता का प्रमाण होता है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कार्रवाइयों में यह दिखाया है कि आतंक या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में अन्वेषण की पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि इसकी जांच रिपोर्टें अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एफएटीएफ और इंटरपोल जैसी संस्थाओं द्वारा आदर्श मानी जाती हैं।

प्रवर्तन निदेशालय वैश्विक आतंक वित्तपोषण की जड़ों को काटने में अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधियां कर रहा है, बल्कि विश्व स्तर पर अपने समकक्ष एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर आतंक वित्तपोषण को सीमापार भी ध्वस्त करने में कृतसंकल्प है। वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी), मॉरीशस के साथ संधि और उनके अधिकारियों को प्रशिक्षण इसी पहल की एक कड़ी रही। इससे आगे, प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय अपराध के ख़िलाफ एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार इंटरपोल से पर्पल नोटिस (Purple Notice) भी जारी किया है, यह नोटिस दुनियाभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नई अपराध तकनीकों को समझने और साझा खुफ़िया जानकारी के जरिये उनका मुकाबला करने में मदद करेगा।

प्रवर्तन निदेशक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में प्रवर्तन निदेशालय जहां एक तरफ राष्ट्र की स्वच्छ अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत की राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु तत्पर है। 'प्रवर्तन संदेश' का प्रस्तुत अंक हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता का सूचक है। मैं इस अंक के सभी रचनाकारों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी सुधि पाठकों से अनुरोध करती हूँ कि पत्रिका को और अधिक उन्नत बनाने हेतु अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं।

निशि चौधरी
(संयुक्त निदेशक)

जय हिन्द!

अनुक्रमणिका

खंड-1

ईडी के बढ़ते कदम: अंतरराष्ट्रीय संधि-सहयोग एवं आतंक वित्तपोषण के ख़िलाफ ईडी की मुहिम

- विशेषज्ञ का पन्ना:- प्रवर्तन निदेशक का संबोधन।
- ईडी ने वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी), मॉरीशस के लिए धन शोधन और वित्तीय खुफ़िया पर तकनीकी सहायता कार्यक्रम आयोजित किया।
- श्रीनगर में प्रवर्तन निदेशालय के आंचलिक कार्यालयों का त्रैमासिक सम्मेलन।

1. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की आतंकी गतिविधियों पर कार्रवाइयां।
2. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) की आतंकी गतिविधियों के ख़िलाफ कार्रवाइयां।
3. आतंक वित्तपोषण के ख़िलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयां।

01-23

खंड-2

निदेशालय के कार्यक्रम एवं साहित्य-संस्कृति और राजभाषा :-

1. प्रवर्तन दिवस समारोह।
2. मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में आयोजित खेल दिवस की झलकियां।
3. राजभाषा प्रचार-प्रसार की कुछ झलकियां।
4. हिंदी-साहित्यकार: राष्ट्रकवि दिनकर जी का साहित्यिक जीवन-वृत्तान्त।
5. साहित्य सृजन: निदेशालय के अधिकारियों का राजभाषा हिंदी में रचनात्मक योगदान।

24-49

खंड-3

निदेशालय की राजभाषा गतिविधियां एवं राजभाषा प्रोत्साहन :-

1. निदेशालय (मुख्यालय) में हिंदी माह/पखवाड़ा-2025।
2. निदेशालय (मुख्यालय) में हिंदी कार्यशाला।
3. अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा-2025 का आयोजन।
4. राजभाषा हिंदी की प्रशिक्षण की सुविधाएं।
5. राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएं।
6. राजभाषा उपयोगी संदर्भ।

50-90

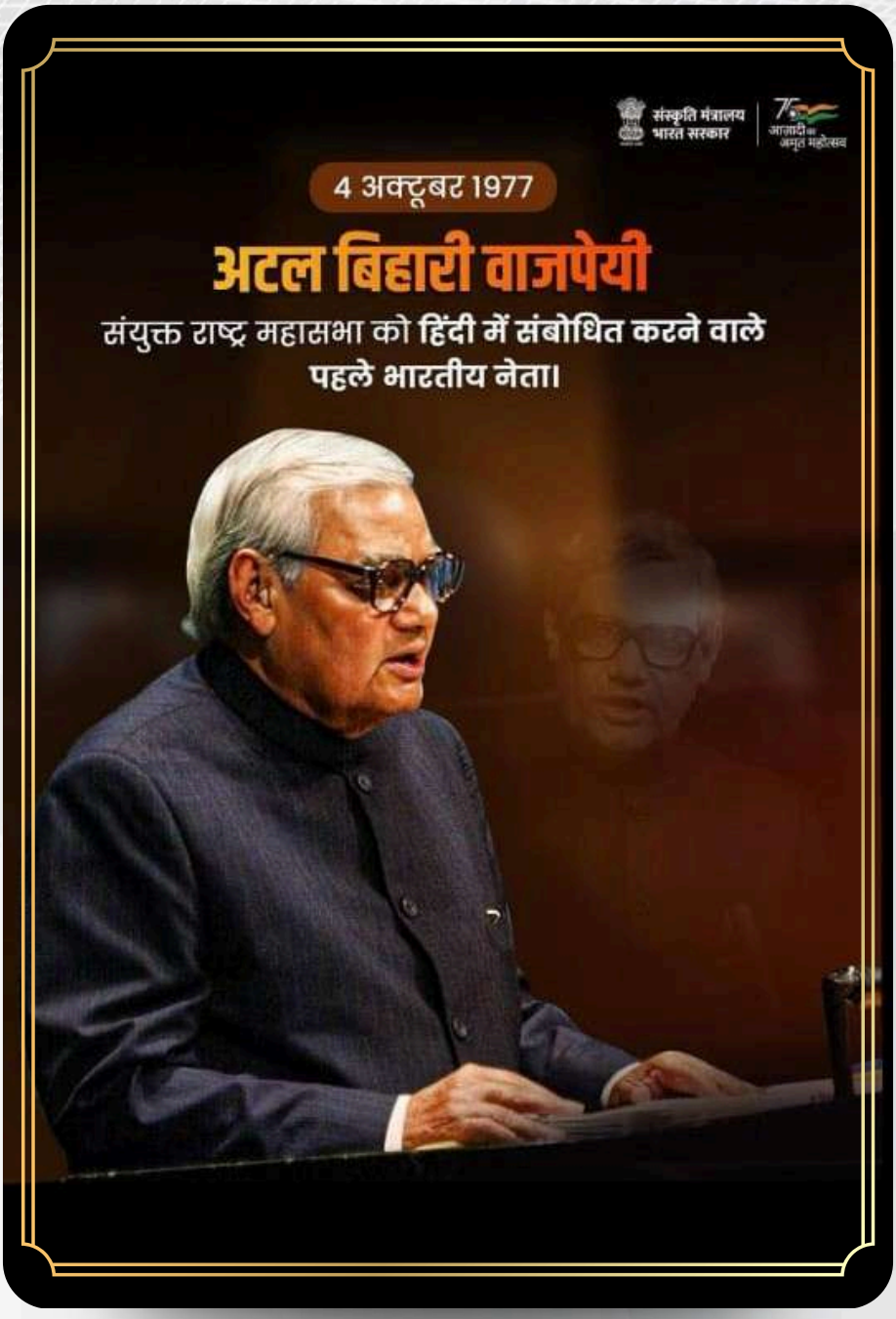
संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार
आजादी का अमृत महोत्सव
4 अक्टूबर 1977
अटल बिहारी वाजपेयी
संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित करने वाले
पहले भारतीय नेता।

खंड-1

• ईडी के बढ़ते कदम: अंतरराष्ट्रीय संधि-सहयोग

• आतंक वित्तपोषण के ख़िलाफ ईडी की मुहिम

विशेषज्ञ का पन्ना:

विकास को अस्थिर करने वाला उभरता ख़तरा: आर्थिक कल्याण की सुरक्षा के लिए अवैध व्यापार से मुकाबला

फिक्की के कार्यक्रम में प्रवर्तन निदेशक का सम्बोधन

विशिष्ट गणमान्य अतिथियों, सम्मानित सहकर्मियों, देवियों और सज्जनों!

मासक्रेड (MASCRADE)-2025 में मुख्य भाषण देने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। "संगठित अपराध को रोकना: विश्वव्यापी ख़तरे के लिए प्रवर्तन रणनीतियां" विषय पर इस महत्वपूर्ण पूर्ण सत्र में आपके साथ शामिल होना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। अवैध व्यापार के माध्यम से संचालित संगठित अपराध अब किसी एक क्षेत्राधिकार, एक उत्पाद या एक नेटवर्क तक सीमित नहीं हैं। वे सीमाहीन, अनुकूलनीय और हमारी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों की अखंडता के लिए विनाशकारी हैं। हाल के अंतरराष्ट्रीय अनुमानों से पता चलता है कि अवैध धन प्रवाह सालाना खरबों डॉलर तक है, जो दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बराबर है। ये प्रवाह न केवल सार्वजनिक वित्त को निष्कासित करते हैं बल्कि उन नेटवर्क को भी गंभीर रूप से वित्तपोषित करते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरे में डालते हैं।

इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी समझें कि प्रवर्तन निदेशालय क्या करता है। ईडी भारत की प्रमुख धन शोधन निवारण एजेंसी है। जबकि सीबीआई या पुलिस जैसी जांच एजेंसियां, उदाहरण के लिए धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी आदि जैसे अपराधों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, वहीं ईडी का काम अपराध से प्राप्त आय का पता लगाना, उसे जब्त करना और कब्ज़े में लेना है। दूसरे शब्दों में, हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि अवैध लाभ का दुरुपयोग न हो या उसका उपयोग आगे आपराधिक गतिविधियों के लिए न किया जा सके। जांच में शुरुआती दौर में संपत्तियों को कुर्क करके, ईडी यह सुनिश्चित करता है कि "अपराध से किसी को लाभ हासिल न हो" और अपराधियों से अवैध धन जब्त कर उसे समाज को वापस लौटाया जाए।

जब पहली बार धन शोधन पर वैश्विक मानक तैयार किए गए थे, तब प्राथमिक चिंता ड्रग कार्टेल थी। 1989 में जी-7 (G-7) द्वारा वित्तीय कार्रवाई बल (एफएटीएफ) की स्थापना की गई थी, ताकि ड्रग कार्टेल के मुनाफे की लॉन्ड्रिंग से निपटा जा सके। हालांकि, समय के साथ, धन शोधन की जांच नशीली दवाओं (ड्रग्स) से कहीं आगे बढ़ गई है। आज इनमें आतंकवाद के वित्तपोषण से लेकर कर चोरी, साइबर-धोखाधड़ी जैसे सभी गंभीर अपराध शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विधेय (प्रेडिकेट) अपराधों को अलग-अलग तरह से संभाला जाता है। भारत एक सूची-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करता है: धन शोधन निवारण अधिनियम, यानी पीएमएलए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से लेकर तस्करी और जालसाजी तक सैकड़ों अपराधों को विधेय अपराध के रूप में सूचीबद्ध करता है। उदाहरण के लिए, पीएमएलए के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत धोखाधड़ी, मुद्रा की जालसाजी, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सार्वजनिक भ्रष्टाचार के अपराध सभी मान्यता प्राप्त विधेय अपराध हैं। इसके विपरीत, कुछ अन्य व्यवस्थाएं जैसे कि पहले के यूरोपीय संघ के निर्देशों में कोई भी गंभीर अपराध जो कई वर्षों की जेल की सज़ा के योग्य हो, विधेय अपराधों के रूप में अधिक व्यापक रूप से परिभाषित की गई है। हालांकि, व्यावहारिक रूप से प्रभाव समान है: भारत के पीएमएलए और अंतरराष्ट्रीय ढांचे, सभी का उद्देश्य अवैध धन उत्पन्न करने वाले सभी गंभीर संगठित अपराधों को नियंत्रित करना है।

राष्ट्रीय धन शोधन जोखिम मूल्यांकन के अनुसार ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) सबसे बड़ी अवैध आय या गंभीर सार्वजनिक नुकसान वाले मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मामले चुनने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का पालन करता है। हमारे लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में धोखाधड़ी प्रमुख है, विशेष रूप से बैंक धोखाधड़ी, कॉर्पोरेट घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले। मार्च, 2025 तक, ईडी ने 1,228 बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच की थी, जिसमें ₹80,000 करोड़ से अधिक की राशि कुर्क की गई थी और ₹23,258 करोड़ बैंकों को वापस किए गए थे। सक्रिय जांच, जमानत की कठोर शर्तें और पीएमएलए के तहत संपत्ति की जब्ती के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी अपराधियों के लिए "अलाभदायक उद्यम" बन गया है, जिससे नए बैंक धोखाधड़ी के मामलों में भारी गिरावट आई है (2019-21 में चरम से घटकर 2024-25 में केवल 66 मामले)। सार्वजनिक धारणा भी प्राथमिकताओं को तय करती है: आम नागरिकों के ख़िलाफ भ्रष्टाचार और घोटाले अत्यधिक ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे कि "बिल्डर्स-बैंक गठजोड़" जहां हजारों घर खरीदारों को धोखा दिया गया था। ऐसे मामलों में, ईडी धन के प्रवाह का पता लगाता है जबकि पुलिस या सी.बी.आई. जैसी एजेंसियां अंतर्निहित अपराध पर मुक़दमा चलाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संपत्ति और अपराधी दोनों को प्रभावी ढंग से निशाने पर लिया जाए।

एक और उभरता हुआ ख़तरा साइबर-सक्षम धोखाधड़ी है। डिजिटल भुगतान और क्रिप्टोकरेंसी अपराधियों के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। हमारी हालिया वार्षिक रिपोर्ट में साइबर या क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित धोखाधड़ी में वृद्धि को भी दर्शाया गया है और वर्तमान में ₹28,298 करोड़ की अपराध की आय से जुड़े कई मामले जांच के अधीन हैं। हम इस चुनौती के लिए तेजी से तैयार हो रहे हैं। कुशलता से प्रशिक्षित जांच दल अब सुअर-कसाई योजनाओं, ऑनलाइन निवेश घोटालों, फ़िशिंग हमलों और अन्य साइबर अपराधों से जुड़े डिजिटल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें ज़ब्त कर रहे हैं। संक्षेप में, धोखाधड़ी से निपटना ईडी की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है; एजेंसी का रणनीतिक, जोखिम-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ पीएमएलए के तहत उच्च शास्ति इसे रोकने का महत्वपूर्ण साधन है।

अब आते हैं जालसाजी और तस्करी के विशिष्ट विषय पर। जनता की धारणा और इन अपराधों की गंभीरता सामंजस्यपूर्ण नहीं है। भ्रष्टाचार या साइबर धोखाधड़ी की तरह जालसाजी और तस्करी को गंभीर ख़तरे के रूप में नहीं देखा जाता है। जालसाजी उत्पादों और तस्करी के सामान की व्यापक उपलब्धता के बावजूद, प्राथमिकी कम दर्ज किए जाते हैं। कई लोग किसी नैतिक कलंक के विषय में सोचे बिना नकली ब्रांड या तस्करी के सामान खरीदते हैं, जो वे अन्य अपराधों के संबंध में नहीं करते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिगत लेनदेन में मामूली राशि शामिल होती है, इसलिए ये अपराध ₹5,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी की तरह सुर्खियां नहीं बटोरते हैं। इस भेद के कारण समाज के बड़े तबके में कम प्रतिवाद हैं, जिसके कारण ये गतिविधियां बड़े पैमाने पर जारी हैं।

श्री राहुल नवीन, प्रवर्तन निदेशक को फिक्की के चेयरमैन सम्मानित करते हुए।

फिर भी, इसका प्रभाव गंभीर है। ये अपराध न केवल आर्थिक अपराध हैं, बल्कि संगठित अपराध नेटवर्क को बढ़ावा देने वाले भी हैं। संचालन की शृंखला खंडित है: अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग कार्य करते हैं, अक्सर एक-दूसरे को जाने बिना, जबकि मास्टरमाइंड, जो अक्सर विदेश में सक्रिय होते हैं, समग्र उद्यम को नियंत्रित करते हैं। तस्करी विशेष रूप से ढीली सुरक्षा वाली सीमाओं, कमज़ोर निगरानी और नियामक अंतराल का फायदा उठाती है, जिससे सरकारी राजस्व निष्कासित होता है और जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देता है। यह महत्वपूर्ण है कि जालसाजी और तस्करी को नशीली दवाओं की तस्करी या आतंकवाद के वित्तपोषण के समान गंभीरता से देखा जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था, वास्तविक व्यवसायों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है।

प्रवर्तन निदेशालय इन उद्देश्यों की रक्षा में योगदान करने के लिए तैयार है। जब भी पुलिस/सीबीआई द्वारा की गई पूर्व निर्धारित जांच में संगठित शृंखला का संकेत मिलता है, जैसे कि भारी मात्रा में तस्करी की गई खेपों की जब्ती या नकली कारखानों के नेटवर्क, तो ईडी धन के प्रवाह की जांच अपने हाथ में ले सकता है। पीएमएलए के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, हम आय को कुर्क कर सकते हैं और इन नेटवर्कों के वित्तपोषकों को लक्षित कर सकते हैं। वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करके, हम अपराधियों द्वारा किए गए प्रमुख कंपनियों, विदेशी खातों और कानूनी व्यवसायों में निवेश को उजागर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ईडी की जांच पूरे नेटवर्क के व्यापार मॉडल को अवरुद्ध कर सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपराधिक आपूर्ति शृंखला का कोई भी हिस्सा अपने अपराधों से लाभ नहीं कमा सके।

आज के अवैध संचालक चुस्ती, गोपनीयता और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं और इसलिए खुफ़िया आधारित प्रवर्तन निर्णायक होते हैं। उनका मुकाबला करने के लिए, हमें डेटा एनालिटिक्स, साझा डेटाबेस और वित्तीय खुफ़िया के उपयोग को मजबूत करना चाहिए। प्रौद्योगिकी और दूरदर्शिता से सशक्त समन्वित जांच, अलग-अलग हस्तक्षेपों की तुलना में नेटवर्क को अधिक प्रभावी ढंग से ध्वस्त कर सकती है।

हाल ही में सामने आए एक मामले से पता चलता है कि कैसे अवैध व्यापार और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) आपस में जुड़े हुए हैं। जांच में एक ऐसा नेटवर्क सामने आया जहां हजारों काल्पनिक खरीदारों के ख़िलाफ जारी किए गए जाली चालानों के माध्यम से 2,800 करोड़ रुपये से अधिक की नकद जमा राशि उत्पन्न की गई थी। फिर इन निधियों को विदेश भेजा गया, 4,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हांगकांग और कनाडा में फ़र्जी कंपनियों को खनन सर्वर और सॉफ्टवेयर टूल्स के भुगतान के बहाने भेजी गई थी। प्रेषित धन का उपयोग 100 से अधिक विदेशी निर्यातकों के साथ क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए किया गया, जिससे वैध व्यापार का दिखावा किया गया। समानांतर जांचों से फर्नीचर जैसे आयातित सामानों की कम अंकित मूल्य वाले चालान का पता चला, जिसका विभेदक मूल्य हवाला के माध्यम से नकद में तय किया गया था। अतिरिक्त सबूतों से पता चला कि अन्य ग्राहकों से बिना हिसाब वाली नकदी को सिस्टम में रिसायकल करने के लिए समायोजन प्रविष्टियों की व्यवस्था की जा रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ने समन्वित तलाशी, डिजिटल सबूतों, 1.43 करोड़ रुपये की नकदी की जब्ती, कई गिरफ्तारियां और अभियोजन के माध्यम से यह उजागर किया कि कैसे हजारों करोड़ रुपये के धन शोधन के लिए जाली दस्तावेज, क्रिप्टो लेनदेन, हवाला नेटवर्क और व्यापार के गलत चालान को एक साथ काम में लाया गया। यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे अवैध व्यापार न केवल बाजारों को विकृत करता है, बल्कि सीमाओं के पार आपराधिक समायोजन को स्थानांतरित करने और वैध बनाने के लिए एक शक्तिशाली साधन बन जाता है।

हमें वैश्विक और घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं की कमज़ोरियों पर भी ध्यान देना होगा। अपराधी कमज़ोर रूप से विनियमित मुक्त व्यापार क्षेत्रों, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में अंतराल और अपारदर्शी सीमा पार व्यापार चैनलों का फायदा उठाते हैं। पता लगाने की क्षमता, सक्रिय निगरानी और उद्योग, विशेष रूप से ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी के माध्यम से अखंडता को मजबूत करना राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता बन गई है।

“प्रवर्तन निदेशक के रूप में, मैं अपराधों के परिप्रेक्ष्य में मुक़दमा दायर करने में ही केवल अपनी भूमिका नहीं देखता, बल्कि भारत की वित्तीय और आर्थिक प्रणालियों की अखंडता की रक्षा करने में भी देखता हूँ। अवैध धन-प्रवाह को लक्षित करके, सीमा पार अपराध के ख़िलाफ प्रतिरोध क्षमता का विकास करके और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाकर, प्रवर्तन निदेशालय भारत की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

अंत में, हमें यह मानना होगा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कर अनुपालन की संस्कृति का निर्माण अवैध व्यापार के अवसर को कम करने में मदद करता है। जब अनुपालन सरल और पारदर्शी होता है, तो अवैध ऑपरेटरों को अपने लाभ का बहुत कुछ खोना पड़ता है। इस अर्थ में, अवैध व्यापार का मुकाबला करना न केवल कठिनाइयों से संबंधित है, बल्कि यह ढांचागत परिवर्तन-एक ऐसी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है जो पारदर्शी, समावेशी और न्यायसंगत हो।

मैं इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के आयोजन के लिए फिक्की कैस्केड की सराहना करता हूँ। मासक्रेड (MASCRADE) जैसे मंच नीति निर्माताओं, प्रवर्तन एजेंसियों, उद्योग और विशेषज्ञों को संवाद के जरिए सहयोगात्मक समाधान तक पहुँचने के लिए एक साथ लाते हैं। कोई भी संस्था अकेले इस समस्या से नहीं निपट सकती है और इसके लिए सामूहिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। मैं इस विचार के साथ अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ: कि जैसे संगठित अपराध तेजी से अनुकूलित होता है, वैसे हमलोग भी कर सकते हैं। डेटा, प्रौद्योगिकी, प्रवर्तन और सहयोग को मिलाकर, हम अवैध नेटवर्क को न केवल रोक सकते हैं, बल्कि उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। यह काम आसान नहीं है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध व्यापार को कोई भी पोषण न मिले, चाहे वह वित्तीय हो या ज़मीनी, ताकि हम अपने बाजारों, अपने नागरिकों और अपने साझा भविष्य की रक्षा कर सकें।

आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हम इन ख़तरों का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन से लेकर उद्योग और जनता तक सभी हितधारकों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी सामूहिक कार्रवाई यह सुनिश्चित कर सकती है कि अवैध व्यापार, चाहे वह ड्रग्स का हो या नकली सामान का, स्पष्ट रूप से एक गंभीर अपराध माना जाए।

FICCI CASCADE
11 EDITION MASCRADE 2025
MOVEMENT AGAINST SMUGGLED & COUNTERFEIT TRADE
18-19 September 2025 The Lalit, New Delhi

फिक्की मासक्रेड-2025

प्रमुख सम्बोधन – निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय

फिक्की के मासक्रेड-2025 कार्यक्रम के सम्बोधन के दौरान प्रवर्तन निदेशक ने तकनीकी-समर्थित कार्यान्वयन (प्रवर्तन) के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि कैसे तकनीक का उपयोग प्रवर्तन निदेशालय जैसी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अवैध व्यापार और धन शोधन पर अंकुश लगाने में कैसे मदद कर सकता है। आगे, निदेशक महोदय ने इस संबंध में कहा कि -

प्रौद्योगिकी जटिल वित्तीय अपराधों की जांच के हमारे तरीके को बदल रही है। परंपरागत रूप से, अवैध वित्तीय प्रवाह का पता लगाने में पांच साल या उससे अधिक समय लग सकता था, लेकिन उन्नत उपकरणों और डेटाबेस के एकीकरण से, अब हम ऐसी जांच अधिकतम एक या दो साल में पूरी कर पाएंगे।

उदाहरण के लिए, अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) राज्यों और एजेंसियों में दर्ज प्राथमिकियों, आरोप-पत्रों और अदालती रिकॉर्ड तक निर्बाध पहुंच प्रदान करती है, जिससे हम विधेय अपराधों को धन-शोधन के मामलों से तुरंत जोड़ पाते हैं। नैटग्रिड (NATGRID) आयात-निर्यात डेटा, वित्तीय खुफ़िया, कर जानकारी, यात्रा और आव्रजन आदि से संबंधित कई डेटाबेस तक रीयल-टाइम पहुंच प्रदान करता है, जिससे हमें संदिग्ध गतिविधियों और लेनदेन का एक समेकित विवरण मिलता है। वित्तीय खुफ़िया इकाई का फिननेट 2.0 (FINNET 2.0), अपने उन्नत विश्लेषण के साथ, हमें संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा, निदेशालय विभिन्न वित्तीय विश्लेषण सॉफ्टवेयर और फोरेंसिक टूल्स अपना रहा है जो सैकड़ों बैंक खातों में परतों और एकीकरण पैटर्न की मिनटों में पहचान करने में मदद करते हैं।

भविष्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्वानुमानित जोखिम विश्लेषण, बड़े व्यापारिक और वित्तीय डेटासेट में विसंगतियों का पता लगाने, और यहां तक कि फ़र्जी (शेल) कंपनियों के नेटवर्क और उनके अंतिम लाभकारी स्वामियों की पहचान करने में भी मदद कर सकती है। दीर्घावधि में, उन्नत तकनीकों का उपयोग अवैध नेटवर्कों को अति सक्रियता से रोकने के लिए हम प्रतिक्रियात्मक जांच से आगे बढ़ने में सक्षम हो सकेंगे। मानवीय विज्ञता को तकनीकी शक्ति के साथ जोड़कर, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध व्यापार और धन शोधन अपराधियों के लिए कठिन से कठिनतर, महंगा और जोखिम भरा होता जाए।

फिक्की मासक्रेड सम्मेलन में शामिल गणमान्य अधिकारी।

ईडी द्वारा वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी), मॉरीशस के लिए धन शोधन और वित्तीय खुफ़िया पर तकनीकी सहायता कार्यक्रम का आयोजन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारत ने वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी), मॉरीशस के अधिकारियों को 22 से 26 सितंबर, 2025 तक विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को मॉरीशस में तैनात किया है। यह पांच दिवसीय कार्यक्रम इस वर्ष के प्रारंभ में मार्च, 2025 में वित्तीय अपराधों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित ईडी-एफसीसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) के ढांचे के तहत आयोजित किया जा रहा है।

एफसीसी, मॉरीशस कार्यक्रम में श्री मनु टेंटीवाल, विशेष निदेशक सम्बोधन भाषण देते हुए।

समझौता ज्ञापन में उल्लिखित सहयोग के आयाम

मॉरीशस ने 2004 में संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन किया था और भारत ने 2011 में इसका अनुसमर्थन किया। दोनों देशों ने यूएनसीएसी (यूएनसीएसी) के मार्गदर्शन में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रत्यक्ष सहयोग को मज़बूत करने के उद्देश्य से, इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत सहयोग के प्रमुख आयाम में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क. भ्रष्टाचार-निरोधी और धन-शोधन-निवारण रणनीतियों पर प्रासंगिक जानकारी एक-दूसरे के साथ साझा करना
ख. विचारों, ज्ञान, कौशल, तकनीकी क्षमताओं और अनुभव का आदान-प्रदान करना
ग. एक-दूसरे की सहायता करना, कौशल, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना
घ. अन्वेषण, अभियोजन, निवारण और शिक्षा में तकनीकी सहायता प्रदान करना
ङ. प्रभावी अन्वेषण तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान साझा करना
च. धन शोधन और भ्रष्टाचार का पता लगाने और रोकने के प्रत्येक के प्रयासों में सहयोग करना तथा संयुक्त गतिविधियां करना।

उक्त समझौता ज्ञापन की एक कड़ी के रूप में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी) के अधिकारियों को 22 से 26 सितंबर, 2025 तक प्रशिक्षण देने के लिए अपने चार वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को मॉरीशस भेजा था। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विशेष निदेशक (मुख्यालय) ने किया और इसमें संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक कानूनी सलाहकार रैंक के अधिकारी शामिल थे।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मॉरीशस द्वारा 2025 में किए गए दूसरे राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन द्वारा चिह्नित धन शोधन (एमएल) के ख़तरों और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और एफसीसी के नव-नियुक्त जांचकर्ताओं और परिसंपत्ति वसूली पेशेवरों की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं पर केंद्रित है। इन सत्रों में धन शोधन जांच, वित्तीय खुफ़िया, परिसंपत्ति वसूली और साइबर अपराध सहित विभिन्न विषयों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर व्यावहारिक कार्यशालाएं शामिल हैं। ये सत्र वित्तीय अपराध जांच के संबंध में सक्रिय बातचीत, अनुभवों के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार (डिज़ाइन) किए गए हैं।

प्रशिक्षण का आधिकारिक उद्घाटन 22 सितंबर, 2025 को रेडुइट ट्रायंगल, मोका, पोर्ट लुई, मॉरीशस स्थित एफसीसी सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय धनेश्वर डैमरी, कनिष्ठ वित्त मंत्री और एफसीसी संसदीय समिति के अध्यक्ष, और श्री तित्रुदेव दाऊदरी, एफसीसी के कार्यवाहक महानिदेशक, उपस्थित थे।

उद्घाटन समारोह: क्षमता निर्माण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में शामिल गणमान्य अधिकारी:-

श्री मनु टेंटीवाल, विशेष निदेशक कनिष्ठ वित्त मंत्री, मॉरीशस व अध्यक्ष, संसदीय समिति, वित्तीय अपराध आयोग को स्मृति चिह्न देते हुए।

1. श्री धनेश्वर डैमरी, कनिष्ठ वित्त मंत्री व अध्यक्ष, संसदीय समिति, वित्तीय अपराध आयोग।
2. श्रीमती कान ओये फोंग वेंग-पूरुन, जी.ओ.एस.के., सचिव, गृह मामला, प्रधान मंत्री कार्यालय।
3. श्री चेदुम्ब्रम नादराजेन, राजदूत, विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार।
4. श्री टी. दाऊदरी, कार्यवाहक महानिदेशक, वित्तीय अपराध आयोग।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस भावना को दोहराते हुए कि भारत और मॉरीशस "सिर्फ़ साझेदार नहीं, बल्कि एक परिवार हैं," ईडी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि यह रिश्ता मॉरीशस के साथ एक गतिशील और मज़बूत साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है, जो व्यापार और निवेश के मामले में भारत का एक प्रमुख साझेदार है और लगातार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के शीर्ष स्रोतों में शुमार है। उन्होंने ईडी की 94.34% सज़ा दर पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर भी ज़ोर दिया कि "अपराध आय का साधन न बने, और अपराधी अपराध के आगम (आय) का उपभोग न कर सकें"।

उन्होंने मॉरीशस को वित्तीय अपराध आयोग अधिनियम, 2023 की विनियमन के लिए भी बधाई दी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, परिसंपत्ति वसूली अधिनियम और सुशासन एवं सत्यनिष्ठा रिपोर्टिंग अधिनियम जैसे पूर्ववर्ती अधिनियम एकीकृत और समाहित किए गए हैं, तथा जिसने भ्रष्टाचार निरोधी स्वतंत्र आयोग (आईसीएसी), परिसंपत्ति वसूली अन्वेषण प्रभाग (एआरआईडी) और सत्यनिष्ठा रिपोर्टिंग सेवा एजेंसी (आईआरएसए) के कार्यों को अपने अधीन किया है, जिससे एफसीसी को जटिल वित्तीय अपराधों के अन्वेषण और मुक़दमा चलाने के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त हुई हैं।

वित्त राज्य मंत्री और उच्च-स्तरीय संचालन समिति के अध्यक्ष श्री धनेश्वर डैमरी ने अपने उद्घाटन भाषण में भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराध से लड़ने में मॉरीशस सरकार के उद्देश्य पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एफसीसी अधिनियम 2023 के तहत नवगठित निकाय, एफसीसी को मज़बूत बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) के विशेष निदेशक ने भारत और मॉरीशस के बीच घनिष्ठ संबंधों पर ज़ोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन को याद किया: "भारत और मॉरीशस सिर्फ़ साझेदार नहीं, बल्कि एक परिवार हैं।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थागत सहयोग को गहरा करना, तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराधों से निपटने के साझा उद्देश्य को समर्थन देना है।

यह पहल वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के मानकों और वैश्विक समझौतों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ईडी के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। यह ईडी-एफसीसी सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में संयुक्त जांच, तकनीकी सहायता और बेहतर खुफ़िया साझा करने की नींव रखता है।

प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं

प्रशिक्षण कार्यक्रम की संकल्पना एफसीसी के विस्तारित अधिदेश का समर्थन करने और अन्वेषण, अभियोजन और संपत्ति वसूली, जिसमें बरामद धनराशि पीड़ितों को वापस करना भी शामिल है, में भारत के व्यावहारिक अनुभव को साझा करने के लिए की गई थी। कार्यक्रम के प्रारूप में व्याख्यान, मामला अध्ययन और एफसीसी के अधिकारियों के सर्वोत्तम लाभ के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई व्यावहारिक कार्यशालाएं शामिल थीं। इसमें शामिल महत्वपूर्ण विषय हैं:

- ईडी के अधिदेश और परिचालन संरचना का अवलोकन
- भारत के पीएमएलए, 2002 का एफसीसी अधिनियम, 2023 के साथ तुलनात्मक विश्लेषण
- मूल धन शोधन अवधारणाओं को समझना
- भ्रष्टाचार, साइबर धोखाधड़ी और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले का अन्वेषण
- डिजिटल रिकॉर्ड का फोरेंसिक विश्लेषण
- क्रिप्टोकरेंसी अन्वेषण और उस पर कार्यशाला का आयोजन
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग
- संपत्ति वसूली
- ओपन सोर्स इंटेलिजेंस संग्रह उपकरण
- वर्चुअल संपत्तियों की जब्ती पर कार्यशाला

क्षमता निर्माण कार्यक्रम में शामिल विशेषज्ञ अधिकारी।

प्रशिक्षुओं में एफसीसी, अटॉर्नी जनरल कार्यालय और अन्य अन्वेषण एजेंसियों की परिसंपत्ति वसूली इकाइयों में नव नियुक्त और कार्यरत अन्वेषणकर्ता, वरिष्ठ अन्वेषणकर्ता, मुख्य अन्वेषणकर्ता, वरिष्ठ अधिकारी और मुख्य अधिकारी शामिल थे। सत्र पारस्परिक संवादपूर्ण रहा और मामला अध्ययन के माध्यम से समझाए गए व्यावहारिक उदाहरणों पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत में अंतर एजेंसी सहयोग, एफसीसी अधिनियम, 2023 और पीएमएलए, 2002 आदि की संरचना में अंतर से संबंधित चर्चाएं हुईं। कार्यक्रम के दौरान ईडी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा किया गया। ईडी में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रकाश डाला गया, जिसमें क्यूआर कोड सत्यापन के साथ ऑनलाइन समन मॉड्यूल का विकास और उपयोग शामिल है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और उपद्रवियों द्वारा जालसाजी/धोखाधड़ी के जोखिम कम हुए हैं। यह भी बताया गया कि ईडी में, अन्वेषण में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूछताछ हेतु बने कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

केंद्रीकृत डाटाबेस के लाभों के विषय में प्रवर्तन निदेशालय अपराधी ट्रैकिंग प्रणाली (ई-डॉट्स) का उदाहरण देकर समझाया गया, जो कि केंद्रीकृत डाटाबेस है जिसमें ईडी द्वारा अन्वेषण किए जा रहे मामलों से संबंधित जानकारी होती है।

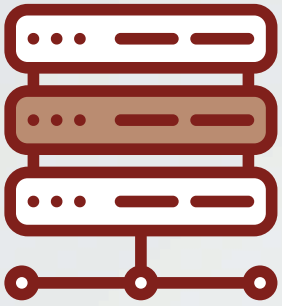

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मॉरीशस के उच्चस्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें भी कीं, जिनमें सचिव, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मॉरीशस, अटॉर्नी जनरल, मॉरीशस जो मॉरीशस में पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है, तथा पुलिस आयुक्त, मॉरीशस शामिल थे।

आगे का रास्ता

इस गहन प्रशिक्षण का उद्देश्य एफसीसी अधिकारियों को वित्तीय अन्वेषण, डिजिटल फोरेंसिक, सीमा पार संपत्ति का पता लगाना (ट्रेसिंग) और क्रिप्टोकरेंसी संबंधी अन्वेषण में विशेषज्ञतापूर्ण कौशल से लैस करना था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को एफसीसी ने खूब सराहा और एफसीसी तथा ईडी दोनों ने भविष्य में और अधिक वर्चुअल तथा प्रत्यक्ष सत्रों के माध्यम से इस सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की।

यह पहल भारत-मॉरीशस सहयोग में एक नए अध्याय को रेखांकित करती है। इसने भविष्य के कार्यक्रमों के लिए एक रूपरेखा भी स्थापित की है, जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के मानकों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ईडी के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

ईडी 2026 में एसेट रिकवरी इंटर-एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक (एआरआईएन-एपी) की अध्यक्षता संभालेगा

मंगोलिया ने 23 से 26 सितम्बर 2025 तक उलानबतार में आयोजित 10 वीं एआरआईएन-एपी आम बैठक के दौरान वर्ष 2026 के लिए एसेट रिकवरी इंटर-एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक (एआरआईएन-एपी) की अध्यक्षता भारत को इसकी नोडल एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के प्रतिनिधित्व में सौंपी है। वर्ष 2016 से परिसंपत्ति वसूली पेशेवरों के इस प्रमुख बहु-एजेंसी नेटवर्क से जुड़े होने के कारण, प्रवर्तन निदेशालय को इससे पहले 2024 में इसके शीर्ष निकाय, संचालन समिति के लिए चुना गया था। भारत आगामी वर्ष में नेटवर्क की 11वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की मेजबानी भी करेगा।

भारत के लिए एआरआईएन-एपी की यह अध्यक्षता प्रतीकात्मक नहीं है। यह परिसंपत्ति वसूली में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने में सार्थक योगदान देने का एक अवसर है। नेटवर्क की अध्यक्षता स्वीकारते हुए, संयुक्त प्रवर्तन निदेशक, (समन्वय), मुख्यालय ने अपने स्वीकृति भाषण में कहा- "एआरआईएन-एपी केवल एक नेटवर्क नहीं, बल्कि एक परिवार, एक समुदाय और एक मंच है जहां व्यावहारिक चुनौतियां साझा की जाती हैं, जहां समाधान सहयोगात्मक रूप से तैयार किए जाते हैं, और जहां सभी अधिकार क्षेत्रों में विश्वास का निर्माण होता है।"

सम्बोधन में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी निर्धारित किया गया, जिन पर भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान केंद्रित रहेगा-जिसमें एआरआईएन-एपी *(ARIN-AP)* की सदस्य एजेंसियों के बीच त्वरित, पेशेवर-से-पेशेवर संपर्क को मजबूत करना, क्षमता निर्माण और सहकर्मी अधिगम *(पीयर लर्निंग)*, और समाचार पत्रों, सफलता की कहानियों आदि के माध्यम से सूझ *(विसिबलिटी)* और पहुंच को बढ़ाना शामिल है।

एआरआईएन-एपी (ARIN-AP) के बारे में

एसेट रिकवरी इंटर-एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक (ARIN-AP) पेशेवरों और विशेषज्ञों का एक अनौपचारिक मंच है जिसका उद्देश्य आपराध की आय की पहचान करना, पता लगाना, फ्रीज़ करना और उसकी वसूली में सहयोग को मज़बूत करना है। यह नेटवर्क सदस्य देशों के संपर्क बिंदुओं के बीच सूचनाओं के सीधे आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग में तेज़ी आती है और कानून प्रवर्तन कार्रवाई की प्रभावशीलता बढ़ती है।

वर्तमान में, एआरआईएन-एपी में 28 सदस्य क्षेत्राधिकार और 10 पर्यवेक्षक शामिल हैं, जो कैमडेन एसेट रिकवरी इंटर-एजेंसी नेटवर्क (सीएआरआईएन) के व्यापक ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है, जिसमें 100 से अधिक क्षेत्राधिकार/देश शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय इस नेटवर्क के अंतर्गत भारत के लिए नामित नोडल एजेंसी है।

भारत की अध्यक्षता का महत्व: 2026 में (एआरआईएन-एपी) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की मेज़बानी करके, भारत न केवल एजेंसी-से-एजेंसी तक गहन सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि परिसंपत्ति वसूली पर वैश्विक नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को आकार देने में अपनी भूमिका को भी मज़बूत करेगा। अध्यक्षता, प्रवर्तन निदेशालय को वैश्विक पहलों के साथ तालमेल बढ़ाने, अपराध की आय से निपटने में मज़बूत अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने और वित्तीय अपराधों और धन शोधन से निपटने में भारत की विशेषज्ञता को साझा करने का अवसर प्रदान करेगी। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने भी सभी केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को अपराध की आय से अर्जित संपत्तियों की पहचान के लिए एआरआईएन-एपी (ARIN-AP) के मंच का उपयोग करने की सलाह दी है।

एआरआईएन एपी में ईडी की भागीदारी, एफएटीएफ, जी20 और ग्लोबई (जीएलओबीई) नेटवर्क जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों में भारत की भागीदारी का पूरक है और हमारे इस विश्वास को दर्शाती है कि वित्तीय अपराध से अलग-थलग रहकर नहीं लड़ा जा सकता। ये घटनाक्रम भारत के **"धन पर नज़र रखें (फॉलो द मनी)"** दृष्टिकोण को भी दोहराते हैं, जिसके तहत अपराधियों को उनके अवैध लाभ से वंचित करके वित्तीय और संगठित अपराध को रोका जाता है। ये भारत के उस दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करते हैं जो भगोड़े आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध 9-सूत्री एजेंडे के माध्यम से प्रकट होता है, जिसे भारत द्वारा जी20 शिखर सम्मेलन 2018 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था और 2023 में जी20 भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की भारत की अध्यक्षता के दौरान एमएलए और संपत्ति वसूली पर उच्च-स्तरीय सिद्धांतों को अपनाया गया था।

श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित प्रवर्तन निदेशालय का 32वां त्रैमासिक सम्मेलन (क्यूसीजेडओ)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12 और 13 सितंबर, 2025 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आंचलिक कार्यालयों के 32वें त्रैमासिक सम्मेलन (क्यूसीजेडओ) का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने की और इसमें सभी विशेष निदेशकों, अपर निदेशकों, संयुक्त निदेशकों और उप/सहायक कानूनी सलाहकारों ने भाग लिया।

श्रीनगर में सम्मेलन आयोजित करने का यह निर्णय मुख्य रूप से कुछ महीने पहले पहलगाम में दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी हमले के बाद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए लिया गया था। सम्मेलन के सफल समापन से यह परिलक्षित हुआ कि जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विचार-विमर्श के लिए एक सुरक्षित, जीवंत और रमणीय स्थल बना हुआ है।

सम्मेलन के दौरान जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें से एक पीएमएलए मामलों की सुनवाई में तेज़ी लाने से संबंधित था। निदेशक, ईडी ने आंकड़ों की समीक्षा की और क्षेत्रीय प्रमुखों को लंबित जांचों में तेज़ी लाने, अंतिम अभियोजन शिकायतों को दर्ज करना सुनिश्चित करने और मुक़दमों में तेज़ी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। पीएमएलए के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने संबंधी विजय मदनलाल चौधरी के फैसले की समीक्षा के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ की टिप्पणियों के बाद, यह ध्यातव्य है कि विशेष पीएमएलए अदालतें स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सभी मुख्य न्यायाधीशों के रजिस्ट्रारों को पत्र भेजे गए थे।

यद्यपि, चर्चा में यह भी उल्लेख किया गया कि पीएमएलए अभियोजन विधेय अपराध की वृद्धि से जुड़े हुए हैं और उन मामलों में देरी या प्रतिकूल परिणाम पीएमएलए परीक्षणों को प्रभावित करते हैं। बहरहाल, यह ध्यान दिया गया कि विशेष न्यायालयों द्वारा योग्यता के आधार पर तय किए गए मामलों में, एजेंसी ने वास्तव में 53 मामलों में से 50 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की है, जिसकी दोषसिद्धि दर 94 प्रतिशत है। इसके अलावा, यह भी स्वीकार किया गया कि ईडी पीड़ितों और वैध दावेदारों को 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस दिलाने में भी सक्षम रही है।

सम्मेलन के दौरान चर्चा किये गए अन्य महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं:

- **मामला प्रबंधन डेटाबेस की समीक्षा:** ईडी की आंतरिक मामला प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की गई और एक महीने के भीतर डेटा प्रविष्टि को पूरा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया। मुख्यालय को निर्देश दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।
- **पुष्टिकृत कुर्क संपत्तियों का कब्ज़ा:** विजय मदनलाल चौधरी मामले में फैसले के बाद पीएमएलए के तहत कुर्क की गई संपत्तियों पर कब्ज़ा लेने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई और असाधारण मामलों की परिभाषा में अस्पष्टता पर ध्यान दिया गया। ईडी अपराधियों को अपराध का फल भोगने से रोकने के लिए जहां भी संभव हो, कब्ज़ा लेने का प्रयास कर रहा है, जबकि संशोधित नियमों पर काम चल रहा है।
- **परिसंपत्ति वसूली और प्रबंधन:** संपत्तियों के मूल्यांकन, कब्ज़े और निपटान में चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन, पारदर्शी नीलामी के लिए बांकनेट (BAANKNET) प्लेटफॉर्म को अपनाने, और एक समर्पित परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई और परिसंपत्ति वसूली कोष की स्थापना की संभावना सहित सुधारों पर विचार-विमर्श किया गया।

- **फेमा और फेरा मामले:** यह आग्रह किया गया कि फेमा जांच को अधिक गंभीरता से लिया जाए तथा पुराने फेरा न्यायिक मामलों को बिना किसी देरी के बंद करने पर भी बल दिया गया।
- **साइबर और डिजिटल धोखाधड़ी:** सम्मेलन के मद से कई क्षेत्रों में चल रहे बड़े मामलों की जांच की पुष्टि हुई और यह निर्णय लिया गया कि जांच पद्धतियों और केस संकलन को व्यवस्थित रूप से समेकित किया जाए।
- **ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग:** प्रतिबंध के बाद अवैध प्लेटफार्मों की आगामी चुनौती की ओर ध्यान आकर्षित किया गया तथा इससे निपटने के लिए केंद्रित रणनीति बनाने का आह्वान किया गया।
- **परिचालन सुधार:** परिपत्रों और मैनुअलों में संशोधन की आवश्यकता के साथ-साथ केस प्रबंधन को अधिक मजबूत प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने और ई-ऑफिस प्रणाली के अधिक उपयोग पर चर्चा की गई है।
- **निवारक सतर्कता:** सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निवारक सतर्कता बनाए रखने और ईमानदारी, जवाबदेही, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता के ईडी के मुख्य मूल्यों की पुष्टि करने के लिए जागरूक किया गया।
- **प्रत्याहरण लक्ष्य:** पीड़ितों को धन वापसी (प्रत्याहरण) करने के महत्व पर ज़ोर देते हुए, ईडी के अन्वेषण प्रयासों के बाद सहारा से संबंधित मामले में धन वापसी में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए, इस वित्त वर्ष में ₹15,000 करोड़ की धन वापसी करने के लक्ष्य पर ज़ोर दिया गया।

अंत में, प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करते हुए, यह ध्यान दिया गया कि ईडी ने प्रमुख अधिग्रहणों और स्वीकृतियों के साथ अपने बुनियादी ढांचे को काफ़ी मज़बूत किया है, जिसमें एकीकृत परिसर के लिए बीकेसी मुंबई में ज़मीन, भुवनेश्वर, पटना और रायपुर में नए आंचलिक कार्यालय, कोलकाता कार्यालय का नवीनीकरण और जालंधर, देहरादून, शिलांग, कोच्चि, अहमदाबाद और चंडीगढ़ में नए कार्यालय स्थान हासिल करना शामिल है।

इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगले तीन से चार वर्षों के भीतर, ईडी अपने सभी कार्यालय स्वयं के स्वामित्व वाले परिसरों में स्थापित करने का प्रयास करेगा।

सम्मेलन का समापन अंतरक्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करने, दूरदर्शी कार्रवाई बिंदुओं तथा धन शोधन, विदेशी मुद्रा उल्लंघनों और अन्य आर्थिक अपराधों के विरुद्ध वैधानिक ढांचे को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि के साथ हुआ।

आतंक वित्तपोषण के ख़िलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाइयाँ

आतंक वित्तपोषण वर्तमान समय में किसी भी प्रवर्तन एजेंसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये ऐसी गतिविधि है जिसमें सीमापार स्थित आतंकी संगठनों को विभिन्न स्तर पर वित्तपोषित कर आतंकवादियों द्वारा राष्ट्र के भीतर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिलाया जाता है। भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस चुनौती को प्राथिमकता देते हुए इससे निपटने हेतु तत्परता से डटा हुआ है और अपने इसी प्रयास में प्रवर्तन निदेशालय ने आतंक वित्तपोषण के ख़िलाफ कुछ सख्त कदम उठाए हैं।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की आतंकी गतिविधियों पर कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोइदीन कुट्टी के. उर्फ एम. के. फ़ैजी को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे, नई दिल्ली से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) एसडीपीआई पीएफआई का एक राजनीतिक मोर्चा है और एम. के. फ़ैजी 2018 से एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय विशेष अदालत, पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 06 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

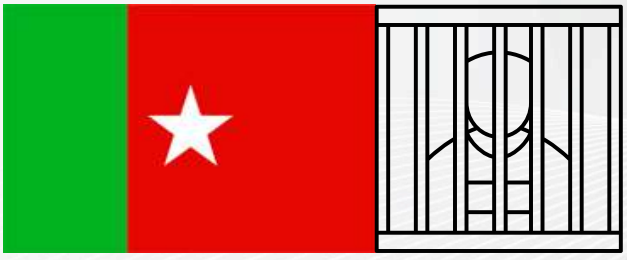

ईडी ने विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और अन्य के ख़िलाफ जांच शुरू की। जांच से पता चला कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पदाधिकारी, सदस्य और कैडर भारत भर में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे और उन्हें वित्तपोषित करने के लिए बैंकिंग चैनलों, हवाला, दान आदि के माध्यम से भारत और विदेश से धन जुटा/एकत्र कर रहे थे।

पीएफआई और उसके पदाधिकारियों से संबंधित विभिन्न स्थानों पर की गई तलाशी कार्यवाही के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और जब्त किए गए, जिससे यह स्थापित हुआ कि पीएफआई एसडीपीआई की गतिविधियों को नियंत्रित, वित्तपोषित और पर्यवेक्षित करती थी; एसडीपीआई पीएफआई का एक मोर्चा है जिसमें उभयनिष्ठ सदस्य/कैडर और नेता हैं; एसडीपीआई अपने दैनिक कार्यों, नीति निर्माण, चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों का चयन, सार्वजनिक कार्यक्रम, कैडर जुटाने और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए पीएफआई पर निर्भर थी। यूनिटी हाउस, कोझीकोड (पीएफआई का केरल राज्य मुख्यालय) में की गई तलाशी के दौरान जब्त की गई कुछ अपराध-संकेती सामग्री इस प्रकार है:-

क) यूनिटी हाउस, कोझीकोड (पीएफआई का केरल राज्य मुख्यालय) में की गई तलाशी के दौरान **“संगठन और पार्टी के बारे में वैचारिक स्पष्टता”** शीर्षक वाला एक दस्तावेज बरामद किया गया; यह दस्तावेज पीएफआई के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, इसे एक ऐसे संगठन के रूप में वर्णित करता है जो **सभी रूपों में जिहाद के सिद्धांतों का समर्थन** करके भारत में इस्लामी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह खुद को आंतरिक रूप से एक इस्लामी आंदोलन और बाहरी रूप से एक सामाजिक आंदोलन के रूप में स्थापित करता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, पीएफआई ने एसडीपीआई और कई फ्रंट संगठन स्थापित किए हैं।

ख) यूनिटी हाउस, कोझिकोड (पीएफआई का केरल राज्य मुख्यालय) में की गई तलाशी के दौरान **"फ़ैजी साहब"** (एम. के. फ़ैजी) को संबोधित एक पत्र बरामद किया गया, जिसमें राज्य विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए ‘उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया’ का उल्लेख है।

उक्त दस्तावेज से पता चला कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) को विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के बारे में निर्देश दे रहा था। **"फ़ैजी साहब"** (यानी एम.के. फ़ैजी) को संबोधित यह पत्र, संगठन के कई स्तरों को शामिल करते हुए, उम्मीदवार चयन के लिए एक विस्तृत और संरचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

ग) इसके अलावा, बैठक के कार्यवृत्तों और हस्तलिखित दस्तावेजों की कई प्रतियां हैं, जो एसडीपीआई द्वारा लड़े गए चुनावों में पीएफआई द्वारा फंडिंग के साक्ष्यों, एसडीपीआई को खाड़ी देशों में फंड इकट्ठा करने के लिए पीएफआई की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (एनईसी) द्वारा दी गई मंजूरी, और यूनिटी हाउस, कोझीकोड (पीएफआई के केरल राज्य मुख्यालय) में की गई तलाशी के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज फ़ौजदारी मामलों में आरोपी एसडीपीआई सदस्यों के लिए कानूनी खर्चों को पीएफआई द्वारा किए गए वहन का खुलासा करती हैं। उदाहरण के लिए, एक डायरी जब्त की गई जिसमें की पीएफआई की राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) की बैठकों के हस्तलिखित कार्यवृत हैं, जो बताते हैं कि पीएफआई ने चुनाव संबंधी उद्देश्य के लिए एसडीपीआई को 3.75 करोड़ रुपये का फंड दिया।

तलाशी के दौरान जब्त की गई डायरियों और अन्य दस्तावेजों में उल्लिखित एसडीपीआई के लिए और उसकी ओर से पीएफआई द्वारा किए गए खर्च पीएफआई के बैंक खातों में नहीं दिखाई देते हैं। पीएफआई द्वारा इस तरह के फंड विदेशी देशों मुख्य रूप से खाड़ी देशों से भारत में हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए एकत्र किए गए हैं और इस तरह के फंड को भारत में रमजान संग्रह (आरसी) के नाम पर स्थानीय रूप से भी जुटाया गया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एम.के. फ़ैजी का एसडीपीआई की गतिविधियों पर अधिकार और नियंत्रण था, जो अपराध के आगम अर्थात एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र के हिस्से के रूप में भारत के अंदर और बाहर पीएफआई द्वारा जुटाए गए धन का प्राप्तकर्ता, लाभार्थी और उपयोगकर्ता है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि पीएफआई भारत में विभिन्न गैरकानूनी हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस तरह के धन को जुटाने और उपयोग करने के लिए एक गहरी आपराधिक साज़िश के हिस्से के रूप में धन जुटाने की गतिविधियों में लगा हुआ है। जांच के दौरान पता चला है कि अपराध के आगम 4.07 करोड़ रुपये है, जिसमें पीएफआई द्वारा संदिग्ध, अघोषित और बेहिसाब धन के माध्यम से की गई एसडीपीआई की फंडिंग शामिल है।

एम. के. फ़ैजी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत कई बार समन किया गया और उन्हें 12 मौके दिए गए, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए और जांच से भागते रहे। इसलिए, इस निदेशालय द्वारा एम. के. फ़ैजी के ख़िलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत माननीय विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष इस निदेशालय के समक्ष उनकी गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। आगे, माननीय न्यायालय ने एम. के. फ़ैजी के ख़िलाफ आदेश के जरिए एक जमानती वारंट (बीडब्ल्यू) जारी किया। तदनुक्रम में, जमानती वारंट के निष्पादन न करने पर, एम. के. फ़ैजी के ख़िलाफ आदेश के जरिए एक गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया।

ईडी ने इस मामले में अब तक 61.72 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। अब तक इस मामले में माननीय विशेष न्यायालयों (पीएमएलए) के समक्ष 09 अभियोजन शिकायतें (पीसी) दायर की गई हैं। इसके अलावा, इस मामले में पीएफआई के 26 पदाधिकारियों/सदस्यों/कैडरों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पीएफआई के अध्यक्ष, महासचिव, पदाधिकारी और सदस्य और पीएफआई की राज्य कार्यकारी परिषद (एनईसी और एसईसी) के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा (पीई) समन्वयक और प्रशिक्षक शामिल हैं, जो पीएफआई सदस्यों और कैडरों को हथियार प्रशिक्षण प्रदान कर रहे थे।

इसी क्रम में, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेट्टुपालयम, कोयंबटूर, तमिलनाडु के निवासी वाहिदुर रहमान जैनुल्लाबुद्दीन को गिरफ्तार किया है। उसे माननीय विशेष न्यायालय, पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

पीएफआई और उसके पदाधिकारियों से संबंधित विभिन्न स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान, कई अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए, जिससे पहले ही यह स्थापित हो चुका है।

इसके अलावा, ईडी द्वारा मामले में निम्नलिखित स्थानों पर तलाशी ली गई, जो पी.एफ.आई/एस.डी.पी.आई से संबंधित थे :-

- **मेट्टुपलायम, कोयंबटूर (तमिलनाडु)**
- **आर्कोट, वेल्लोर, (तमिलनाडु)**
- **भीलवाड़ा, राजस्थान**
- **कोटा, राजस्थान**
- **कोलकाता, पश्चिमबंगाल**
- **कोट्टायम, केरल**
- **पलक्कड़, केरल**

वाहिदुर रहमान जैनुल्लाबुद्दीन को कोयंबटूर के मेट्टुपलायम में उनके आवास पर तलाशी पूरी होने के बाद गिरफ़्तार किया गया। वह पीएफआई का फिजिकल ट्रेनर था और एसडीपीआई से भी उसका गहरा संबंध है। जांच के दौरान पता चला है कि पीएफआई की शारीरिक शिक्षा (पीई) कक्षाएं सिर्फ दिखावा हैं। पीएफआई शारीरिक शिक्षा (पीई) कक्षाओं की आड़ में घूंसे, लात, चाकू और डंडे से हमले के विभिन्न रूपों का उपयोग करके आक्रामक और रक्षात्मक युद्धाभ्यास सिखाने के लिए हथियारों का प्रशिक्षण दे रहा था।

2013 में पीएफआई द्वारा शारीरिक शिक्षा कक्षाओं की आड़ में हथियार चलाने का एक ऐसा ही मामला नारथ आर्म्स कैंप का था, जिसमें पीएफआई अपने कार्यकर्ताओं को कन्नूर जिले के नारथ में एक आर्म्स कैंप में विस्फोटकों और हथियारों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दे रहा था। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और कार्यकर्ताओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए तैयार करना था।

तमिलनाडु पुलिस ने कोयंबटूर के मेट्टुपालयम में पीएफआई के प्रतिबंध के विरोध में पेट्रोल बम फेंकने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में वाहिदुर रहमान को वर्ष 2022 में भी गिरफ्तार किया था।

एसडीपीआई के बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला है कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने बैंक खातों से एसडीपीआई बैंक खातों में पर्याप्त मात्रा में धनराशि अंतरित की गई, जिसे दान के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, आगे की जांच से पता चला कि एसडीपीआई में अंतरण से ठीक पहले इन व्यक्तियों के खातों में बराबर मात्रा में नकदी जमा की गई थी। बैंक से प्राप्त नकद जमा पर्चियों से पता चला है कि वाहिदुर रहमान ही वह व्यक्ति था जिसने इन राशियों को विभिन्न अन्य व्यक्तियों के खातों में नकद में जमा किया था, जिन्होंने बदले में इसे एसडीपीआई बैंक खातों में अंतरित कर दिया था। इसके अतिरिक्त, वाहिदुर रहमान ने अपने खाते में बराबर राशि की नकदी जमा करने के बाद खुद एसडीपीआई को धनराशि अंतरित की। यह पैटर्न इंगित करता है कि वाहिदुर रहमान ने इन बैंक खातों का उपयोग अवैध धन को प्रवाहित करने और इसे एसडीपीआई को वैध दान के रूप में पेश करने के लिए किया है।

यूनिटी हाउस, पीएफआई केरल राज्य कार्यालय, कोझिकोड में तलाशी के दौरान पीएफआई के पीई कक्षाओं और जिहादी एजेंडे से संबंधित अपराध-संकेती साक्ष्यों को जब्त किया गया ।

यूनिटी हाउस, पीएफआई केरल राज्य कार्यालय, कोझिकोड में तलाशी के दौरान पीएफआई द्वारा दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्क्रीनशॉट बरामद हुआ, जिसमें उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हिंसक तरीकों को दिखाया गया है। यह स्पष्ट है कि पीएफआई अपने कैडर को घूंसे, लात, आघात तथा चाकू, डंडा, दरांती, तलवार आदि जैसे हथियारों का उपयोग कर हमले करने के लिए गहन हिंसक प्रशिक्षण दे रहा था।

इस मामले में ईडी ने इससे पहले 61.72 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की है। इस मामले में माननीय विशेष न्यायालयों (पीएमएलए) के समक्ष 09 अभियोजन शिकायतें (पीसी) दायर की गई हैं। इसके अलावा, इस मामले में पीएफआई के 26 पदाधिकारियों/सदस्यों/कैडरों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पीएफआई और पीएफआई की राज्य कार्यकारी परिषद (एनईसी और एसईसी) के अध्यक्ष, महासचिव, पदाधिकारी और सदस्य के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा (पीई) समन्वयक और प्रशिक्षक शामिल हैं, जो पीएफआई सदस्यों और कैडरों को हथियार प्रशिक्षण प्रदान कर रहे थे। इसके अलावा, एसडीपीआई के अध्यक्ष को भी ईडी ने गिरफ़्तार किया।

यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) की आतंकी गतिविधियों के ख़िलाफ कार्रवाई :

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के दो कार्यकर्ताओं थोकचोम ज्ञानेशोर उर्फ थोइबा उर्फ सिदाबामापु और लाइमायम आनंद शर्मा उर्फ इंगबा को गिरफ्तार किया और माननीय पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए।

यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) एक अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन है, जिसकी स्थापना 1964 में मणिपुर को भारत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी एक सशस्त्र शाखा भी है, जिसे मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए) कहा जाता है। थोकचोम ज्ञानेशोर यूएनएलएफ के सैन्य कर्मियों के स्वघोषित मुखिया थे और यूएनएलएफ के विदेश और क्षेत्रीय मामलों के विभाग (ईआरएडी) के स्वघोषित सचिव भी रहे। लाइमायम आनंद शर्मा यूएनएलएफ के स्वघोषित खुफ़िया अधिकारी थे।

ईडी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर प्राथमिकी और आरोप पत्र तथा पूरक आरोप पत्र संख्या के आधार पर जांच शुरू की, जो पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय म्यांमार स्थित आतंकवादी संगठनों के नेतृत्व द्वारा मणिपुर राज्य में जातीय अशांति का फायदा उठाकर भारत सरकार के ख़िलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए रची गई अंतरराष्ट्रीय साजिश से संबंधित थी, जिसके द्वारा मणिपुर में सुरक्षा की स्थिति खराब की गई जो पीएमएलए 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराध हैं। एनआईए ने आईपीसी, 1860 की धारा 120 बी, 121 ए और 411; गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धाराएं 17, 18, 18ए, 18बी, 20, 38 और 39 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 को लागू किया है, उपर्युक्त आरोपी व्यक्तियों से जब्त डिजिटल उपकरणों के विश्लेषण से पता चला कि वे धन जुटाने, बजट तैयार करने और अवैध हथियार के अधिग्रहण में सक्रिय रूप से शामिल थे।

धन शोधन निवारण अधिनियम संबंधी जांच के दौरान, यह पता चला कि यूएनएलएफ के कार्यकर्ताओं द्वारा मणिपुर के आम लोगों और व्यापारियों को धमका कर, विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों आदि पर टोल टैक्स के अनधिकृत संग्रह/जबरन वसूली के जरिए भारी मात्रा में धन जुटाया/एकत्र किया जाता है। यूएनएलएफ के कार्यकर्ता ऐसी मांग करते समय अवैध हथियार भी रखते हैं, ताकि आम जनता को धमकाया जा सके। संग्रह/जबरन वसूली के जरिए जुटाई गई धनराशि नकद में एकत्र की जाती है, ताकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों की जांच से बचा जा सके। उक्त धन को यूएनएलएफ द्वारा एक बड़ी साजिश के तहत जुटाया गया, जिसका इस्तेमाल यूएनएलएफ कार्यकर्ताओं की भर्ती और प्रशिक्षण, अवैध हथियार और गोला-बारूद अधिग्रहण, संगठन और इसके शिविरों के रसद और रखरखाव की व्यवस्था के साथ-साथ कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत खर्चों पर योजनाबद्ध तरीके से किया गया था।

आतंक वित्तपोषण के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयां

श्री सौरभ मीणा
प्रवर्तन अधिकारी,
मुख्यालय, नई दिल्ली

आधुनिक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका आतंक वित्तपोषण के विरुद्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक शक्ति के रूप में उभरी है।

"आतंकवाद की असली ताकत उसकी बंदूकों में नहीं, बल्कि उसकी वित्तीय नसों में छुपी होती हैं।" यह सिद्धांत प्रवर्तन निदेशालय की संपूर्ण कार्यप्रणाली का मूलाधार है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999, और भगोड़ा आर्थिक अपराधी आधनियम (एफईओए) 2018 के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय ने आतंक वित्तपोषण के विरुद्ध एक त्रिआयामी रणनीति अपनाई है, जिसके परिणाम आज विश्वव्यापी सराहना के पात्र हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002: आतंक वित्तपोषण रोधी अभियान का मुख्य अस्त्र :-

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 भारत में आतंक वित्तपोषण से निपटने का सबसे शक्तिशाली कानूनी उपकरण है। इस अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं-संपत्ति की अनंतिम कुर्की (धारा 5) तलाशी और जब्ती (धारा 17-19) तथा संदिग्ध व्यक्तियों को समन भेजने की शक्ति (धारा 50)।

2015 से 2025 तक प्रवर्तन निदेशालय ने 5,892 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 92.68% की असाधारण सज़ा दर के साथ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि 2024-25 में प्रवर्तन निदेशालय ने ₹30,036 करोड की संपत्ति कुर्क की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 140.7% की वृद्धि दर्शाती हैं।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफाई) के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय का अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम - 2002 की प्रभावशीलता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। जांच में पाया गया कि पीएफाई ने विभिन्न माध्यमों से ₹94 करोड़ का अवैध फंड संग्रह किया था।

"शिक्षा के आवरण में शस्त्र प्रशिक्षण"-प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि पीएफआई शारीरिक शिक्षा के बहाने चाकू, लाठी और तलवार का प्रशिक्षण दे रहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में ₹ 61.72 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, 26 सदस्यों को गिरफ्तार किया, और 9 अभियोजन शिकायतें दायर कीं।

सितंबर, 2025 में एसाईएमआई और इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) नेटवर्क के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में "पाकिस्तान के खालिद के निर्देश पर काम करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। राजू खान मुख्य कड़ी के रूप में ₹ 48.82 लाख का लेन-देन करके 13% कमीशन के रूप में ₹ 6.34 लाख रखता था। यह "मल्टी-लेयर लान्ड्रिंग" का उत्कृष्ट उदाहरण था, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने कुल ₹9.15 लाख की संपत्ति कुर्क की।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अनुपालन और अंतरराष्ट्रीय मान्यता :-

2024 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा भारत को 'रेगुलर फॉलो-अप" कैटेगरी में रखा जाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सर्वोच्च रेटिंग श्रेणी है, जिसमें यूके, फ्रांस और इटली के साथ भारत चौथा जी-20 देश बना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के म्यूचुअल इवैल्यूएशन में भारत ने 40 में से 37 सिफारिशों में पूर्ण या बड़े पैमाने पर अनुपालन हासिल किया है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि भारत को किसी भी क्षेत्र में "गैर-अनुपालित" रेटिंग नही मिली और प्रभावशीलता में भी कोई "निम्न" रेटिंग नही मिली। भारत की एएमएल/सीएफटी व्यवस्था कई मामलों में विश्व के लिए अनुकरणीय है- फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स रिपोर्ट में विशेष रूप से वित्तीय खुफ़िया के उपयोग, राष्ट्रीय समन्वय और जोख़िम की समझ के मामले में भारत की सराहना की गई है।

सांख्यिकीय उत्कृष्टता और भविष्य की दिशा :-

प्रवर्तन निदेशालय का समग्र प्रदर्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कुल ₹154,594 करोड़ की संपत्ति अब तक कुर्क की गई हैं जिसमें से ₹1,06,730 करोड़ की पुष्टि न्यायिक प्राधिकरण द्वारा की गई हैं। कुल 461 अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करना 2024-25 का रिकार्ड है। आंतक वित्तपोषण के मामलों में 2019-2023 में 881 करोड़ रुपये (677.73 करोड़) घरेलू + (203.37 करोड़) विदेशी संपत्ति कुर्क की गई हैं।

"नो मनी फॉर टेरर" (एनएमएफटी) के सम्मेलन माध्यम से भारत ने आतंक वित्तपोषण के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का नेतृत्व किया है। 2022 में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे एनएमएफटी सम्मेलन में 18 देशों और 16 बहुपक्षीय संगठनों ने भाग लिया था।

निष्कर्ष - आतंक वित्तपोषण के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक अत्यंत सफल घटक है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999, और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 की त्रिमूर्ति के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय ने जो व्यापक व्यवस्था निर्मित की है, वह न केवल वर्तमान चुनौतियों से निपट रही हैं, बल्कि भविष्य की धमकियों के लिए भी तैयार है। "आतंकवाद की हार उसकी वित्तीय पराजय से शुरू होती है"-यह प्रवर्तन निदेशालय का मूल सिद्धान्त आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तकनीकी नवाचार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, और न्यायिक दक्षता के संयोजन से प्रवर्तन निदेशालय ने साबित कर दिया है कि "सुरक्षा केवल एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक अटूट संकल्प है" और यह संकल्प निरंतर साकार हो रहा है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999: सीमा पार वित्तीय सुरक्षा की दीवार:-

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 आतंक वित्तपोषण के अंतरराष्ट्रीय आयाम से निपटने का प्रभावी माध्यम है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 9 हवाला लेन-देन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने को निषिद्ध करती है। यह प्रावधान आतंकवादी संगठनों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है।

2024-25 में प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत ₹5,238 करोड का जुर्माना लगाया और कुल 40,044 मामले शुरू किए। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि 81% मामलों में न्यायिक निर्णय हो चुका है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की कुशल कार्यप्रणाली का प्रमाण है।

टोरेस पोंजी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते समय पाया कि अल्पेश खारा ने ज्वैलरी की बिक्री से मिली नकदी को न केवल हवाला के माध्यम से भेज़ा बल्कि यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में भी कन्वर्ट किया। इस ऑपरेशन में प्रवर्तन निदेशालय ने ₹6.30 करोड़ की नकदी बरामद की।

हवाला का "डिजिटल रूपांतरण" आज की सबसे बड़ी चुनौती है। हैदराबाद में ईगल के अधिकारियों ने एक ड्रग - हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया, जहां नाइजीरियन फोन नंबर से आई एक मिस्ड कॉल से पूरे नेटवर्क का पता चला। उत्तम सिंह नामक गोवा-आधारित पेडलर एक "वर्चुअल बार्टर सिस्टम" चला रहा था, जो आधुनिक हवाला व्यवस्था की जटिलता को दर्शाता है।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018: भगोड़ा के विरुद्ध प्रहार :-

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018) 2018 उन आर्थिक अपराधियों को निशाना बनाता है जो भारतीय न्यायालयों से बचने के लिए देश के बाहर रह रहे हैं। "न्याय से भागना अब न्याय से बचना नहीं हैं"-यह भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का मूल संदेश है। अब तक 15 व्यक्तियों के विरुद्ध आवेदन दायर किए गए हैं, जिनमें से 9 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इन मामलों में ₹900 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का महत्व इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव में हैं। यह संदेश देता है कि भारत से भागकर कोई भी व्यक्ति न्याय से बच नहीं सकता। विशेष रूप से आतंक वित्तपोषण के मामलों में, जहां अक्सर अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क शामिल होता है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 एक प्रभावी निवारक उपकरण साबित हो रहा है।

तकनीकी क्रांति और डिजिटल चुनौतियाँ:-

21 वीं सदी में आतंक वित्तपोषण की सबसे बड़ी चुनौती क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट से आई हैं। आतंकवादी संगठन अब बिट कॉइन, इथीरियम, टेदर (यूएसडीटी), और मोनेरो का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को बायपास करने की कोशिश कर रहे हैं। "क्रिप्टो एनॉनिमस हो सकती है, लेकिन न्याय एनॉनिमस नहीं"- प्रवर्तन निदेशालय के विशेषज्ञों ने यह सिद्ध किया है कि उचित तकनीक और विशेषज्ञता के साथ क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन को भी ट्रेक किया जा सकता है।

प्रवर्तन निदेशालय के ब्लॉकचेन एनालिसिस टूल्स, एआई - पावर्ड पैटर्न रिकग्निशन, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के माध्यम से अपनी तकनीकी क्षमताओं का उन्नयन किया है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नेट ग्रिड) के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय अब विभिन्न एजेंसियों के डेटाबेस को एकीकृत रूप से एक्सेस कर सकता है।

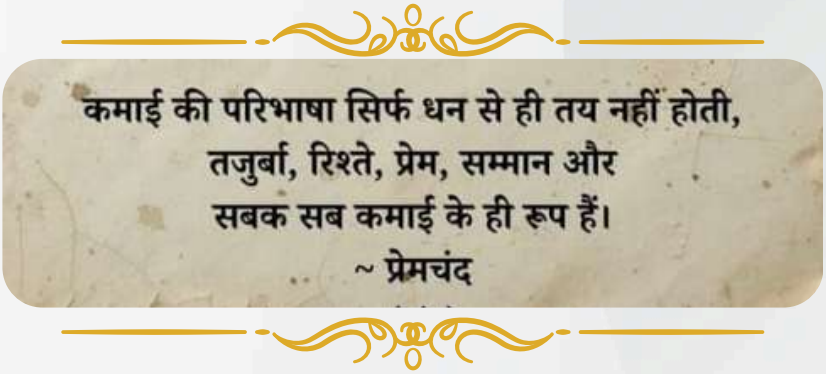

खंड-2

निदेशालय के कार्यक्रम एवं साहित्य-संस्कृति और राजभाषा :-

प्रवर्तन दिवस समारोह-2025

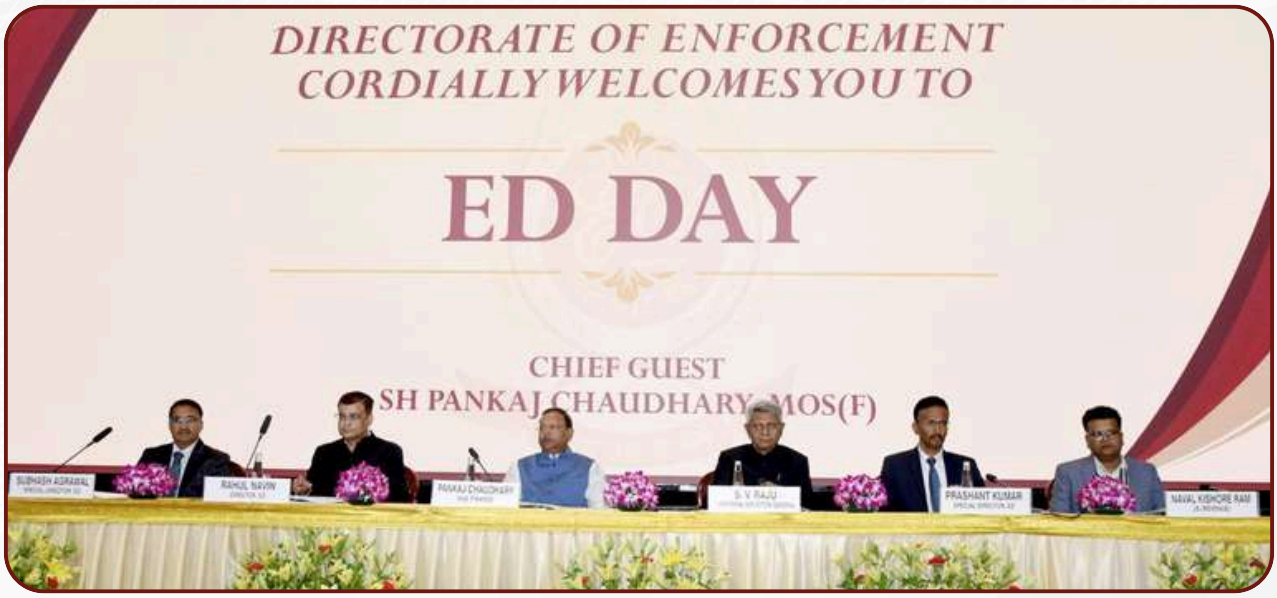

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने 1 मई, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित प्रवर्तन निदेशालय के 69वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस.वी. राजू, ईडी के निदेशक श्री राहुल नवीन, विशेष निदेशक श्री सुभाष अग्रवाल एवं श्री प्रशांत कुमार, तथा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव श्री नवल किशोर राम मंचासीन रहे। समारोह में ईडी के पूर्व निदेशक, विभिन्न जांच एजेंसियों के प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, देशभर के वरिष्ठ अधिकारी, तथा वित्त मंत्रालय एवं भारत सरकार के अधिकारी उपस्थित रहे।

श्री पंकज चौधरी का संदेश : विकसित भारत 2047 की दिशा में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका निर्णायक

वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विज़न यह है कि कोई भी आर्थिक अपराधी सामान्य और गरीब नागरिकों के अधिकारों से उन्हें वंचित न कर सके। इसके लिए निवारक उपायों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि अपराधियों को उचित दंड मिले। इन दोनों ही क्षेत्रों में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने आगे कहा कि जब भारत 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप और जटिलता दोनों ही बढ़ेंगी। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय को बदलते आर्थिक अपराधों के स्वरूप के अनुरूप अपनी दक्षता और तकनीकी क्षमता को निरंतर विकसित करते रहना होगा। "एक विकसित भारत का दृष्टिकोण, एक सुरक्षित भारत की परिकल्पना के साथ ही पूर्ण होता है। आर्थिक रूप से सुरक्षित भारत के निर्माण में प्रवर्तन निदेशालय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा।"

श्री पंकज चौधरी माननीय वित्त राज्य मंत्री

ईडी निदेशक श्री राहुल नवीन

प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक श्री राहुल नवीन ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत 5,113 नई जांचें प्रारंभ की गईं, जो औसतन प्रति वर्ष 500 से अधिक मामलों के बराबर हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 में 775 नई जांचें प्रारंभ की गईं, 333 अभियोजन शिकायतें दाखिल की गईं तथा 34 मामलों में दोषसिद्धि हुई। इस दौरान ₹30,036 करोड़ मूल्य की 461 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए – जो पिछले वर्ष की तुलना में संख्या में 44% और मूल्य में 141% वृद्धि दर्शाते हैं।

31 मार्च, 2025 तक अनंतिम रूप से कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य ₹1,54,594 करोड़ हो गया। न्यायालयों की स्वीकृति से ₹15,261 करोड़ की संपत्ति 30 मामलों में पीड़ितों को वापस की गई।

उन्होंने कहा कि "31 मार्च, 2025 तक विभिन्न चरणों में कुल 1,739 मुक़दमे विचाराधीन हैं। अब तक 47 मामलों में निर्णय आया है, जिनमें केवल 3 में बरी हुई है, जिससे प्रवर्तन निदेशालय की सजा दर 93.6 प्रतिशत रही है।"

मनी लॉन्ड्रिंग के बदलते परिदृश्य पर ए.एस.जी. श्री एस.वी. राजू का आह्वान

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस.वी. राजू ने अपने संबोधन में कहा कि आज की आर्थिक व्यवस्था में क्रिप्टोकरेंसी और हवाला नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के नए उपकरण बन रहे हैं। उन्होंने ईडी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे बदलते वित्तीय परिदृश्यों के अनुरूप अपनी जांच पद्धतियों को अद्यतन रखें तथा पीएमएलए के अंतर्गत उपलब्ध विधिक उपकरणों का समुचित उपयोग करें।

वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन एवं उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान

इस अवसर पर श्री पंकज चौधरी ने "प्रवर्तन निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2024–25)" का विमोचन किया। समारोह में ईडी के अधिकारियों एवं जोनल इकाइयों को विभिन्न श्रेणियों में कुल 23 पुरस्कार प्रदान किए गए।

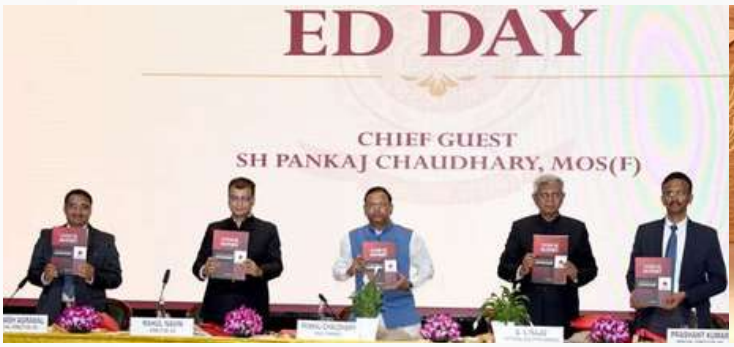

प्रवर्तन निदेशालय का 69वां स्थापना दिवस (1 मई, 2025) संस्था की सात दशकों की निष्ठा, पारदर्शिता और राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा। वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी द्वारा प्रस्तुत संदेश ने यह स्पष्ट किया कि "विकसित भारत 2047" की दिशा में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका न केवल आवश्यक बल्कि अभिन्न और निर्णायक होगी।

खेल दिवस का आयोजन:

मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में आयोजित खेल दिवस की झलकियां।

हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद की स्मृति में भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय खेल दिवस' की घोषणा की गई, जिसके तहत दिनांक 29-08-2025 को निदेशालय में खेल और योग का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यालय एवं मध्य क्षेत्र को लेकर संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसमें सुश्री पद्मा, उपनिदेशक, मध्य क्षेत्र ने समन्वयक की भूमिका निभाई एवं प्रशासन, मुख्यालय के सहयोग से योग अभ्यास, रस्साकशी खेल, साइकलिंग आदि खेलों का प्रशिक्षण-प्रतियोगिता के साथ बड़े रोचकता और पेशेवर प्रशिक्षकों के दिशानिर्देशों के तहत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यालय एवं मध्य क्षेत्र के सभी विशेष निदेशक एवं उच्च अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। निदेशक महोदय ने राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाइयां देते हुए सभी को योग एवं खेलकूद को प्रोत्साहित करते हुए स्वयं की भी सक्रिय रूप से भागीदारी की अपील की।

खेल दिवस के कार्यक्रम में प्रवर्तन निदेशक महोदय का सम्बोधन

प्रवर्तन निदेशालय में 29 अगस्त, 2025 को आयोजित खेल दिवस के दौरान की गई गतिविधियों की झलकियां

राजभाषा प्रचार-प्रसार की कुछ झलकियां।

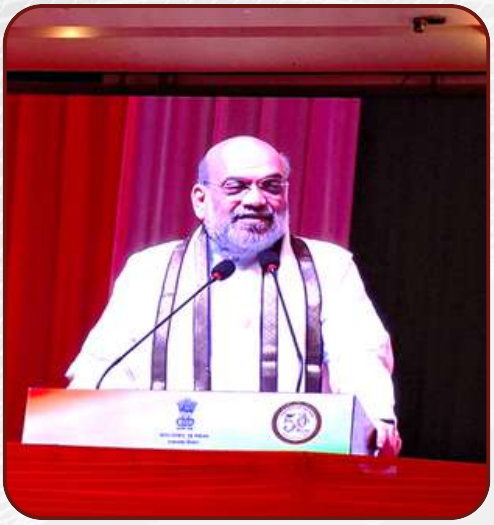

26 जून, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित "राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह" की कुछ झलकियां : प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भेजी गई **एआई पर लघु फिल्म** के लिए पुरस्कार प्राप्त करते हुए सहायक निदेशक (रा.भा.)

राजभाषा प्रचार-प्रसार की कुछ झलकियां।

14 सितंबर, 2025 को हिंदी दिवस के अवसर पर गांधीनगर, गुजरात में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में सम्बोधन भाषण देते हुए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी एवं मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण ।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी एवं आदरणीय अतिथियों द्वारा विभिन्न टूल्स और पुस्तकों का लोकार्पण।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में आदरणीय अथितियों द्वारा दृष्टिबाधित कार्मिकों एवं छात्रों को एआई (AI) सुविधा वाला बहुभाषी चश्मा दिया गया।

वैज्ञानिक सेमीकंडक्टर की प्रदर्शिनी पर सचिव, राजभाषा श्रीमती अंशूली आर्या।

मंच पर उपस्थित मशहूर अभिनेता श्री मनोज जोशी, श्री चन्द्रप्रकाश द्विवेदी एवं राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव महोदया।

भारतीय सांस्कृतिक विविधता की अनुपम झलकियां।

राजभाषा सम्मेलन में विभिन्न हिंदी प्रचार-प्रसार समितियों की प्रदर्शिनी।

हिंदी-साहित्यकार: राष्ट्रकवि दिनकर जी का साहित्यिक जीवन-वृत्तान्त।

श्री अंकुर गुप्ता,
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
मुख्यालय।

अरुणोदय

नई ज्योति से भींग रहा उदयाचल का आकाश,
जय हो, आँखों के आगे यह सिमट रहा खग्रास ।

है फूट रही लालिमा, तिमिर की टूट रही घन कारा है,
जय हो, कि स्वर्ग से छूट रही आशिष की ज्योतिर्धारा है।

बज रहे किरण के तार, गूँजती है अम्बर की गली-गली,
आकाश हिलोरें लेता है, अरुणिमा बाँध धारा निकली।

प्राची का रुद्ध कपाट खुला, ऊषा आरती सजाती है,
कमला जयहार पिन्हाने को आतुर-सी दौड़ी आती है।

जय हो उनकी, कालिमा धुली जिनके अशेष बलिदानों से,
लाली का निर्झर फूट पड़ा जिनके शायक-सन्धानों से।

परशवता-सिन्धु तरण करके तट पर स्वदेश पग धरता है,
दासत्व छूटता है, सिर से पर्वत का भार उतरता है।

मंगल-मुहूर्त्त; रवि ! उगो, हमारे क्षण ये बड़े निराले हैं,
हम बहुत दिनों के बाद विजय का शंख फूँकनेवाले हैं।

मंगल-मुहूर्त्त; तरुगण ! फूलो, नदियो ! अपना पयदान करो,
जंजीर तोड़ना है भारत, किन्नरियो ! जय-जय गान करो।

भगवान साथ हों, आज हिमालय अपनी ध्वजा उठाता है,
दुनिया की महफिल में भारत स्वाधीन बैठने जाता है।

आशिष दो वनदेवियो ! बनी गंगा के मुख की लाज रहे,
माता के सिर पर सदा बना आजादी का यह ताज रहे।

आजादी का यह ताज बड़े तप से भारत ने पाया है,
मत पूछो, इसके लिए देश ने क्या कुछ नहीं गँवाया है।

जीवन परिचय:

रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन् 1908 ई को बिहार राज्य के तत्कालीन मुंगेर (अब बेगूसराय) जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। इनकी अल्पायु में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक कारणों से आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। अतः इन्हें नौकरी करनी पड़ी। कुछ दिनों तक इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। 1934 में दिनकर को बिहार सरकार के अधीन सब-रजिस्ट्रार की नौकरी मिली।

लोकतंत्र की अलख जगाती क्रांतिकारी हुंकार भरी दिनकर की कविताओं से अंग्रेज भी घबराते थे, यही वजह थी कि सब-रजिस्ट्रार पद पर सेवा के दौरान प्रथम चार वर्षों में अंग्रेजी शासन ने 22 बार उनका ट्रांसफर किया ताकि वे नौकरी छोड़ दें। हिंदी के अलावा कवि दिनकर उर्दू, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा के भी अच्छे जानकर थे। 1947 में वे प्रचार विभाग के उप-निदेशक और फिर मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वर्ष 1952 में दिनकर को राज्यसभा का सदस्य चुना गया और 12 वर्षों तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बने।

जब तोप सामने खड़ी हुई, वक्षस्थल हमने खोल दिया,
आई जो नियति तुला लेकर, हमने निज मस्तक तोल दिया।

माँ की गोदी सूनी कर दी, ललनाओं का सिन्दूर दिया,
रौशनी नहीं घर की केवल, आँखों का भी दे नूर दिया।

तलवों में छाले लिए चले बरसों तक रेगिस्तानों में,
हम अलख जगाते फिरे युगों तक झंखाड़ों, वीरानों में।

आजादी का यह ताज विजय-साका है मरनेवालों की,
हथियारों के नीचे से खाली हाथ उभरनेवालों की।

इतिहास! जुगा इसको, पीछे तस्वीर अभी जो छूट गई,
गांधी की छाती पर जाकर तलवार स्वयं ही टूट गई।

जर्जर वसुन्धरे ! धैर्य धरो, दो यह संवाद विवादी को,
आजादी अपनी नहीं; चुनौती है रण के उन्मादी को।

हो जहां सत्य की चिनगारी, सुलगे, सुलगे, वह ज्वाल बने,
खोजे अपना उत्कर्ष अभय, दुर्दान्त शिखा विकराल बने।

सबकी निर्बाध समुन्नति का संवाद लिए हम आते हैं,
सब हों स्वतन्त्र, हरि का यह आशीर्वाद लिए हम आते हैं।

आजादी नहीं, चुनौती है, है कोई वीर जवान यहाँ ?
हो बचा हुआ जिसमें अब तक मर-मिटने का अरमान यहाँ ?
आजादी नहीं, चुनौती है, यह बीड़ा कौन उठाएगा?
खुल गया द्वार, पर कौन देश को मन्दिर तक पहुँचाएगा ?

है कौन, हवा में जो उड़ते इन सपनों को साकार करे?
कौन उद्यमी नर, जो इस खंडहर का जीर्णोद्धार करे?

माँ का अँचल है फटा हुआ, इन दो टुकड़ों को सीना है,
देखें, देता है कौन लहू, दे सकता कौन पसीना है?

रोली लो, उषा पुकार रही, पीछे मुड़कर टुक झुको-झुको
पर, ओ अशेष के अभियानी, इतने पर ही तुम नहीं रुको।

आगे वह लक्ष्य पुकार रहा, हाँकते हवा पर यान चलो,
सुरधनु पर धरते हुए चरण, मेघों पर गाते गान चलो।

पीछे ग्रह और उपग्रह का संसार छोड़ते बढ़े चलो,
करगत फल-फूल-लताओं की मदिरा निचोड़ते बढ़े चलो।

बदली थी जो पीछे छूटी, सामने रहा, वह तारा है,
आकाश चीरते चलो, अभी आगे आदर्श तुम्हारा है।

निकले हैं हम प्रण किए अमृत घट पर अधिकार जमाने को,
इन ताराओं के पार इन्द्र के गढ़ पर ध्वजा उड़ाने को।

सम्मुख असंख्य बाधाएँ हैं, गरदन मरोड़ते बढ़े चलो,
अरुणोदय है, यह उदय नहीं, चट्टान फोड़ते बढ़े चलो।

रचनाएं:

कविता रचने का भाव रामधारी सिंह दिनकर के मन में उनके घर में प्रतिदिन होने वाले रामचरित मानस के पाठ को सुनकर जागा। पहले जहां छायावादी कविताओं का बोलबाला था दिनकर ने हिंदी कविताओं को छायावाद से मुक्ति दिलाई एवं आम जनता के बीच पहुंचाने का काम किया। दिनकर ने अधिकतर कविताएं वीर रस में लिखी। जनवादी, राष्ट्रवादी कविताओं के अलावा दिनकर ने बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर कविताओं की रचना की। इनमें चाँद का कुर्ता, सूरज का ब्याह, चूहे की दिल्ली यात्रा इत्यादि प्रमुख हैं।

दिनकर की सशक्त लेखनी के लिए कई पुरस्कार यथा 'साहित्य अकादमी पुरस्कार', 'पद्म विभूषण,' 'भारतीय ज्ञानपीठ' इत्यादि से सम्मानित किया गया। 1968 में उन्हें राजस्थान विद्यापीठ ने साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया।

हिंदी साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर की उनकी राष्ट्रप्रेम और ओजस्वी कविताओं के लिए एक जन कवि के साथ-साथ राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी मिलने के बाद तक उनकी लिखी कविताएं, उनके लिखे लेख, निबंध लोगों में आजादी के प्रति, संस्कृति के प्रति जोश जगाने वाले रहे। इसके बाद दिनकर ने कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी जिनमें रेणुका, परशुराम की प्रतिज्ञा, हुंकार और उर्वसी काफी प्रचलित रचनाएं हैं।

दिनकर के लिखे निबंधों में अर्द्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, वटपीपल आधुनिक बोध इत्यादि प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। उनकी लिखी पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' काफी चर्चित रही, जिसे 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाज़ा गया।

हरिवंश राय बच्चन ने उनके लिए कहा था कि "दिनकर जी को एक नहीं चार ज्ञान पीठ पुरस्कार मिलने चाहिए थे। उनकी गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी की सेवा के लिए अलग-अलग दिए जाते"। उर्वशी लिखते समय दिनकर बीमार रहने लगे थे और डॉक्टरों ने उन्हें लिखने से मना कर दिया था। इन सबके बावजूद उन्होंने किताब को पूरा किया। 24 अप्रैल, 1974 को कवि दिनकर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात 1999 में भारत सरकार ने उनके नाम से डाक टिकट जारी किया।

निदेशालय के अधिकारियों का राजभाषा हिंदी में रचनात्मक योगदान।

ईश्वर

श्री विनय कौशल,
अपर निदेशक,
प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय।

ईश्वर के संबंध में
कौन, क्या, कैसा, कहां के
प्रश्न उठते होंगे
तुम्हारे उर में भी
मचाकर उथल-पुथल
तो जान लो कि
ईश्वर शायद एक भावना है
जो होती है रूपांतरित
मनोभावों के साथ ही ।।
जब उठ जाएं पग
अनैतिकता के पथ पर
तो ईश्वर भय है ।।

जब कोई हिंसक किसी निरीह को देखकर
जाने दे उसे सहर्ष
तो ईश्वर हृदय में उपजी दया है ।।

जब अन्याय के विरुद्ध
भृकुटी, नसें तन जाएँ
तो ईश्वर क्रोध है ।।

वृद्धजनों, गुरुजनों के समक्ष
जब शीश झुके श्रद्धावत
तो ईश्वर नम्रता है ।।

धराशायी, कराहते, बिलखते
शत्रु के मुख में
अंजुली से जल डाले
विजयी वीर
तो ईश्वर मानवता है ।।

ईश्वर एक भावना है
होती है जिसकी अनुभूति दिल से
ईश्वर मन में ही बसी
शायद एक भावना है ।।

बुद्ध

खुल कर हंसने का वरदान माँगा था
तुम ने कभी ना रो पाने का अभिशाप दे दिया
मिट्टी था तो मिट्टी का एहसास देते
सांसों से भी आहत होने वाला
ये कैसा अभिमान दे दिया?
दु:ख दिया तो दिया
कोई शिकायत नहीं
क्यों दु:ख का एहसास दे दिया?
सिद्धार्थ था जो बुद्ध हो गया
तेरे दिए दुखों का एहसास पाकर
दु:ख क्यों दिए
जब मुझे बुद्ध बनना ही नहीं?
मुझे बुद्ध नहीं बनना

रहने भी दो

तोड़ दो सब
बल्ब ट्यूबें,
बुझा दो
सारी मशालें
सारे दीपक
सारी बत्तियां

कि दिन को
उजला रखने की
सम्भावना बची नहीं
रात तो अंधेरी रहने दो।

बेरोजगार

बाप अनपढ़ था
मेहनत-मजदूरी से
थका-मांदा
रात को
आसमान निहारता
असंख्य तारों को देखता अचरज से
कुदरत के चमत्कार
को करता नमस्कार
और सो जाता
निश्चिंत।

बेटा
पढ़ लिख गया
वह तारों को
बिंदु मानकर
हवा में उंगली घुमाता रहता है
तारों से
क ख ग
बनाता रहता है
रात भर ।।

ऑपरेशन सिंदूर

श्री श्रेय वत्स भा.पु.से.
उपनिदेशक,
दिल्ली आंचलिक कार्यालय-1।

हमारी बढ़ती प्रगति, मान और समृद्धि से ज्वलित तुमने,
पर्यटक-प्रिय पहलगाम की स्वर्ग-तुल्य भूमि में तुमने
अपनी दुष्ट-बर्बर प्रकृति के अनुरूप व्यवहार किया
परिचय पूछ 26 निर्दोषों-मासूमों का नरसंहार किया,

एक होकर सभी भारतीयों ने वेदना को अनुभूत किया
बार-बार की धृष्टता से व्यथित यह संकल्प लिया
समझ कमज़ोर हमारे संयम को किया तुमने प्रकुपित
सिंदूर का क्या महत्व है करवाना पड़ेगा तुम्हें विदित।

घनी-रात तुम्हारे अड्डे भेद, अपने पराक्रम का सूर्य कर उदीप्तमान
मुहतोड़ जवाब दे आये गरुड़-सदृश हमारे जवान और वायुयान
समझ लिया पूरे विश्व ने, भारत अब नहीं करेगा कोई अनुग्रह
वक्ष पर तुम्हारे भारतीय हस्ताक्षर के साक्षी हुए तमाम देशों के उपग्रह,

पिटने के बाद तुमने फ़ितरतन झूठा प्रोपगैंडा चालू किया
वीडियो गेम की क्लिप को अपने शौर्य का प्रमाण बता दिया
फ़र्ज़ी उपलब्धियों पर खुद ही की पीठ बेशर्मी से थपथपाई
किये प्रयास तुमने भी अनेक, पर भारत को एक खरोंच न आयी,

घूम-घूम पूरी दुनिया, चाहे ले लो जिसकी भी कृपा, भीख या दान
पुनः हुए अधम तो स्मरण रखना, नहीं मिलेगा कोई अभयदान
हिरण्यकशिपु को भी प्राप्त था विधाता से जटिल बड़ा वरदान
उचित अवसर पर नरसिंह के वज्रनखों से हुआ था उसका भी अवसान,

रक्तबीज की भांति आतंकी उत्पन्न करते रहोगे तुम,
तो देवी काली को सिद्ध करना आता है हमें
भोलेशंकर की समाधी भंग करोगे तुम ,
तो महाकाल का आह्वान करना आता है हमें
समझ कमज़ोर हमारे संयम को किया तुमने प्रकुपित
सिंदूर का क्या महत्व है करवाना पड़ेगा तुम्हें विदित।

वाट्सऐप ओवरलोड

सारा ज़माना मुझे बुद्धिजीवी है समझता
तरह तरह का सन्देश दिनभर वाट्सऐप पर है भेजता
टिन-टिन की ध्वनि और उज्ज्वलित स्क्रीन
"भैया ये पढ़ो! बॉस ये देखो! बंधु क्या विचार हैं ?"
हिमस्खलन की भांति आते सन्देश जब देखता हूँ
अनायास ही बिना कुछ किये थक जाता हूँ।

मिडल-ईस्ट, इकोनॉमिक्स, सत्यजीत रे पर क्रिटिसिज़्म
वारेन बफेट, एटॉमिक हैबिट्स, लल्लनटॉप का जर्नलिज़्म
कैसे मान लिया उन्होंने कि ब्रह्माण्ड के हर विषय पर
शोध करने की रूचि और समय होगा मेरे पास
मेरी चेतना, मेरा दिमाग़ और मेरा फ़ोन भर चुके हैं
जैसे दूध उफनता है, उस स्थिति में पहुंच चुके हैं।

काश वे समझ पाते इन्फ़ॉर्मेशन ओवरलोड से हूँ त्रस्त
है बस आराम और उत्तेजना-विहीन कुछ समय की चाहत
भाग जाऊं हिमालय पर, ले अज्ञातवास हो जाऊं परोक्ष
बस किसी प्रकार वाट्सऐप से उत्पन्न उद्विग्नता से मिले मोक्ष
फिर स्मरण होता है - जीना है आधुनिक इन्फ़ॉर्मेशन युग में ही
"वाट्सऐप-पूर्व काल ही अच्छा था" बोल अपनी असहायता स्वीकार लेता हूँ।

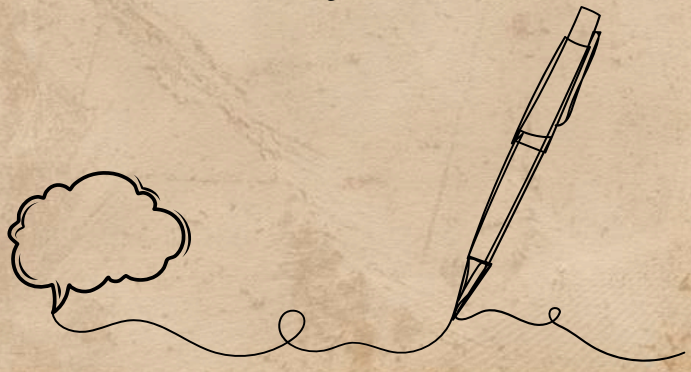

माँ

माँ, तू सुबह की पहली किरण है,
जिसके स्पर्श से अंधेरा भी,
सोने की तरह चमक उठता है।
तेरे आँचल की ठंडी हवा,
थके मन को भी झूला झुला देती है,
और तेरी दुआओं की ओट में,
दुनिया की हर चोट फीकी पड़ जाती है।

माँ, तेरी आँखों में अनगिनत कहानियाँ छिपी हैं,
कभी त्याग की, कभी संघर्ष की, कभी उस हंसी की,
जो आंसुओं के पीछे भी चमकती हैं।
तेरे स्पर्श से मिट जाती है, हर दर्द की धार,
तेरे शब्दों में ही बसता है, पूरी सृष्टि का प्यार।

माँ, तेरा होना ही
जैसे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है,
तेरे बिना ये संसार अधूरा, वीरान, बंजर है।
तू ही प्रार्थना है, तू ही विश्वास है, तू ही वो धड़कन है,
जो मेरे हर सांस से चलती है।
माँ, अगर भगवान से मांगना हो कुछ
तो मैं बस तुझे ही मांगू, हर जन्म में, हर जीवन में,
क्योंकि तू ही मेरा सबसे सच्चा आश्रय है।

सुश्री प्रतिमा कुमारी,
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
रांची आंचलिक कार्यालय।

भाई- मेरा सहारा

सपनों की डगर पे चलता,
हर मुश्किल में ढ़ाल बनता,
भाई वो है जो चुपके से,
आँखों के आँसू पढ़ लेता।

बचपन की हँसी, झगड़े,
खेल, यादों में आज भी मुस्कुराते हैं,
हर बार गिरने पर उठाने वाले,
भाई ही तो भगवान कहलाते हैं।

कंधे पर सिर रख रो लूँ,
तो सारी थकान मिट जाती है,
भाई के साथ हो तो जिंदगी,
कितनी भी कठिन, आसान बन जाती है।

दूरी चाहे कितनी बढ़ जाये,
दिल का रिश्ता नहीं टूटता है,
भाई का प्यार तो वो धागा है,
जो हर जन्म में साथ जुड़ता है।

सुश्री जूही कुमारी,
प्रवर श्रेणी लिपिक,
कोलकाता आंचलिक कार्यालय-1, कोलकाता।

माँ

माँ को माँ ही रहने दो, उसमें देवी मत ढूंढो तुम,
है वह भी एक इंसान ही, उसकी खुशियों का गला मत घोंटो तुम।

माँ करती है अपनी इच्छाओं को कुर्बान तेरी चाहतों के आगे,
उसकी खुशी का भी तो ध्यान कभी रखो तुम।

माँ जाती है जान मन की हर बात बिन कहे,
इस बार बिन कहे ख्वाहिशें उसकी भी जानो तुम।

है रखती वो सबका ख्याल हर घड़ी बिना थके,
कभी उसका भी तो ख्याल रखो तुम।

है वह भी एक इंसान ही,
इंसान ही रहने दो तुम।।

विश्व की आवश्यकता: सहकारिता एवं वसुधैव कुटुंबकम

श्री शिवम नेगी,
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
प्रवर्तन निदेशालय, मध्य क्षेत्र।

आज के समय में विश्व जिन जटिल चुनौतियों से जूझ रहा है, उनमें शांति, सहयोग और एकता सबसे बड़ी जरूरत के रूप में सामने आती है। चाहे वह पर्यावरणीय संकट हो, युद्ध और आतंकवाद की समस्या हो, गरीबी और असमानता हो या फिर तकनीकी प्रतिस्पर्धा का दबाव हर क्षेत्र में समाधान केवल एक ही दिशा में इशारा करता है वह है सहकारिता तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना।

सहकारिता का महत्व:

सहकारिता केवल मिलजुलकर काम करना भर नहीं बल्कि संवेदनाओं, संसाधनों और उत्तरदायित्व का साझा होना है। व्यक्तिगत लाभ की अंधी दौड़ ने आज हर जगह असमानता और तनाव को जन्म दिया है। इसके विपरीत यदि हम एक-दूसरे का साथ दें तथा सभी के उत्थान की दिशा में कार्य करें तो जीवन की राह सरल और संतुलित बन सकती है।

गांधी जी ने कहा था कि "धरती पर हर किसी की जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन किसी एक का लालच नहीं"। यह संदेश सहकारिता की आत्मा को अभिव्यक्त करता है।

वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा- भारतीय संस्कृति का यह प्राचीन दर्शन दुनिया को एक परिवार मानता है। संस्कृत श्लोक, "अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम। "उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम" के अनुसार महान व उदार व्यक्ति सम्पूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं। आज जब सीमाएं टूट रही है और पूरी दुनिया तकनीक से एक सूत्र में बंध रही है, इस श्लोक का महत्व और भी गहरा हो गया है।

यदि हम इस पृथ्वी को एक परिवार मान लें, तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं, संरक्षण होगा। युद्ध और हिंसा नहीं, बल्कि संवाद और साझेदारी होगी। अमीर-गरीब की खाई नहीं, बल्कि साझा विकास की राह खुलेगी।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान के दो प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा एवं नागाशाकी पूरी तरह से खंडहर हो गए थे, तब वहां के लोगों ने 'सहकारिता' एवं 'एकता' को ही अपने पुनर्निर्माण का आधार बनाया। हर नागरिक, चाहे वह मजदूर रहा हो या वैज्ञानिक, व्यापारी- देश को उठाने में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। परिणामस्वरूप कुछ दशकों के भीतर ही जापान एक शक्तिशाली और सम्पन्न राष्ट्र बन गया।

यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि सहकारिता की भावना यदि राष्ट्र की धड़कन बन जाए तो नामुमकिन-सी प्रतीत होने वाली परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में भी यह काफी प्रासंगिकता रखती है।

आज जलवायु परिवर्तन केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है। ग्लेशियरों का पिघलना, अन्न की कमी, जल संकट ये सब पूरे मानव समुदाय को प्रभावित करते हैं। इसका हल केवल वैश्विक सहयोग से ही संभव है। इसी प्रकार आतंकवाद, महामारी जैसी समस्याएं भी सीमाएं नहीं मानती। कोविड-19 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां वैक्सीन विकास, प्रसार और आपूर्ति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग से मानव जीवन की रक्षा हो पाई।

"एक और एक ग्यारह होते हैं" यह कहावत सहकारिता की शक्ति को सहज रूप में दर्शाती है कि जब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा काफ़ी अधिक प्रभावी होती है।

निष्कर्ष: आज विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि संकीर्ण स्वार्थ व राजनीति से ऊपर उठकर पूरी मानवता को एक परिवार माना जाए। सहयोग की भावना हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक व्यवहार तक व्याप्त हो। यदि हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हुए सहकारिता को अपना जीवनमंत्र बना लें तो ऐसा कोई संकट नहीं, जिसे मानवता पार न कर सके। यही दिशा हमें शांति, समृद्धि और सतत विकास के मार्ग पर अग्रसर कर सकती है।

"जब मनुष्य 'मैं' से 'हम' की ओर बढ़ता है, तभी सच्चे मानव धर्म की शुरुआत होती है।

भाषा और शिक्षा : एक दूसरे के पूरक

श्री रवींद्र सिंह
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
प्रवर्तन निदेशालय,
मध्य क्षेत्र, नई दिल्ली।

शिक्षा और भाषा एक-दूसरे की पूरक हैं। भाषा से विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा शिक्षा से विचारों की समझ विकसित होती है। भाषा शिक्षा का माध्यम बनती है तथा शिक्षा से भाषा पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। जहां एक ओर शिक्षा समाज को जीवन-यापन हेतु उपयुक्त बनाती है वहीं दूसरी ओर भाषा समाज में निहित भावों को अपनी वाणी प्रदान करती है। दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। किसी भी समाज को जोड़े रखने के लिए शिक्षा और भाषा दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। एकता व अखंडता की भावना शिक्षा से पनपती है तथा भाषा किसी समाज को एकता के संपर्क-सूत्र में बांधने का कार्य करती है।

हिंदी भारतीय जन-मानस को एक संपर्क-सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखती है। शायद यही कारण है कि महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाषचंद्र बोस जी की मातृभाषा बांग्ला होने के बावजूद उन्होंने 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' का नारा हिंदी में ही दिया था। यही कारण है कि संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था तथा संविधान के अनुच्छेद 351 के माध्यम से संघ सरकार को राजभाषा हिंदी के विकास व प्रचार-प्रसार का दायित्व सौंपा था।

भारत विविधताओं का देश है। यहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 69.2 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों के द्वारा हिंदी प्रथम, द्वितीय व तृतीय भाषा के रूप में बोली जाती है जोकि तत्कालीन कुल जनसंख्या का 57.1% है।

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 'जहां सोच वहां शौचालय', 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' 'सबका साथ, सबक विकास' आदि नारे हिंदी में ही दिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा सके। भारत की अधिकांश जनता को शिक्षित करने के लिए उपयुक्त भाषा हिंदी है इसीलिए भारतीय शिक्षा पद्धति में हिंदी का स्थान सर्वोच्च तथा इसका महत्व अतुलनीय है।

भारत सरकार राजभाषा हिंदी के विकास तथा प्रचार-प्रसार के क्रम में अनेक नियमों व कानूनों के तहत प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरस्कार व प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य कर रही है। भारत सरकार के कार्यालयों में कार्यरत जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को हिंदी पढ़ने, लिखने व समझने में कठिनाई के कारण राजभाषा नीति के अनुपालन में समस्या होती है उनको निर्धारित योग्यता के आधार पर प्राज्ञ, प्रवीण, प्रबोध व पारंगत आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिंदी में कार्यसाधक व प्रवीण बनाए जाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करवाने में भारत सरकार पर वित्तीय बोझ तो पड़ता ही है इसके अलावा कार्य-बोझ की अधिकता के कारण संबंधित कार्यालय भी प्रशिक्षण हेतु नामित अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने में सहजता का अनुभव नहीं करते हैं। साथ ही साथ प्रौढ़ विद्यार्थियों पर हुए शोध से यह भी उजागर हुआ है कि बढ़ती आयु के साथ अधिकतर प्रौढ़ों में कुछ नया सीखने के प्रति कठोरता की भावना विकसित हो जाती है जिसके कारण वे नया सीखने के प्रयास करना कम कर देते हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए शिक्षा में हिंदी का महत्व बढ़ जाता है। कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अतः बाल-मन में किसी भाषा, संस्कृति आदि के लिए कोई दुर्भावना नहीं होती है इसीलिए यदि बचपन से ही सभी विद्यार्थियों को हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाए तो सरकार पर आर्थिक बोझ कुछ कम पड़ेगा तथा भारत के सभी नागरिकों में हिंदी के प्रति अपनत्व व प्रेम की भावना जागृत होगी जिससे हिंदी के विकास तथा इसके प्रचार-प्रसार को गति मिलेगी।

भारतीय भाषागत विविधता को संजोने के साथ-साथ हिंदी को पूर्णरूपेण राजभाषा के रूप में स्थापित करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' विषय पर दिए अपने वक्तव्य में कहा था कि बच्चा जिस भी भाषा में आसानी से सीख सके उस भाषा को ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अपने वक्तव्य के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय भाषाओं (मातृभाषा) में शिक्षा पर ज़ोर दिया है।

हमारा देश काफी लंबे समय तक विदेशी आक्रान्ताओं व उपनिवेशीकरण का शिकार रहा है जिसके कारण हमने गुलामी की मानसिकता के साथ भारतीय भाषाओं और उनकी समृद्ध परंपराओं की उपेक्षा की है। विदेशी भाषा को बोलने व लिखने में गर्व की अनुभूति करने और भारतीय भाषा-भाषियों विशेष-तौर पर हिंदी-भाषियों को हीन दृष्टि से देखने वाले इसी गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त हैं। इस पराधीनता की शृंखला को तोड़ने के लिए यह अनिवार्य है कि हम हिंदी सहित अपनी भारतीय भाषाओं को सीखें। सीखने का यह क्रम बच्चों से शुरू होना चाहिये। बच्चों के लिए हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं सीखना आसान है क्योंकि सभी भारतीय भाषाएं भारतीय भाषा परिवार नामक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं। हिंदी सीखने से ही इसके वृहद साहित्य और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के समृद्ध भंडार तक पहुंच सकते हैं। हिंदी के माध्यम से न केवल भारत में शिक्षा की जड़ें मजबूत होंगी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता को भी मजबूती मिलेगी क्योंकि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है।

किसी भी देश की एकता, अखंडता और उसके सांस्कृतिक विस्तार में उस देश के जन-मानस द्वारा बोली जाने वाली भाषा(एं) तथा उस देश की मूल शिक्षा-पद्धति में प्रयुक्त भाषा निर्णायक भूमिका का निर्वाह करती है। अनेक देशों में शिक्षा के माध्यम की भाषा तथा जन-मानस की मातृभाषा एक ही होती है, परंतु भारत के मामले में आमतौर पर अंग्रेजी को शिक्षा की भाषा माना जाता है। यही कारण है कि भारत में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में नामांकन बढ़ रहा है तथा हिंदी माध्यम के विद्यालयों में यह स्थिति विपरीत है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। जन-मानस और शिक्षा की भाषा समान, सहज व सरल होने पर ही विद्यार्थियों में सृजनशीलता विकसित होगी तथा विज्ञान व तकनीकी के संप्रत्ययों को रटने के बजाय वे उन्हें समझकर नवाचारों की ओर अग्रसर होंगें। सामाजिक परिवर्तन में समय लगता है। अतः वर्तमान स्थिति को धीरे-धीरे ही अपने पक्ष में किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार, यदि संभव हो, औपचारिक शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा (मातृभाषा) के साथ-साथ हिंदी भाषा के अध्ययन को अनिवार्य कर सकती है। इससे भारत की आने वाली पीढ़ी सृजनशील व वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली तो बनेगी ही साथ ही साथ भारत की एकता, अखंडता तथा सांस्कृतिक-विस्तार के प्रति सचेष्ट एवं आस्थावान भी रहेगी।

भारत की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत के स्वतंत्रता-सेनानियों व संविधान निर्माताओं के विचारों के अनुरूप भारतीय जन-मानस को हिंदी के माध्यम से एक संपर्क-सूत्र में बांधना होगा। इस संपर्क-सूत्र को मजबूती प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी के गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने के सपने को साकार करने के लिए हमें भारत की प्राचीन गौरवशाली संस्कृति को पोषित करते हुए इसके विस्तार के प्रयास करने होंगे। भारत की अधिकांश आबादी की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण हिंदी हमारी संस्कृति के विस्तार का कार्य स्वदेशी शिक्षा के सहयोग से बखूबी कर सकती है।

संदर्भ:-

1.जे. ए. चार्ल्स (1929), प्रौढ़ शिक्षा की चुनौतियां।
2.के.वी.एल.एन. मूर्ति, पी. दिवाकर राव- अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में उच्च नामांकन के कारक- एक अध्ययन।
3.शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार- एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली रिपोर्ट (वर्ष 2022-2023)।

भाषाई विविधता बनाम भाषाई विवाद

भारत की भाषाई विरासत की उदात्त विविधता

श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र,
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय)

भारत का भाषाई परिदृश्य एक शानदार रंगीन चित्रकारी से कम नहीं है—सैंकड़ों भाषाओं और बोलियों के जीवंत धागों से बुना एक अनुपम चित्रपट, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक लय को प्रतिध्वनित करता है। भाषाओं की यह बहुध्वनि केवल जनसांख्यिकीय विविधता का प्रमाण नहीं है; यह भारतीय सभ्यता की आत्मा है, जो इसके साहित्य, रीति-रिवाजों और रोज़मर्रा के व्यवहारों में स्पंदित होती है। हालांकि, इस शानदार विविधता में कभी-कभी विरोधाभास भी दिखता है। असंख्य भाषाओं का सह-अस्तित्व—जिनमें से प्रत्येक को उनके बोलने वालों ने बेहद प्यार से संजोया है—कभी-कभी टकराव पैदा करता है, जिससे एकता और बहुलता के बीच संतुलन बनाने वाली नाजुक कड़ी कभी-कभी कमज़ोर पड़ती प्रतीत होती है, किन्तु, विविधता का उत्सव मानाने वाले राष्ट्र में ऐसे क्षण बहुत लंबी अवधि तक नहीं रहते, और कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात सब एक ही स्वर में भारत की एकता का जयगान करते नजर आते हैं।

भाषाई विविधता: सांस्कृतिक संपदा

भारत की भाषाई विविधता एक सांस्कृतिक वरदान भी है और नीतिगत दुविधा भी। भारत की लगभग आधी आबादी कई भाषाओं में अद्भुत कुशलता से काम करती है—घरों, बाज़ारों और कक्षाओं में फैली बोलियों का एक ऐसा संगम जो रोज़मर्रा की जिंदगी में व्यवहार की जाती है। यह भाषाई कुशलता एक अनुकूलनशील भावना को दर्शाती है, जो भारत के सह-अस्तित्व के सदियों पुराने लोकाचार का प्रतीक है। भारत की भाषा संगम परियोजना जैसी पहल स्कूली बच्चों को विभिन्न भारतीय भाषाओं के अभिवादन और भावों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करके, बहुलता के प्रति गर्व बोध का पोषण करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 बहुभाषी शिक्षा की वकालत करके इस लोकाचार को और संस्थागत रूप देती है, इसकी परिकल्पना है कि बच्चे की मातृभाषा संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास का आधार है। इस नीति का दृष्टिकोण ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो भाषाई रूप से कुशल, सांस्कृतिक रूप से संपुष्ट और वैश्विक जुड़ाव के लिए तैयार हों। माडिया जैसी लुप्तप्राय बोलियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा धन का आवंटन भारत की इस मान्यता को परिलक्षित करता है कि भाषाई विलुप्ति सांस्कृतिक विस्मृति के समान है। आर्थिक दृष्टि से, भाषाई परिदृश्य नवाचार के लिए उपजाऊ ज़मीन है—जहां भाषा प्रौद्योगिकियां, अनुवाद सेवाएं और सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित उद्यमिता फल-फूल सकती है।

भाषाई विवादों की ऐतिहासिक पांडुलिपि

भाषाई विवाद की वर्तमान रूपरेखा को समझने के लिए, विरोध और वितंडों से भरे ऐतिहासिक पांडुलिपि को समझना होगा। स्वतंत्रता के बाद, भारत को भाषाई बहुलता के बीच एकता स्थापित करने के विशाल कार्य का सामना करना पड़ा। हिंदी को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारने के प्रयास का, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में, तीव्र प्रतिरोध हुआ, जिसकी परिणति तमिलनाडु में हुए उग्र हिंदी-विरोधी आंदोलनों के रूप में हुई। ये उथल-पुथल केवल भाषा नीति की प्रतिक्रियाएं नहीं थीं; ये सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्तता के गहन दावों की प्रतिध्वनि थी। इस उथल-पुथल भरे इतिहास ने त्रि-भाषा सूत्र का मार्ग प्रशस्त किया, जो एक महत्वाकांक्षी और संतुलनकारी कार्य था, जिसमें स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन की सिफारिश की गई थी।

फिर भी, असहमति की गूंज बनी रही, खासकर जब इस सूत्र को भाषाई समरूपता के लिए एक ट्रोजन हॉर्स के रूप में देखा जाने लगा। हिंदी को एक मात्र भाषा स्वीकारने की तमिलनाडु की चिंता स्वाभाविक थी, उनका मत था कि राष्ट्रीय एकता की आड़ में भाषाई विविधता नष्ट हो सकती है। हाल ही में, महाराष्ट्र भी इसी भाषाई चिंताओं का शिकार हुआ, जहां मराठी-हिंदी की गतिशीलता राजनीतिक गलियारों और सार्वजनिक विमर्श में गूंज रही है। ये घटनाएँ इस बात पर ज़ोर देती हैं कि भारत में भाषा विवाद कभी-कभी केवल शब्दावली तक ही सीमित नहीं होते; ये पहचान, स्वायत्तता और सांस्कृतिक पूंजी के संवितरण तक की लड़ाइयां बन जाती हैं।

पहचान के रूप में भाषा

भाषा वह आधार है जिस पर व्यक्तिगत और सामूहिक पहचानें टिकी होती हैं। भारत में, जहां भाषाई पहचान अक्सर क्षेत्रीयता से जुड़ी होती है, वहां भाषा सांस्कृतिक स्मृति की वाहिका और राजनीतिक संघर्षों में तलवार दोनों बन जाती है। हिंदी को एक "संपर्क भाषा" के रूप में बढ़ावा देने को कुछ लोग एकता की शक्ति के रूप में महत्व देते हैं, जबकि कुछ इसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहकर इसकी निंदा करते हैं। भाषाई विवाद के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग बिना किसी प्रभुत्व के भाषा के सह-अस्तित्व की वकालत करते हैं, जहां भाषाई गौरव को भाषाई अंधराष्ट्रवाद में बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, कुछ लोग अक्सर भाषा को एक शक्तिशाली संघचालक के रूप में इस्तेमाल करते हैं—अपने उद्देश्यों के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक रंगमंच से परे, भाषा कविता और गीत, लोककथा और दर्शन की रीढ़ है, जो लाखों लोगों के अपने संसार की कल्पना करने और अपने अंतरतम को अभिव्यक्त करने के तरीके को आकार देती है। भारतीय जन भाषा सर्वेक्षण जैसी पहल लुप्तप्राय भाषाओं को विस्मृति से बचाने के प्रयास में लगी हैं, यह मानते हुए कि भाषा का विनाश संपूर्ण विश्वदृष्टि और ज्ञान परंपराओं के विलोपन के समान है।

शिक्षा का संकट: मातृभाषा, बहुभाषावाद और आधुनिकता

शैक्षणिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि बच्चे प्रारंभिक वर्षों में अपनी मातृभाषा में पढ़ाए जाने पर सबसे प्रभावी ढंग से ज्ञान प्राप्त करते हैं। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इसी प्रमाण को प्रतिध्वनित करती है और प्राथमिक शिक्षा पहली भाषा में दिए जाने की वकालत करती है। फिर भी, वाणिज्य, विज्ञान और वैश्विक विमर्श की भाषा के रूप में अंग्रेजी की निर्विवाद प्रतिष्ठा असमानता को जन्म देती है। अंग्रेजी का आकांक्षात्मक आकर्षण अक्सर परिवारों को अपनी मातृभाषा की कीमत पर अंग्रेजी को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है, जिससे शहरी परिवेश में क्षेत्रीय भाषाओं का क्षरण होता है। इसके अलावा, त्रि-भाषा सूत्र को लागू करने की व्यावहारिक चुनौतियां—विभिन्न भाषाई प्राथमिकताएँ, संसाधनों की कमी और राजनीतिक प्रतिरोध—लचीली, संवेदनशील रणनीतियों की मांग करती हैं। यह सुनिश्चित करना कि बच्चे त्रिभाषी नागरिक बनें—जड़ से जुड़े, एक नाजुक, अधूरी परियोजना बनी हुई है।

आर्थिक आयाम: वैश्वीकृत युग में भाषाई पूंजी

भाषाई विविधता केवल एक सांस्कृतिक परिघटना ही नहीं, बल्कि एक जीवंत आर्थिक संसाधन भी है। डिजिटल होते भारत में, भाषा प्रौद्योगिकियां—मशीन अनुवाद, वाक् पहचान और क्षेत्रीय भाषा सामग्री—उद्यमिता और रोज़गार के अपार अवसर खोलती हैं। भाषा और प्रौद्योगिकी का अंतर्संबंध नवाचार का एक नया आयाम है, जो पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने और लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण का वादा करता है। भाषाविदों का भाषा के आधार पर विभाजन पैदा करने के प्रयासों से दूर रहने का आह्वान, राष्ट्रीय शक्ति और आर्थिक जीवन शक्ति के स्रोत के रूप में भाषाई बहुलता का उपयोग करने की अनिवार्यता पर ज़ोर देता है। हालांकि, इसके लिए उन निरंतर पदानुक्रमों को दूर करना होगा जहां किसी एक भाषा का प्रभुत्व है, जो कई क्षेत्रीय भाषाओं और उनके बोलने वालों को हाशिए पर धकेल रहे हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, भाषाई अनुसंधान और समावेशी नीति निर्माण में निवेश की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक विकास भाषाई न्याय के अनुरूप हो। इसी क्रम में, राजभाषा विभाग द्वारा स्थापित भारतीय भाषा अनुभाग एक बेहद संवेदनशील पहल है, जो सभी भारतीय भाषाओं को एक समान दृष्टि से देखने का प्रयास करता है।

सरकार की भूमिका: नीतियां, पहल और कार्यान्वयन की चुनौतियां

भारतीय राज्य ने भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाने के लिए कई नीतियां बनाई हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो बहुभाषावाद और संज्ञानात्मक समावेशिता पर ज़ोर देती है। साथ ही, भाषा संगम जैसे कार्यक्रम युवा शिक्षार्थियों को विविध भाषाओं से परिचित कराते हैं और उनमें सहानुभूति और सम्मान का भाव जगाते हैं। फिर भी, भारत की राजनीति का संघीय स्वरूप जहां एक तरफ अनेकता में निहित एकता की मिसाल है वहीं दूसरी तरफ एकता में लुप्त होती अनेकता की चिंता को जन्म देता है। राज्य अपने भाषाई विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं, और कभी-कभी एकता को प्रतिष्ठित करने वाले केंद्रीय आदेशों का केवल इसलिए विरोध करते हैं कि उन्हें उनकी सांस्कृतिक विरासत के खो देने का भय भी होता है। भोजपुरी या तुलु जैसी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने पर चल रही बहस भारत के भाषाई लोकतंत्र की जीवंतता को उजागर करती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी पहल सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देकर भाषाई विभेदों को दूर करने की आकांक्षा रखती है। हालांकि, सफल नीति क्रियान्वयन में राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक समन्वय और भारत के बहुलवादी आदर्श के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

भाषाई पूर्वाग्रह: अभिशाप और समावेशिता

संवैधानिक गारंटियों के बावजूद, भाषाई पूर्वाग्रह सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूपों में मौजूद हैं। क्षेत्रीय बोलियों या "अमानक" लहजे के बोलने वाले, जैसे कि बिहार या झारखंड के हिंदी भाषी, अक्सर उपहास और सामाजिक कलंक का शिकार होते हैं, जिससे राष्ट्रीय ताने-बाने को खंडित करने वाले गहरे पूर्वाग्रह उजागर होते हैं। भाषाई पूर्वाग्रह से निपटने के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों से कहीं अधिक इसके लिए शिक्षा, सकारात्मक प्रतिनिधित्व और सामाजिक संवाद के माध्यम से सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता है। मीडिया, साहित्य और नीति के माध्यम से हाशिए पर पड़ी भाषाओं और बोलियों को ऊपर उठाने से गर्व का बोध हो सकता है और भेदभाव कम हो सकता है। अंततः, सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक समृद्धि के लिए भाषाई सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

निष्कर्ष: भाषाई बहुलता को एकता के स्तंभ के रूप में अपनाना

भारत की भाषाई विविधता, जो कभी-कभार मतभेद का कारण बनती है, वह मूलतः उसकी सबसे गहरी सांस्कृतिक संपत्ति है। चुनौती—और अवसर—इस बहुलता को बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प के साथ अपनाने में निहित है। समावेशी शिक्षा, सम्मानजनक संवाद, समतामूलक नीति और उत्सवपूर्ण सांस्कृतिक पहलों को बढ़ावा देकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि हर भाषा का सम्मान हो, हर पहचान का सम्मान हो और हर आवाज़ को सशक्त बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली शब्दों में, "भारत की ताकत उसकी एकता में है, एकरूपता में नहीं।" इस दृष्टिकोण को सही मायने में साकार करने के लिए, भारत को अपनी भाषाई विविधता को अपनी स्थायी एकता और जीवंत लोकतंत्र के स्रोत के रूप में संजोना होगा। भाषाई विविधता विवादों की जन्मदाता नहीं है; बल्कि, यह वह उपजाऊ मिट्टी है जहां से राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत फलती-फूलती है। विभाजक शक्ति होने के बजाय, भाषाई विविधता राष्ट्र की सामूहिक चेतना को समृद्ध करने का कार्य करती है। प्रत्येक भाषा कहानियों, दर्शन और विश्वदृष्टि का भंडार है जो अस्तित्व और मानवीय अनुभव पर अनूठे दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। सम्मान और समावेशिता के साथ पोषित होने पर, यह बहुलता भारत के लोगों की विविध व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाली एक शानदार गैलरी बन सकती है।

चुनौती शून्य-योग प्रतिमानों से आगे बढ़ने में है—जहां एक भाषा के लाभ को दूसरी भाषा की हानि के रूप में न देखा जाता है—और एक ऐसे ढांचे की ओर बढ़ना है जो भाषाई विविधता को एक साझा धरोहर के रूप में मान्यता देता है। नीतिगत ढांचों, शैक्षिक प्रणालियों और सांस्कृतिक पहलों को ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए जहां भाषाएं प्रतिस्पर्धा न करें बल्कि सहजीवी सामंजस्य में सह-अस्तित्व में रहें, और नवाचार और सहानुभूति के उत्प्रेरक के रूप में भिन्नता का जश्न मनाएं। इस असाधारण विरासत के संरक्षक के रूप में, भारत के नीति निर्माताओं, बुद्धिजीवियों और नागरिकों को एक ऐसा आख्यान गढ़ने की जरूरत है जो भाषाई बहुलता को एक कथित ख़तरे से राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक में बदल दे। ऐसा करके, भारत न केवल अपने अतीत की आवाज़ का सम्मान करेगा, बल्कि एक ऐसे भविष्य का भी निर्माण करेगा है जहां विविध व्यक्तित्व और सामूहिक पहचान एक जीवंत, समावेशी लोकतंत्र की सतत कहानी में विरोधी नहीं, बल्कि नित्य-साझेदार हों।

मातृभाषा में शिक्षा का महत्व

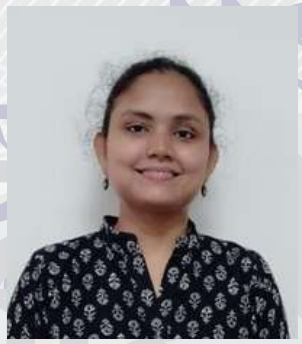

सुश्री अनीता,
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
मुख्यालय, नई दिल्ली।

भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति, पहचान और चिंतन की नींव है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि यही वह पहली ध्वनि है जिसे वह सुनता है, समझता है और जिसमें अपने भावों को अभिव्यक्त करना सीखता है। शिक्षा जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मूल आधार है, जब मातृभाषा में दी जाती है, तो वह अधिक सहज, सुगम और प्रभावी हो जाती है। भारत जैसे बहुभाषी और सांस्कृतिक विविधता वाले देश में, 'मातृभाषा में शिक्षा का महत्व' और भी बढ़ जाता है। यह न केवल सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि छात्रों को उनकी जड़ों से जोड़कर एक मजबूत शैक्षिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान करता है।

मातृभाषा में शिक्षा के मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक लाभ

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करता है, तो वह सीखी हुई अवधारणाओं को आसानी से आत्मसात कर लेता है। उसे विचारों को समझने और व्यक्त करने के लिए एक अतिरिक्त भाषा की बाधा को पार नहीं करना पड़ता। इससे उसकी संज्ञानात्मक क्षमता का विकास बेहतर ढंग से होता है। वह रटने की (Cognitive ability) बजाए विषय वस्तु को समझने पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, जिससे उसकी विश्लेषणात्मक (Analytical) और तार्किक (Logical) सोच को बढ़ावा मिलता है।

इसके विपरीत जब शिक्षा का माध्यम एक अपरिचित भाषा होती है, तो छात्र का अधिकांश ध्यान और ऊर्जा भाषा को समझने में ही खर्च हो जाती है।

इससे न केवल सीखने की गति धीमी होती है, बल्कि छात्रों में आत्मविश्वास की कमी और कक्षा में भागीदारी में रुकावट भी पैदा हो सकती है। शोध यह भी दर्शाते हैं कि मातृभाषा में शिक्षित बच्चों में रचनात्मकता (Creativity) और मौलिकता (originality) अधिक पाई जाती है, क्योंकि वे बिना किसी भाषाई बाधा के अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पाते हैं।

सामाजिक - सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और पहचान का निर्माण

मातृभाषा व्यक्ति को उसके समाज, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती है। जब शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होता है, तो पाठ्यक्रम में स्थानीय कहानियों, लोककथाओं, इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश स्वाभाविक रूप से हो जाता है। यह छात्रों में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और सम्मान की भावना पैदा करता है। वे अपने समुदाय के ज्ञान और अनुभवों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, जिससे उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है।

भारत जैसे देश में जहां 'कोस- कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी' अर्थात् जहां कुछ किलोमीटर पर बोली और संस्कृति बदल जाती है, मातृभाषा में शिक्षा, भाषाई विविधता को संरक्षित और संवर्धित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विभिन्न भाषाओं को विलुप्त होने से बचाती है और एक समावेशी शैक्षिक वातावरण का निर्माण करती है, जहां हर छात्र अपनी भाषाई पृष्ठभूमि के कारण सम्मानित महसूस करता है।

भारत के विशेष संदर्भ में उदाहरण और प्रयास:

ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो, भारत में गुरुकुल परंपरा में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएं ही हुआ करती थीं। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी के प्रभुत्व ने इस व्यवस्था को क्षति पहुंचाई, जिसके दुष्परिणाम आज भी देखे जा सकते हैं। हालांकि, स्वतंत्रता के पश्चात से ही विभिन्न शिक्षा आयोगों ने मातृभाषा में शिक्षा की वकालत की है।

हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया है। इस नीति में कम से कम कक्षा 5 तक और संभव हो तो कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह नीति इस बात को स्वीकार करती है कि बच्चे अपनी भाषा में सबसे बेहतर सीखते हैं।

इसके कई सफल उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। ओडिशा जैसे राज्यों में आदिवासी समुदाय के लिए उनकी अपनी बोलियों में पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं, जिससे आदिवासी बच्चों के नामांकन और सीखने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने की पहल यह दर्शाती है कि उच्च और तकनीकी शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में सफलतापूर्वक प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा भी विभिन्न भाषाओं में शिक्षण सामग्री विकसित करने के प्रयास सराहनीय हैं।

चुनौतियां और समाधान

मातृभाषा में शिक्षा के मार्ग में कई चुनौतियां भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता :-

- **शिक्षकों की कमी:** सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न भाषाओं और बोलियों में प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता है।
- **गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री का अभाव:** सभी भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री का अभाव एक बड़ी बाधा है।
- **अंग्रेजी का प्रभुत्व:** वैश्विक संपर्क और रोजगार के अवसरों के कारण अंग्रेजी भाषा के प्रति सामाजिक आकर्षण और दबाव बना हुआ है, जिससे कई अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं।
- **बहुभाषी कक्षाएँ:** एक ही कक्षा में अलग-अलग मातृभाषा वाले छात्रों का होना भी शिक्षकों के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करती है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकारों को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना होगा, स्थानीय लेखकों और शिक्षाविदों को अपनी भाषा में पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न भाषाओं में डिजिल शिक्षण साधन उपलब्ध कराने होंगे। बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षकों को एक सेतु भाषा (Bridge language) का उपयोग करने और विभिन्न भाषाओं को कक्षा में सम्मान देने जैसी रणनीतियों को अपनाना होगा।

निष्कर्षत: मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। यह न केवल उनकी शैक्षिक नींव को मजबूत करती है, बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की भाषाई विविधता उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। इस विविधता को संरक्षित करने और शिक्षा को अधिक समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी बनाने के लिए मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है लेकिन उसकी सफलता उसके कार्यान्वयन और सामाजिक मानसिकता में बदलाव पर निर्भर करेगी। जब हर बच्चे को अपनी भाषा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, तभी हम सच्चे अर्थों में शिक्षित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकेंगे।

ऑपरेशन सिंदूर: आतंक के विरुद्ध ऐतिहासिक कदम

खून से रंगे पथ पे, निर्दोष नागरिक खोए,
धर्म के नाम पर, मासूम अरमान रोए।
उठी फिर भारत माँ, आंसू पोंछने के लिए,
'सिंदूर' बना संकल्प, शत्रु को रोकने के लिए।
वीरांगनाओं नें थामी, शक्ति और शौर्य की डोर,
उनके नेतृत्व से गूंजा, "ऑपरेशन सिंदूर"।
नारी शक्ति का संदेश, गूँजे दूर-दूर,
भारत का संकल्प यही, अमन रहे भरपूर।

सुश्री आशा,
प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय नई दिल्ली।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में आतंकवाद लंबे समय से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है। देश की अखंडता, शांति और विकास को बाधित करने वाले आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध समय-समय पर सरकार और सुरक्षाबलों ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में 'ऑपरेशन सिंदूर' एक ऐतिहासिक और निर्णायक अभियान के रूप में उभरा है।

" जब शांतिप्रिय भारत शस्त्र उठाता है, तो यह केवल आत्मरक्षा नहीं, बल्कि न्याय की उद्घोषणा होती है।"

"ऑपरेशन सिंदूर" एक भारतीय विशेष सैन्य अभियान है, जो भारत-पाकिस्तान सीमा/पाकिस्तान एवं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए संचालित किया गया। यह अभियान 22-04-2025 को पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान से है। "ऑपरेशन सिंदूर" के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान तथा पीओके में स्थित बहुत से आतंकवादी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की।

यह ऑपरेशन मुख्यत: उन क्षेत्रों में केंद्रित था जहां आतंकवादी गतिविधियों की जड़ें गहराई तक फैली हुई थी। इस अभियान का नाम 'सिंदूर' देश की सांस्कृतिक परंपराओं और शौर्य की भावनाओं को दर्शाता है। सिंदूर, जो शक्ति, समर्पण और सम्मान का प्रतीक है।

उद्देश्य :

- आतंकवादी ठिकानों का पता लगाना व उन्हें निष्क्रिय करना।
- सीमा पार से हो रही घुसपैठ को रोकना।
- घाटी में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करना।।
- प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता स्थापित करना।

मुख्य विशेषताएं:

- ऑपरेशन से पहले विस्तृत खुफ़िया नेटवर्क के माध्यम से आतंकवादी ठिकानों की पहचान की गई।
- ड्रोन, सेटेलाइट, इमेजिंग और नाइट विजन जैसे उन्नत उपकरणों का प्रयोग किया गया।
- नौ प्रमुख आतंकी शिविरों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, बिना किसी सैन्य अड्डे या नागरिक प्रतिष्ठान को क्षति पहुंचाए हुए।
- इस अभियान में महिला अधिकारियों ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई जिससे 'सिंदूर' नाम और भी सार्थक हो गया।

ऐतिहासिक महत्व:

"ऑपरेशन सिंदूर" न केवल एक सैन्य सफलता है, बल्कि यह भारतीय सुरक्षातंत्र की एकता, कुशलता और संकल्प शक्ति का प्रमाण भी है। इसके माध्यम से आतंकी संगठनों को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा और भारत आतंकी आतंकवाद के विरुद्ध हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार है। इसके द्वारा भारत, विपक्षी देशों को यह संदेश भी देता है कि भारत के पास आतंकवाद, सीमा पर हमलों और अन्य सुरक्षा ख़तरों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियां और संसाधन हैं।

रक्त की हर बूंद ने दिया शांति को उत्थान,
"ऑपरेशन सिंदूर" बना भारत की आन-बान-शान का प्रमाण।

भारत की कूटनीतिक सफलता यह रही कि इस ऑपरेशन के बाद 'कश्मीर मुद्दा' अब सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं रहा बल्कि दुनिया इसे आतंकवाद के चश्मे से देखने लगी। पाकिस्तान जो दशकों से कश्मीर को लेकर वैश्विक सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता रहा है। अब उसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग पड़ गया है। इस ऑपरेशन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि यह केवल वायु सेना का कारनाम नहीं था। थल सेना, नौ सेना और वायु सेना तीनों ने मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया। यह भारत की 'त्रिसेना सामरिक शक्ति और उनके बीच के समन्वय की मिसाल है।

भारत अब केवल पीड़ा सहने वाला नहीं, बल्कि दृढ़ निर्णय देने वाला राष्ट्र है। ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि नाम से ही विदित है, यह भारत की उस लाल रेखा का प्रतीक है जिसे कोई पार करे तो उसका उत्तर दिया जाएगा और वो भी पूरे सम्मान, संकल्प और संयम के साथ। यह सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस नई राष्ट्रीय चेतना का भी स्मरण है जो कहती हैं: **"हम शांति चाहते हैं, पर डरते नहीं। और अगर शांति भंग हुई तो भारत चुप नहीं रहेगा।"**

ऑपरेशन सिंदूर में नारी शक्ति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस अभियान में महिला अधिकारियों ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाकर यह सिद्ध किया कि नारी केवल श्रद्धा और करुणा की प्रतिमूर्ति ही नहीं, बल्कि शौर्य और संकल्प की ध्वजवाहक भी है। सिंदूर का नाम स्वयं स्त्री की आस्था और शक्ति का प्रतीक है, और जब यह नारी के हाथों संचालित हुआ तो उसका महत्व और भी बढ़ गया। नारी ने इस अभियान में रणनीति, साहस और अदम्य इच्छाशक्ति का परिचय देकर भारत की सुरक्षा को नई दिशा दी। यह इस बात का प्रमाण है कि जब नारी राष्ट्र की रक्षा में अग्रसर होती है तो उसकी शक्ति जीवनदायिनी स्रोत से बदलकर विनाशकारी आतंक के विरुद्ध अस्त्र बन जाती है। इस प्रकार, ऑपरेशन सिंदूर नारी शक्ति के उत्थान और उसकी निर्णायक भूमिका का जीवंत उदाहरण है।

निष्कर्ष:

ऑपरेशन सिंदूर भारतीय इतिहास में आतंकवाद के ख़िलाफ लड़े गए अभियान में एक मील का पत्थर है। यह अभियान न केवल आतंक के ख़िलाफ कार्यवाही का प्रतीक है, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा-शांति, साहस और समर्पण का भी प्रतीक बन चुका है। इसके माध्यम से भारत विश्व को यह संदेश देता है कि यह एक सशक्त, सजग और आत्मनिर्भर राष्ट्र है, जो हर चुनौती का सामना कर सकता है।

अमर रहे वह यज्ञ सा-सिंदूर अभियान
भारत का यह प्रण रहा, न हो आतंक का स्थान।

खंड-3

निदेशालय की राजभाषा गतिविधियां एवं राजभाषा प्रोत्साहन :-

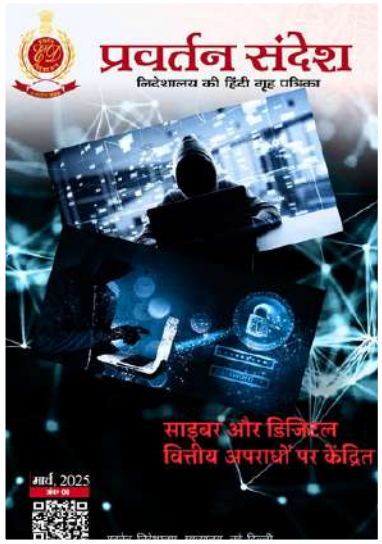

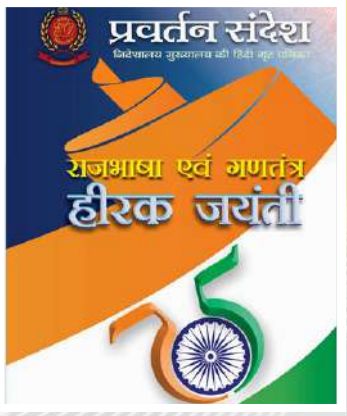

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) में हिंदी दिवस/माह/पखवाड़ा -2025 का आयोजन भाषायी सौहार्द और समरसता का उत्सव –एक रिपोर्ट

-श्री हर्ष कुमार मीना, आशुलिपिक

राजभाषा विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण एवं निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के निदेश के अनुपालन तथा उनकी प्रेरणा से प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) में दिनांक 14 सितम्बर, 2025 से 15 अक्टूबर, 2025 तक हिंदी दिवस/पखवाड़ा/माह का आयोजन हर्षोल्लास और गरिमा के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 14-15 सितम्बर, 2025 को आयोजित हिंदी दिवस सह पंचम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, गांधी नगर, गुजरात में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में किया गया। राजभाषा विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय के सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने उक्त आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की।

(क) रचनात्मक प्रतियोगिता एवं सहभागिता :-

निदेशक महोदय की प्रेरणा से 14 सितम्बर, 2025 से 15 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित हिंदी दिवस/पखवाड़ा/माह के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) के अधियारियों/कर्मचारियों में हिंदी के बीज के पल्लवन के उद्देश्य कुल 9 रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं– यथा कविता पाठ- यह प्रतियोगिता हिंदी भाषी एवं हिंदीतर भाषी अधिकारी/कर्मचारी हेतु अलग-अलग आयोजित की गई; पूर्व निर्धारित विषयों पर निबंध लेखन; हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता; हिंदी टंकण; हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता; श्रुत लेख प्रतियोगिता; प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता; 'हिंदी नारा लेखन तथा हिंदी में कार्यालयीन कामकाज की गति बढ़ाने हेतु उत्कृष्ट सुझाव' प्रतियोगिता और लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता।

उल्लेखनीय है कि इन प्रतियोगिताओं में न केवल मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों से 70 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों यथा विशेष निदेशक महोदय, अपर निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय, उप निदेशक महोदय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज की।

निदेशक महोदय ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए हिंदी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के निरंतर एवं गुणवत्तापूर्ण प्रयोग से प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। उन्होंने संदेश दिया कि सभी अधीनस्थ कार्यालयों को हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करना चाहिए ताकि अधिकारियों में हिंदी के प्रति उत्साह और रुचि बढ़े, वे अपना कार्यालयी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करें।

हिंदी पखवाड़ा/माह 2025 का यह आयोजन न केवल एक हिंदी प्रतियोगिताओं का सामान्य कार्यक्रम था, बल्कि यह 'भाषायी समरसता' को साकार करने की दिशा में एक ऐसा प्रयास रहा जिसने कार्यस्थल पर हिंदी के गौरव, प्रयोग और सहजता को पुनः स्मरण करवाया। प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) का यह आयोजन अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

(i) हिंदी माह/पखवाड़े के दौरान किए गए नवोन्मेषी कार्यों का ब्यौरा :-

(क) निदेशालय में हिंदी माह/पखवाड़े के दौरान कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागी द्वारा किए गए कविता पाठ के वीडियो तैयार किए गए जिनका मूल्यांकन-समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया।

(ख) निदेशालय में हिंदी माह/पखवाड़े के दौरान 'हिंदी दिवस की महत्ता एवं निदेशालय में इसके भव्य आयोजन' अथवा प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में प्रवर्तन निदेशालय की गौरवमयी यात्रा' विषय पर लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

(ग) 'हिंदी नारा लेखन तथा हिंदी में कार्यालयीन कामकाज की गति बढ़ाने हेतु उत्कृष्ट सुझाव' प्रतियोगिता-समूह–क वर्ग के अधिकारियों के लिए हिंदी भाषी एवं हिंदीतर भाषी श्रेणी में अलग-अलग आयोजित की गई जिसमें निदेशालय के सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी से लेकर विशेष निदेशक ने भी हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को हिंदी भाषी श्रेणी एवं हिंदीतर भाषी श्रेणी में 03-03 पुरस्कार दिए गए तथा 10 प्रतिभागियों को हिंदी में कार्यालयीन कामकाज की गति को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप स्मृति चिह्न दिया गया।

(ii) हिंदी माह/पखवाड़ा का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह-

दिनांक 15/10/2025 को प्रवर्तन निदेशालय में हिंदी माह/पखवाड़े के समापन समारोह के दौरान मुख्यालय में कार्यालयी कामकाज में हिंदी की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एआई (AI) आधारित अनुवाद टूल्स पर हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को स्मृति स्वरूप राजभाषा की कॉफी टेबल बुक "संघटनतः पूर्णतां प्रति चरैवेती चरैवेती, सिंदूर: परंपरा, प्रतीक और पराक्रम एवं एआई पर "बहुभाषी भारत में भाषा प्रौद्योगिकी और एआई की भूमिका" पुस्तक भेंट की गई। इसके उपरांत निदेशक महोदय की उपस्थिति में पखवाड़ा/माह की पूर्णाहुति एक गरिमामय पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुई, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को निदेशक महोदय के कर कमलों द्वारा प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 37 अधिकारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।

निदेशक महोदय ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए हिंदी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के निरंतर एवं गुणवत्तापूर्ण प्रयोग से प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। उन्होंने संदेश दिया कि सभी अधीनस्थ कार्यालयों को हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करना चाहिए ताकि अधिकारियों में हिंदी के प्रति उत्साह और रुचि बढ़े, वे अपना कार्यालयी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करें।

हिंदी पखवाड़ा/माह 2025 का यह आयोजन न केवल एक हिंदी प्रतियोगिताओं का औपचारिक कार्यक्रम था, बल्कि यह 'भाषायी समरसता' को साकार करने की दिशा में एक ऐसा प्रयास रहा जिसने कार्यस्थल पर हिंदी के गौरव, प्रयोग और सहजता को पुनः स्मरण करवाया। प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) का यह आयोजन अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) में आयोजित हिंदी पखवाड़ा/माह 2025 के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी एवं निर्णायक मंडली।

हिंदी माह/ पखवाड़ा 2025 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं का परिणाम

प्रतियोगिता का नाम	विजेता का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री), पदनाम एवं पुरस्कार राशि		
	प्रथम (2500/-रु.)	द्वितीय (2000/-रु.)	तृतीय (1500/-रु.)
हिंदी नारा लेखन तथा हिंदी में कामकाज हेतु उत्कृष्ट सुझाव - (हिंदीतर भाषी)	टी. शंकर, विशेष निदेशक (एचआईयू)	धनश्री पाटील, उप निदेशक	प्रवीण के.एस., सहायक निदेशक
(हिंदी भाषी)	1. विनय कौशल, अपर निदेशक 2. अंकित गहलौत, उप निदेशक	-	शैलेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक
हिंदी निबंध (राजपत्रित वर्ग)	सौरभ मीना, प्रवर्तन अधिकारी	आशा, प्रवर्तन अधिकारी	उमेश कुमार मीना, प्रवर्तन अधिकारी
हिंदी निबंध (अराजपत्रित वर्ग)	अनीता, सहायक प्रवर्तन अधिकारी	अंकुर गुप्ता, सहायक प्रवर्तन अधिकारी	दीपक, सहायक
हिंदी कविता पाठ (हिंदी भाषी)	1. आशा, प्रवर्तन अधिकारी 2. अंजू, अवर श्रेणी लिपिक	-	सुशील कुमार, वरिष्ठ सिपाही
(हिंदीतर भाषी)	देवज्योति भट्टाचार्य, सहायक प्रवर्तन अधिकारी	पापीया राय, सहायक	सुभाष मण्डल, प्रवर्तन अधिकारी
हिंदी टिप्पण एवं आलेखन (हिंदी भाषी)	प्रीति थापा, आशुलिपिक-2	अमित कुमार सैनी, सहायक प्रवर्तन अधिकारी	राजकुमार गौड़, प्रवर श्रेणी लिपिक
(हिंदीतर भाषी)	देवज्योति भट्टाचार्य, सहायक प्रवर्तन अधिकारी	सचिन महादेव पाटील, सहायक	साईं वेंकट, सहायक प्रवर्तन अधिकारी
हिंदी टंकण	अमित कुमार सैनी, सहायक प्रवर्तन अधिकारी	शिवम सचान, आशुलिपिक-2	हरेन्द्र तोमर, प्रवर श्रेणी लिपिक
हिंदी श्रुतलेख (केवल एमटीएस, सिपाही एवं ड्राइवर के लिए)	सुशील कुमार, वरिष्ठ सिपाही	प्रिया, एमटीएस	प्रज्ञा प्रांजल, एमटीएस
हिंदी आशुलिपि	शिवम सचान, आशुलिपिक-2	कार्तिक शुक्ला, आशुलिपिक-2	प्रीति थापा, आशुलिपिक-2
लघु फिल्म निर्माण	आशा, प्रवर्तन अधिकारी	अनीता, सहायक प्रवर्तन अधिकारी	राजकुमार गौड़, प्रवर श्रेणी लिपिक
हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का परिणाम	**टीम- क (प्रथम) (1500/- रु. प्रति विजेता)**	**टीम- ख (द्वितीय) (1200/- रु. प्रति विजेता)**	**टीम – ग (तृतीय) (1000/- रु. प्रति विजेता)**
	विकाश उपाध्याय, सहायक प्रवर्तन अधिकारी	अंकुर गुप्ता, सहायक प्रवर्तन अधिकारी	सौरभ मीना, प्रवर्तन अधिकारी
	वैभव मिश्रा, एमटीएस	राजकुमार गौड़, प्रवर श्रेणी लिपिक	मुकेश कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक
	हर्षित त्रिपाठी, एमटीएस	मानवी सोम, एमटीएस	संदीप कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक

हिंदी माह/पखवाड़ा-2025 के पुरस्कार वितरण समारोह के उद्घाटन सत्र में दीप-प्रज्वलित करते हुए प्रवर्तन निदेशक महोदय।

श्री विप्लव चौधरी, विशेष निदेशक (मध्य क्षेत्र) महोदय उद्घाटन सत्र में निदेशक महोदय की उपस्थिति में दीप-प्रज्वलित करते हुए।

श्री टी. शंकर, विशेष निदेशक (एचआईयू) महोदय उद्घाटन सत्र में निदेशक महोदय की उपस्थिति में दीप-प्रज्वलित करते हुए।

श्री दिनेश परुचूरी, अपर निदेशक उद्घाटन सत्र में निदेशक महोदय की उपस्थिति में दीप-प्रज्वलित करते हुए।

श्री रॉबिन गुप्ता, संयुक्त निदेशक, दिल्ली आं. का.-1 उद्घाटन सत्र में निदेशक महोदय की उपस्थिति में दीप-प्रज्वलित करते हुए।

सुश्री नेहा यादव, संयुक्त निदेशक, दिल्ली आं. का.-2 उद्घाटन सत्र में निदेशक महोदय की उपस्थिति में दीप-प्रज्वलित करते हुए।

समारोह का राष्ट्रगान के साथ शुभारंभ।

हिंदी माह/पखवाड़ा-2025- पुरस्कार वितरण समारोह की झलकियां

श्री विप्लव चौधरी, विशेष निदेशक (मध्य क्षेत्र) प्रवर्तन निदेशक महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए।

श्री विप्लव चौधरी, विशेष निदेशक (मध्य क्षेत्र) प्रवर्तन निदेशक महोदय को राजभाषा सम्मान किट भेंट करते हुए।

समारोह के दौरान श्री विप्लव चौधरी, विशेष निदेशक (मध्य क्षेत्र) प्रवर्तन निदेशक को स्मृति चिह्न के रूप में राजभाषा विभाग द्वारा जारी पुस्तकें भेंट करते हुए

श्री विशाख कृष्णा, संयुक्त निदेशक विशेष निदेशक (मध्य क्षेत्र) को राजभाषा सम्मान किट भेंट करते हुए।

श्री दिनेश परूचूरी, अपर निदेशक विशेष निदेशक (एचआईयू) को राजभाषा सम्मान किट भेंट करते हुए।

श्री रितेश श्रीवास्तव, उप निदेशक श्री रॉबिन गुप्ता, संयुक्त निदेशक, दिल्ली आं. का.-1 को राजभाषा सम्मान किट भेंट करते हुए।

श्री रितेश श्रीवास्तव, उप निदेशक सुश्री नेहा यादव, संयुक्त निदेशक, दिल्ली आं. का.-2 को राजभाषा सम्मान किट भेंट करते हुए।

हिंदी माह/पखवाड़ा-2025- पुरस्कार वितरण समारोह की झलकियां

समारोह में अधिकारियों तथा प्रतिभागियों को निदेशक महोदय संबोधित करते हुए।

समारोह में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण।

समारोह में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण।

श्री मनु टेंटीवाल, विशेष निदेशक (मुख्यालय) महोदय सम्बोधन भाषण देते हुए।

विजेता प्रतिभागी द्वारा कविता-पाठ की प्रस्तुति।

हिंदी माह/पखवाड़ा-2025- पुरस्कार वितरण समारोह की झलकियां

हिंदी माह/पखवाड़ा-2025- पुरस्कार वितरण समारोह की झलकियां

दिनांक 13/06/2025 को मुख्यालय कार्यालय में आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी "वार्षिक लक्ष्य 2025-26" में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में एवं निदेशक महोदय के निदेशानुसार प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को "हिंदी पत्राचार एवं टिप्पण एवं आलेखन" विषय पर समुचित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 13/06/2025 को ऑफ़लाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में श्री जगदीश मीना, संयुक्त निदेशक (रा.भा.), गृह मंत्रालय को मुख्य व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस कार्यशाला में मुख्यालय के एसटीएफ अनुभाग के उप निदेशक श्री एन. दिलीपन सहित कुल 26 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया था।

मुख्य व्याख्याता श्री जगदीश मीना, संयुक्त निदेशक (रा.भा.) ने कुल तीन सत्रों में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। जिसमें कार्यालय में होने वाले विभिन्न पत्राचारों के प्रकार, उनके उपयोग एवं हिंदी टिप्पण के तैयार करने के साथ-साथ तिमाही रिपोर्ट भरने की प्रक्रिया के बारे में कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।

प्रवर्तन निदेशालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन (दिनांक 25 सितम्बर, 2025)

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली में चल रहे हिंदी पखवाड़ा/माह - 2025 के दौरान दिनांक 25 सितंबर, 2025 को "राजभाषा अधिनियम, नियम और कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने का अभ्यास" विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी के प्रयोग, उससे संबंधित विधिक प्रावधानों और कार्यालयीन कार्यों को प्रभावी रूप से हिंदी में करने के व्यावहारिक अभ्यास से परिचित कराना था।

कार्यशाला का शुभारंभ निदेशक महोदय श्री राहुल नवीन की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के प्रारम्भ में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने निदेशक महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके उपरांत उप निदेशक (राजभाषा) ने कार्यशाला के अतिथि वक्ता श्री सतीश पांडे, सेवानिवृत्त उप निदेशक, राजभाषा विभाग को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया।

कार्यशाला में निदेशालय के विशेष निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण सम्मिलित हुए। यह कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यालय कार्यालय के 30 से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल हुए।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रवर्तन निदेशक महोदय ने कहा कि राजभाषा हिंदी प्रशासनिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हमें अपने कार्यालयीन कार्यों में हिंदी को केवल अनिवार्यता नहीं, बल्कि कार्य-संस्कृति का आधार बनाना चाहिए। इस अवसर पर निदेशक महोदय ने हिंदी दिवस के अपने संदेश को पुनः दोहराया, और उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दें और इसे राष्ट्र की एकता एवं प्रशासनिक दक्षता से जोड़कर देखें।

मुख्य व्याख्याता श्री सतीश पांडे ने अपने विस्तृत व्याख्यान में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिंदी में कार्य करना न केवल संवैधानिक दायित्व है, बल्कि कार्य कुशलता और पारदर्शिता को भी बढ़ाता है। श्री पांडे ने प्रतिभागियों को कार्यालयीन अभिलेख, पत्राचार और नोटशीटस को हिंदी में तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया।

कार्यशाला का संचालन प्रवर्तन निदेशालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने हिंदी कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका समाधान श्री पांडे जी ने सहजता और स्पष्टता से किया। सभी प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऐसी कार्यशालाएं निरंतर आयोजित की जानी चाहिए, ताकि प्रवर्तन निदेशालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को और अधिक सशक्त, प्रभावी एवं व्यावहारिक बनाया जा सके। यह कार्यशाला प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:45 बजे तक तीन सत्रों में चली और समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

प्रवर्तन निदेशालय, मध्य क्षेत्र, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय-1 व 2 में हिंदी पखवाड़ा 2025 का संयुक्त आयोजन।

-श्री सुंदर शॉ, सहायक निदेशक (रा.भा.),
मध्य क्षेत्र कार्यालय।

14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इस शुभ दिन को चिह्नित करने के लिये भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के कार्यालयों में इस उपलक्ष्य में हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़ा/हिंदी माह का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय-I व II में हिंदी माह/पखवाड़ा का संयुक्त आयोजन दिनांक 14/09/2025 से 08/10/2025 तक हर्षोल्लास से किया गया।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान 'हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता (हिंदी भाषी तथा हिंदीतर भाषियों वर्ग में)' तथा 'हिंदी नारा एवं सुझाव लेखन' (सभी के लिए) प्रतियोगताओं का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह का आयोजन दिनांक 08/10/2025 को भूतल, सी विंग, प्रवर्तन भवन में किया गया।

सर्वप्रथम सभी वरिष्ठ अधिकारियों, अधिकारियों व कर्मचारियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा का परिचय दिया गया। तत्पश्चात, विशेष निदेशक (मध्य क्षेत्र) महोदय तथा संयुक्त निदेशक (दिल्ली ज़ोनल कार्यालय-1) महोदय व संयुक्त निदेशक (दिल्ली ज़ोनल कार्यालय-2) महोदया के द्वारा उक्त प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय, मध्य क्षेत्र व दिल्ली ज़ोनल कार्यालय-I का मूल्यांकन अलग तथा दिल्ली ज़ोनल कार्यालय-II का मूल्यांकन अलग किया गया था।

विशेष निदेशक (मध्य क्षेत्र) महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा कि कार्यालय का राजभाषा अनुभाग अपना कार्य उत्कृष्ट तरीके से कर रहा है। सभी प्रतिभागियों व विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए महोदय ने राजभाषा हिंदी को कार्यालयी कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग में लाने की अपील की। अंत में, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने विशेष निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक (दिल्ली ज़ोनल कार्यालय-1) महोदय व संयुक्त निदेशक (दिल्ली ज़ोनल कार्यालय-2) महोदया को उनके सम्बोधन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया तथा हिंदी पखवाड़ा को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए आदरणीय विशेष निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक (दिल्ली ज़ोनल कार्यालय-1) महोदय, संयुक्त निदेशक (दिल्ली ज़ोनल कार्यालय-2) महोदया, उप निदेशक (मध्य क्षेत्र), प्रशासन अनुभाग, सभी प्रतिभागियों तथा सभी अधिकारियों का कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया व बधाई दी। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

प्रवर्तन निदेशालय, इलाहाबाद उप-आंचलिक कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया: एक रिपोर्ट।

-श्री रघु लवानिया, सहायक निदेशक,
इलाहाबाद उप आंचलिक कार्यालय।

14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदत्त किया गया। इस ऐतिहासिक निर्णय के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसी क्रम में, प्रवर्तन निदेशालय उप-आंचलिक कार्यालय, प्रयागराज में भी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ 15 सितंबर, 2025 को उप निदेशक महोदय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय, इलाहाबाद उप-आंचलिक कार्यालय के सभागार कक्ष में माता सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2025 के दौरान कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने एवं रूचि बढाने के लिए इस कार्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगताओं का आयोजन कराया गया, जैसे हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता, कविता पाठ, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी भाषण प्रतियोगिता तथा हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया और विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण किया गया।

हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह का आयोजन दिनांक 06/10/2025 को प्रवर्तन निदेशालय उप-आंचलिक कार्यालय के सभागार कक्ष में सर्वप्रथम सहायक निदेशक (प्रशा.) द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा का परिचय दिया गया। तत्पश्चात, उप निदेशक महोदय के द्वारा अपने सम्बोधन में कार्यालय के सभी अधिकारियों द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किये जाने के लिए सराहना की और सभी प्रतिभागियों व विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए महोदय ने राजभाषा हिंदी को कार्यालयी कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग में लाने की अपील की।

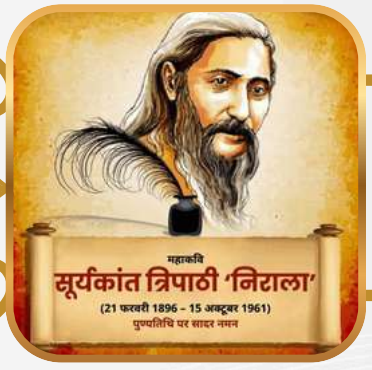

"मनुष्य के अज्ञान की मार,
मनुष्य ही तो सहता है।"

पटना आंचलिक कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा-2025 का आयोजन सम्पन्न किया गया, एक रिपोर्ट।

-श्री हेमंत पाण्डेय, सहायक निदेशक,
पटना आंचलिक कार्यालय।

हर वर्ष 14 सितम्बर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं अधिकारियों में जागरूकता और उत्साह का संचार करने के उद्देश्य से आदरणीय निदेशक महोदय, विशेष निदेशक (मध्य क्षेत्र) तथा संयुक्त निदेशक, पटना की प्रेरणा तथा संरक्षण में इस वर्ष भी प्रवर्तन निदेशालय, पटना आंचलिक कार्यालय में 14 सितम्बर से 29 सितम्बर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं- हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता, कविता पाठ, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी भाषण प्रतियोगिता तथा हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता का आयोजन हिंदीतर एवं हिंदी भाषी अधिकारियों के लिए अलग-अलग किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय, पटना आंचलिक कार्यालय के अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया एवं 16 अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया। कुल नकद पुरस्कार राशि 46,900/- के साथ-साथ प्रमाण पत्र संयुक्त निदेशक द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त निदेशक महोदय ने कार्यालयीन कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करने एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करने पर बल दिया एवं अपने सम्बोधन में उन्होंने मुख्यालय एवं मध्य क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की सभी से अपील भी की। उन्होंने सभी से कंप्युटर पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने एवं विभिन्न टूल्स का प्रयोग करने का आग्रह किया। श्री हेमंत पाण्डेय, सहायक निदेशक ने कार्यक्रम का संचालन किया एवं सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

"हिंदी के प्रति समर्पण: प्रवर्तन निदेशालय, रांची में पखवाड़े का सफल आयोजन"

-श्री देवदत्त सारंगी, सहायक निदेशक,
रांची आंचलिक कार्यालय।

प्रवर्तन निदेशालय, आंचलिक कार्यालय, रांची में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन उत्साह और गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। पखवाड़े का शुभारंभ उप निदेशक (राजभाषा) की उपस्थिति में दीप–प्रज्वलन द्वारा किया गया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक महोदय, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम पर थे, उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु प्रेरित किया। उन्होंने प्रतियोगिताओं में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।

पखवाड़े के दौरान पूर्व-अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पणी एवं आलेखन, हिंदी कविता पाठ तथा हिंदी श्रुतिलेख प्रतियोगिता प्रमुख थीं।

इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। सभी कार्यक्रमों का संचालन सहायक निदेशक (राजभाषा) की देखरेख में किया गया। समापन समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त निदेशक महोदय ने विजेता प्रतिभागियों को स्मृति चिह्न, प्रमाणपत्र और हिंदी की पुस्तकों से सम्मानित किया। संयुक्त निदेशक महोदय ने इस अवसर पर कविगुरु रवींद्र नाथ टैगोर की गीतांजलि का हिंदी संस्करण कार्यालय के पुस्तकालय के लिए समर्पित किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने हिंदी के महत्व और उसके प्रचार-प्रसार पर प्रेरणादायक व्याख्यान दिए। अंत में, उप निदेशक (राजभाषा) ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर समारोह का समापन किया। इस प्रकार, प्रवर्तन निदेशालय, आंचलिक कार्यालय, रांची द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा 2025 अत्यंत सफल रहा और इसने कर्मचारियों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए राजभाषा के महत्व को पुनः स्थापित किया।

प्रवर्तन निदेशालय, पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय एवं इसके अधीनस्थ कोलकाता आंचलिक कार्यालय 1-2 में हिंदी दिवस/माह/पखवाड़ा-2025 का संयुक्त आयोजन किया गया।

–श्री सुन्दर शॉ, सहायक निदेशक (राजभाषा)

निदेशक महोदय, प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता एवं इसके अधीनस्थ कोलकाता आंचलिक कार्यालय 1-2 में दिनांक 14 सितम्बर, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस/पखवाड़ा/माह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्रीय कार्यालय सहित दोनों आंचलिक कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जैसा कि राजभाषा विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 14 सितम्बर, 2025 को आयोजित हिंदी दिवस सह पंचम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, गांधी नगर, गुजरात में किया गया। 14 सितंबर, 2025 से पूरे माह हिंदी माह हिंदीतर एवं हिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कुल 06 हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें निम्न प्रतियोगिताएं सम्मिलित थीं–

कविता पाठ; पूर्व निर्धारित विषयों पर निबंध लेखन; टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता; हिंदी टंकण और हिंदी नारा लेखन प्रतियोगिता ।

- **कविता पाठ; पूर्व निर्धारित विषयों पर निबंध लेखन; टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता; हिंदी टंकण और हिंदी नारा लेखन प्रतियोगिता ।**

पखवाड़ा के दौरान कार्यालय में गृहमंत्री द्वारा जारी संदेश एवं हिंदी दिवस के अवसर पर निदेशक महोदय का संदेश निदेशालय के सभी अधिकारियों को परिचालित किया गया। इस दौरान, विशेष निदेशक, पूर्व क्षेत्र एवं संयुक्त निदेशक, जोन-1 एवं संयुक्त निदेशक, जोन-2 ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयी कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इन प्रतियोगिताओं में 40 से अधिक अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं वरिष्ठ अधिकारियों- संयुक्त निदेशक महोदय, उपनिदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। संयुक्त निदेशक, जोन-1 एवं संयुक्त निदेशक, जोन-2 ने हिंदी कविता-पाठ प्रतियोगिता में स्वयं उपस्थित रहकर सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया और श्री दीपक कुमार कर्ण, उपनिदेशक, पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, श्री मुकेश कुमार, उपनिदेशक, जोन-1, श्री स्वदेश गुप्ता, उपनिदेशक, जोन-2 ने निर्णायक की भूमिका निभायी। पूर्व क्षेत्र के अन्य अधिकारियों के साथ-साथ हिंदी के प्रभारी सहायक निदेशक (राजभाषा), पूर्व क्षेत्र ने उपनिदेशक, पूर्व क्षेत्र के तत्वाधान में हिंदी प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तैयार करने, प्रश्न-पत्र निर्माण, मूल्यांकन आदि कार्यों के माध्यम से अपना योगदान करते हुए पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित रहकर सभी प्रतिभागियों को बधाइयां दी एवं संयुक्त निदेशक महोदयगण एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

पुरस्कार वितरण समारोह:-

दिनांक 17/10/2025 को संयुक्त निदेशक महोदय, कोलकाता आंचलिक कार्यालय I और II की उपस्थिति में पखवाड़ा का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।

(पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय एवं कोलकाता आंचलिक कार्यालय-1 एवं 2 में पुरस्कार वितरण की कुछ झलकियां)

संयुक्त निदेशक महोदय, कोलकाता आंचलिक कार्यालय I और II ने अपने-अपने संबोधनों में सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए हिंदी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के निरंतर एवं गुणवत्तापूर्ण प्रयोग से प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। उन्होंने हिंदी पखवाड़ा के आयोजन-अधिकारियों की प्रशंसा भी की। निदेशक महोदय की अनुप्रेरणा और विशेष निदेशक महोदय के प्रोत्साहन से हिंदी पखवाड़ा/माह-2025 का आयोजन पूर्व क्षेत्र और कोलकाता आंचलिक कार्यालयों के सभी अधिकारियों की राजभाषा हिंदी के प्रति प्रतिबद्धता एवं भाषायी सौहार्द को रेखांकित करता है। पुरस्कार वितरण समारोह का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं श्री वेद, प्रवर्तन अधिकारी ने किया।

"भारत रत्न स्व. भूपेन हज़ारिका: व्यक्तित्व एवं कृतित्व" के परिदृश्य में ईडी के पूर्वोत्तर आंचलिक कार्यालयों, गुवाहाटी में भव्य रूप से मना हिंदी पखवाड़ा-एक रिपोर्ट ।

-श्री मयंक पाण्डेय, अपर निदेशक

इस वर्ष मुख्यालय द्वारा जारी राजभाषा विभाग एवं निदेशक महोदय के दिशानिर्देशों के अनुसरण और अनुप्रेरणा से हिंदी पखवाड़े का आयोजन दिनांक 14 से 29 सितम्बर, 2025 के दौरान किया गया। पूर्वोत्तर भारत के दो आंचलिक कार्यालयों का मुख्यालय गुवाहाटी में है। दोनों कार्यालय अपने आप में भाषाई विविधता संजोए हुए हैं। गुवाहाटी आंचलिक कार्यालयों में एक तरफ़ देश के विभिन्न राज्यों से आए अधिकारी हैं, वहीं दूसरी ओर असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में कार्यरत स्थानीय एमटीएस और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कार्मिक भी बहुतायत में हैं। अर्धसैनिक बलों से आए सिपाही मुख्यत: बंगाल और बिहार से हैं। कार्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, असमी, बंगला, उड़िया, मराठी और गुजराती भाषी लोग कार्यरत हैं, इसलिए एक तरह से भारतीय भाषाओं का सुंदर समन्वय और हिंदी भाषा को एक सेतु के रूप में देखा जाता है।

हिंदी पखवाड़े में कुल 6 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हर प्रतियोगिता में हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी प्रतिभागियों की प्रतिस्पर्धा अलग-अलग रखी गई। निबंध, अनुवाद, कविता, भाषण और टंकण (हिंदी-अंग्रेजी) प्रतियोगिताओं में कुल 110 लोगों ने भाग लिया। कुल 70 लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए और सभी को श्री मयंक पाण्डेय, अपर निदेशक द्वारा प्रोत्साहित किया गया एवं सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। हिंदी पखवाड़े का विशेष आकर्षण रहा – निबंध प्रतियोगिता। **इस वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की महान विभूति भारत रत्न स्व. भूपेन हज़ारिका जी की जन्मशताब्दी मनाने का आह्वान किया है।** इसी से प्रेरणा लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय के गुवाहाटी कार्यालय के हिंदी पखवाड़े में "भारत रत्न स्व. भूपेन हज़ारिका: व्यक्तित्व एवं कृतित्व" विषय पर निबंध का आयोजन किया गया और इसे पखवाड़े के मुख्य परिदृश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सामासिक संस्कृति का सुंदर उदाहरण पखवाड़े के दौरान देखा गया, जिसमें केवल प्रतियोगिता में भाग लेना ही शामिल नहीं था, अपितु सभी के मन में हिंदी एवं क्षेत्रीय संस्कृति के स्वर्णिम संयोग से उभरा एक उल्लास भी था।

(गुवाहाटी कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ श्री मयंक पाण्डेय, अपर निदेशक)

इन प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक हिंदीतर भाषी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। समापन के अवसर पर अपर निदेशक ने सभी को बधाई दी एवं आभार व्यक्त किया और इस वर्ष की थीम "हिंदी: राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत" को स्व. भूपेन हज़ारिका के गीत "हमारा प्यारा अरुणाचल अरुणाचल हमारा" के ज़रिए अभिव्यक्त किया गया। "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन प्रतिभागियों के हिंदी के प्रति समर्पण और उत्साह को प्रदर्शित करती हैं।

इस पूरी परिकल्पना की पृष्ठभूमि में निदेशक महोदय की राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि एवं इसके प्रचार-प्रसार में उनका प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा-स्रोत रहा।

"मुझे तोड़ लेना वनमाली ! उस पथ पर देना तुम फेंक !
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावें वीर अनेक !"
-माखनलाल चतुर्वेदी

प्रवर्तन निदेशालय, भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा 2025 का आयोजन-एक रिपोर्ट ।

-श्री पी. के. नायक, उपनिदेशक, भुवनेश्वर

14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर को चिह्नित करने हेतु भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथ ही, केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में इस उपलक्ष्य में हिंदी सप्ताह/ हिंदी पखवाड़ा/हिंदी माह का आयोजन धूमधाम से किया जाता है।

प्रवर्तन निदेशालय, भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय में हिंदी माह/पखवाड़ा का संयुक्त आयोजन दिनांक 14 सितंबर, 2025 से 25 सितंबर, 2025 तक हर्षोल्लास के साथ किया गया।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का–हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी कविता लेखन एवं पाठन प्रतियोगिता, हिंदी नारा लेखन एवं पाठन प्रतियोगिता, हिंदी–अंग्रेज़ी अनुवाद प्रतियोगिता, हिंदी शब्दों से वाक्य निर्माण प्रतियोगिता, हिंदी नकल प्रतियोगिता एवं हिंदी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कविता लेखन एवं पाठन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी रचित कविताओं का भावपूर्ण पाठ किया। कविता प्रतियोगिता के पश्चात नारा लेखन एवं पाठन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक अपने लिखे नारों का प्रस्तुतीकरण किया। कविता एवं नारा प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन प्रतिभागियों के पाठन के तुरंत बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया। अन्य सभी प्रतियोगिताएं कॉन्फ्रेंस हॉल में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह का आयोजन 25 सितंबर, 2025 को भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय के कॉन्फ्रेंस कक्ष में किया गया। सर्वप्रथम संयुक्त निदेशक महोदय की अनुमति से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात सभी वरिष्ठ अधिकारियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्वागत किया गया। संयुक्त निदेशक महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा कि कार्यालय का राजभाषा अनुभाग अपना कार्य उत्कृष्ट तरीके से कर रहा है।

सभी प्रतिभागियों व विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए संयुक्त महोदय ने राजभाषा हिंदी को कार्यालयी कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग में लाने की अपील की। अंत में, उपनिदेशक निदेशक महोदय ने राजभाषा विभाग, भुवनेश्वर को हिंदी पखवाड़ा को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया व बधाई दी।

हिंदी पखवाड़ा, 2025- पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

-श्रीमती आराधना मण्डल, सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रवर्तन निदेशालय, मुंबई में दिनांक 14 सितंबर, से 28 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा उत्साहपूर्वक एवं सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उक्त पखवाड़े का उद्घाटन गंधीनगर, गुजरात में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। तदोपरांत, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुरूप कार्यालय में आगे के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी एवं हिंदीतर भाषी कार्मिकों के लिए दो अलग वर्गों में हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया नामतः —हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण लेखन प्रतियोगिता, हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता तथा हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता।

पखवाड़े के दौरान प्रथम प्रतियोगिता के आयोजन के दिन श्रीमती आराधना मण्डल, सहायक निदेशक (राजभाषा) के द्वारा हिंदी के कार्यालयीन महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को कार्यालयीन कार्यों में अधिकाधिक हिंदी के प्रयोग हेतु प्रेरित किया गया तथा वर्तमान में हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु अपनाए जा रहे उपायों को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।

(हिंदी पखवाड़ा की झलकियां)

सभी कर्मचारियों ने उक्त सभी प्रतियोगिताओं में अत्यंत उत्साहपूर्वक भाग लिया जिसमें मुख्यतः तेलुगु, तमिल, कन्नड, पंजाबी, सिंधी, मराठी एवं गुजराती भाषा के कार्मिकों द्वारा प्रदर्शित हिंदी के प्रति उत्साह एवं भाषाई चेतना अत्यंत दर्शनीय एवं सराहनीय रही। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को विशेष निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में अपर निदेशक, मुं.आं.का.-1 तथा संयुक्त निदेशक, मुं.आं.का.-2 की गरिमामयी उपस्थिति में प्रशस्ति-पत्र एवं समृति-चिह्न प्रदान किए गए। इस समारोह के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु सभी को निरंतर हिंदी प्रयोग के लिए प्रेरित किया जिसका समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा करतल ध्वनियों के साथ समर्थन किया गया।

अंत में, विशेष निदेशक महोदय ने अपने वक्तव्य में हिंदी पखवाड़ा के अत्यंत सफल आयोजन हेतु सभी प्रतिभागियों सहित राजभाषा अनुभाग को शुभकामनाएं दीं तथा यह भी कहा “इस प्रकार के आयोजन से कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा और कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। यह पखवाड़ा ऊर्जावर्धक की तरह पूरे साल हिंदी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करने का कार्य करेगा। हमें सरलता पूर्वक हिंदी को अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में सम्मिलित करते हुए राजभाषा के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करनी है।”

अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा आयोजन- एक रिपोर्ट

-श्री वेंकटेश आर. अय्यर, सहायक निदेशक,
अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय।

(अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा की झलकियां)

मुख्यालय द्वारा जारी राजभाषा विभाग एवं निदेशक महोदय के दिशानिर्देशों के अनुसरण और अनुप्रेरणा से अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय में दिनांक 14.09.2025 से 28.09.2025 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया जिसमें कार्यालय के अधिकांशतः अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान, निबंध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण लेखन प्रतियोगिता, हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी श्रुतलेख एवं सुलेख प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कुल 36 अधिकारी-कर्मचारियों ने भाग लिया और 36 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया गया एवं सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। कार्यालय प्रमुख ने पखवाड़े के दौरान कार्यालय में सहज और सरल रूप में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार किया जाए इस पर प्रकाश डालते हुए सभी को कार्यालयीन कार्यों में अधिकाधिक हिंदी के प्रयोग हेतु प्रेरित किया, साथ ही वर्तमान में हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु अपनाए जा रहे उपायों को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। इस आयोजन से राजभाषा के कार्यान्वयन में वृद्धि हुई है।

अंत में, महोदय ने हिंदी में भाग लेने वाले कार्मिको को हिंदी में अधिक कार्य हेतु प्रोत्साहित किया और आयोजन की प्रशंसा की। उन्होंने हिंदी भाषा में काम करने और उसे बढ़ावा देने का संकल्प लेने का आह्वान किया। अपर निदेशक महोदय ने सभी से राजभाषा अधिनियमों एवं राजभाषा नियमों का पालन करने का आग्रह किया।

"जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल
एकाकी प्राण चला!
सपने-सपने में सत्य ढला!"

-महादेवी वर्मा

भोपाल आंचलिक कार्यालय- हिंदी पखवाड़ा पर एक रिपोर्ट

-श्री चंदन कुमार, सहायक निदेशक,
भोपाल आंचलिक कार्यालय।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग के दिनांक 15.07.2025 के पत्र संख्या 11034/06/2025-राजभाषा (नीति) द्वारा दिनांक 14.08.2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, हिंदी दिवस 14 सितंबर, 2025 को गांधीनगर, गुजरात में आरंभ हुआ और समापन अपने-अपने कार्यालयों में किया गया। भोपाल ज़ोनल कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा दिनांक 15 सितंबर, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ माननीय गृह मंत्री **श्री अमित शाह** के संदेश को पढ़कर किया गया। इस आयोजन के संरक्षक एवं मुख्य मार्गदर्शक **संयुक्त निदेशक श्री ए. एच. ख़ान** रहे, जिनके नेतृत्व में विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों का सफल संचालन हुआ।

2.उद्घाटन समारोह-हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ संयुक्त निदेशक श्री ए. एच. ख़ान द्वारा दीप प्रज्वलन एवं राजभाषा नीति पर संबोधन के साथ किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के बढ़ते उपयोग पर बल दिया तथा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

3.आयोजित प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम-पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताएं एवं गतिविधियां आयोजित की गईं: **हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता; हिंदी टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता; हिंदी टंकण प्रतियोगिता; हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता; हिंदी भाषण प्रतियोगिता; हिंदी कविता प्रतियोगिता; कार्यालयीन कार्यों में हिंदी प्रयोग जागरूकता कार्यशाला; हिंदी तकनीकी शब्दावली परिचर्चा।**

सभी कार्यक्रमों में अधिकारियों व कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। निर्णायक मंडल ने सभी प्रविष्टियों का मूल्यांकन पारदर्शी और न्यायसंगत रूप से किया।

4.पुरस्कार वितरण-पखवाड़े के समापन दिवस पर आयोजित समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार की घोषणा की गई। संयुक्त निदेशक श्री ए. एच. ख़ान ने विजेताओं को बधाई दी एवं सभी कर्मचारियों को दैनिक कार्यालयी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का आग्रह किया।

5.उपलब्धियाँ एवं महत्वपूर्ण बिंदु-पखवाड़े के दौरान कार्यालयीन पत्राचार में हिंदी का उपयोग उल्लेखनीय रूप से बढ़ा। कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति जागरूकता एवं उत्साह में वृद्धि देखी गई। तकनीकी शब्दावली एवं ई-ऑफिस में हिंदी प्रयोग पर विशेष प्रशिक्षण से कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ा। इंदौर उपआंचलिक कार्यालय में भी हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

6.निष्कर्ष-भोपाल ज़ोनल कार्यालय में आयोजित हिंदी पखवाड़ा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन से राजभाषा हिंदी के संवर्धन और प्रोत्साहन को एक नई दिशा मिली। संयुक्त निदेशक के नेतृत्व एवं सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से पखवाड़ा अत्यंत प्रेरणादायक एवं प्रभावी रहा।

इंदौर उप आंचलिक कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा, 2025 के आयोजन की रिपोर्ट

कार्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़ा, 2025 का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े का उद्देश्य कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता एवं अभिरुचि को बढ़ाना था।

पखवाड़ा का शुभारंभ 15 सितम्बर, 2025 को हुआ। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक श्री ए.एच. खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन भाषण देते हुए हिंदी भाषा के महत्व, इसके संवैधानिक दर्जे एवं राष्ट्र की एकता में इसके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें और हिंदी को व्यवहारिक रूप से अपनाएँ। तत्पश्चात, उप-निदेशक डॉ. राहुल लटियाल ने इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को माननीय गृह मंत्री का संदेश पढ़ा। अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी पखवाड़े के इस अवधि के दौरान, आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में भी बताया तथा उनको अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आह्वान किया।

पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी से हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता, टिप्पण लेखन प्रतियोगिता, हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता एवं हिंदी टंकण प्रतियोगिता आयोजित की गईं। इन सभी प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने अत्यंत उत्साह एवं गंभीरता से भाग लिया। प्रतियोगिताओं से हिंदी के प्रयोग को न केवल बढ़ावा मिला, बल्कि कर्मचारियों में भाषा की शुद्धता, सटीकता और दक्षता भी विकसित हुई। हिंदी पखवाड़ा कार्यालयीन वातावरण में हिंदी के महत्व की पुनः स्मृति दिलाने वाला रहा। इस अवसर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेरित किया कि वे राजभाषा हिंदी का प्रयोग और अधिक प्रभावी ढंग से करें तथा हिंदी को राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक पहचान के रूप में अपनाएं।

हिंदी पखवाड़ा, 2025- उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

-श्री जगदीश चंद्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, चंडीगढ़

आप जानते हैं कि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2025 को हिंदी दिवस तथा 14 एवं 15 सितंबर को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी कन्वेन्शन एवं एग्जीबीशन सेंटर, गांधी नगर, गुजरात में किया गया। उक्त सम्मेलन में उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय एवं चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय-1 में राजभाषा का काम देख रहे श्री जगदीश चन्द्र मुनिराज, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सभी सत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज की। तत्पश्चात उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय एवं चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय-1 में सितंबर माह की समाप्ति तक उत्साहवर्धक वातावरण में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया गया कि वे अधिक से अधिक कामकाज मूलरूप से राजभाषा हिंदी में करें। इस अवधि के दौरान इन कार्यालयों के सभी कार्मिकों को राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 सहित राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संघ की राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।

(हिंदी पखवाड़ा की झलकियां)

सभी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर जाकर हिंदी शब्द सिंधु, ई-पत्रिका पुस्तकालय एवं ई-सरल हिंदी वाक्यकोश जैसे आईटी उत्पादों का भरपूर लाभ उठाएं। इसके अलावा कार्मिकों को आवश्यकतानुसार स्मृति आधारित स्वदेशी अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ 2.0' के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजभाषा नीति, जो कि प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित है, के संबंध में चर्चा की गई।

इस अवधि के दौरान इन कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए उत्साहवर्धक वातावरण का सृजन करने के लिए कुल 06 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:- 1. हिंदी शब्द-ज्ञान प्रतियोगिता, 2. हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 3. हिंदी पत्राचार प्रतियोगिता, 4. सामान्य-ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, 5. हिंदी श्रुत-लेख प्रतियोगिता, 6. हिंदी कविता-पाठ प्रतियोगिता। इन कार्यालयों के सभी स्तर के अधिकारियों एवं कार्मिकों ने पूरे उत्साह के साथ इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 01.10.2025 को कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुआ। विशेष निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) महोदय के कर-कमलों द्वारा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई आंचलिक कार्यालय-I एवं चेन्नई आंचलिक कार्यालय-II में समेकित रूप से हिंदी पखवाड़ा उत्साहपूर्वक एवं सफलतापूर्वक आयोजित किया गया -एक रिपोर्ट

-श्रीमती आराधना मण्डल, सहायक निदेशक (राजभाषा)

दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई आंचलिक कार्यालय-I एवं चेन्नई आंचलिक कार्यालय-II में समेकित रूप से दिनांक 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा उत्साहपूर्वक एवं सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उक्त पखवाड़े का उद्घाटन गंधीनगर, गुजरात में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। उक्त के बाद राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुरूप कार्यालय में आगे के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी एवं हिंदीतर भाषी कार्मिकों के लिए दो अलग वर्गों में हिंदी प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया ।

(हिंदी पखवाड़ा की झलकियां)

श्रीमती आराधना मण्डल, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने पखवाड़े के दौरान कार्यालय में सहज और सरल रूप में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार किया जाए इस पर प्रकाश डालते हुए सभी को कार्यालयीन कार्यों में अधिकाधिक हिंदी के प्रयोग हेतु प्रेरित किया, साथ ही वर्तमान में हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु अपनाए जा रहे उपायों को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। सभी कर्मचारियों ने आयोजित प्रतियोगिताओं में अत्यंत उत्साहपूर्वक भाग लिया जिसमें मुख्यतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, सिंधी, मराठी, बंगाली एवं गुजराती भाषा के कार्मिकों द्वारा प्रदर्शित हिंदी के प्रति उत्साह एवं भाषाई चेतना अत्यंत दर्शनीय एवं सराहनीय रही। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को विशेष निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह जिसमें अपर निदेशक, चे.आँ. का-I की गरिमामयी उपस्थिति में प्रशस्ति-पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इस समारोह के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु सभी को निरंतर हिंदी प्रयोग के लिए प्रेरित किया जिसका समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा करतल ध्वनियों के साथ अभिवादन किया गया।

अंत में, विशेष निदेशक महोदय ने अपने वक्तव्य में हिंदी पखवाड़ा के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाइयां दी एवं राजभाषा अनुभाग द्वारा किये गए आयोजन की प्रशंसा की और हिंदी को देश की एकता, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हमें हिंदी भाषा में काम करने और उसे बढ़ावा देने का संकल्प लेना चाहिए, खासकर आज के डिजिटल युग में जब सूचना प्रौद्योगिकी हिंदी के उपयोग को बढ़ा रही है। विशेष निदेशक ने पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और पुरस्कार वितरण समारोह के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े जैसे कार्यक्रम देश की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर हैं। हमें सभी क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान के साथ ही हिंदी के प्रति अपने संवैधानिक कर्तव्यों का शुद्ध अंत:करण से निर्वहन करना चाहिए।

कोझिकोड उप आंचलिक कार्यालय में किया गया हिंदी पखवाड़ा-2025 का आयोजन –एक रिपोर्ट

-श्री विवेक पाण्डेय, प्रवर्तन अधिकारी

राजभाषा विभाग एवं निदेशक महोदय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में कोझिकोड उप-आंचलिक कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 22 से 26 सितम्बर, 2025 तक किया गया। कोझिकोड कार्यालय 'ग' क्षेत्र में स्थित है तथा यहां हिंदी एवं हिंदीतर भाषी अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या लगभग समान है। पखवाड़े के दौरान कुल 05 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं—(1) हिंदी कविता पाठ, (2) नोटशीट लेखन, (3) अनुवाद, (4) हिंदी टंकण तथा (5) हिंदी त्वरित लेखन प्रतियोगिता। इन प्रतियोगिताओं में हिंदी भाषी एवं हिंदीतर भाषी श्रेणियां पृथक रखी गईं। पखवाड़े के दौरान कार्यालय में उत्साह, सहभागिता तथा राजभाषा के प्रति जागरूकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई।

दिनांक 26.09.2025 को आयोजित समापन समारोह में उपनिदेशक महोदय ने सभी प्रतिभागियों, निर्णायकों एवं आयोजक मंडली के सदस्यों को बधाइयां दीं एवं अपने संबोधन में कहा कि "हिंदी केवल राजभाषा ही नहीं, बल्कि पूरे देश को जोड़ने वाली एक सशक्त कड़ी है। हिंदी सीखना किसी बाध्यता का विषय नहीं, बल्कि परस्पर संवाद, समझ और सहयोग को सुदृढ़ करने का माध्यम है। कार्यालयी कार्यकुशलता और जनसंपर्क दोनों में हिंदी का ज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।" साथ-साथ उन्होंने कार्यालय में कामकाज लक्ष्य के अनुरूप हिंदी में करने हेतु सभी को प्रोत्साहित किया ।

मदुरै आंचलिक कार्यालय में मनाया गया हिंदी पखवाड़ा

-श्री दिनेश चौधरी, प्रवर्तन अधिकारी

इस वर्ष मुख्यालय द्वारा जारी राजभाषा विभाग एवं निदेशक महोदय के दिशानिर्देशों के अनुसरण और अनुप्रेरणा से हिंदी पखवाड़े का आयोजन दिनांक 19.09.2025 के दौरान किया गया। हिंदी पखवाड़े में कुल 02 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हर प्रतियोगिता में हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी की प्रतिस्पर्धा अलग अलग रखी गई। निबंध, अनुवाद प्रतियोगिता में कुल 12 अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यालय प्रमुख द्वारा कुल 06 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया गया एवं सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। दिनांक 19.09.2025 को समापन के अवसर पर उप निदेशक महोदय ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

हैदराबाद आंचलिक कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।

-श्री चंद्र मनीषी, उपनिदेशक,

इस वर्ष मुख्यालय द्वारा जारी राजभाषा विभाग एवं निदेशक महोदय के दिशानिर्देशों के अनुसरण और अनुप्रेरणा से हैदराबाद आंचलिक कार्यालय में दिनांक 15.09.2025 से 29.09.2025 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया जिसमें कार्यालय के अधिकांशतः अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान कविता पाठ प्रतियोगिता, हिंदी भाषण प्रतियोगिता, टिप्पण आलेखण और सुलेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कुल 32 अधिकारी-कर्मचारियों ने भाग लिया और 29 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया गया एवं सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

कार्यालय प्रमुख ने पखवाड़े के दौरान कार्यालय में सहज और सरल रूप में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार किया जाए इस पर प्रकाश डालते हुए सभी को कार्यालयीन कार्यों में अधिकाधिक हिंदी के प्रयोग हेतु प्रेरित किया, साथ ही वर्तमान में हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु अपनाए जा रहे उपायों को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। इस आयोजन से राजभाषा के कार्यान्वयन में वृद्धि हुई है।

अंत में महोदय ने हिंदी पखवाड़ा आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और आयोजन की प्रशंसा की। उन्होंने हिंदी भाषा में काम करने और उसे बढ़ावा देने का संकल्प लेने का आह्वान किया। महोदय ने हिंदी दिवस और पखवाड़े जैसे आयोजनों के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा कि ये देश की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने का अवसर हैं। उन्होंने सभी से हिंदी के प्रति संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने का आग्रह किया।

कोच्चि आंचलिक कार्यालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन

-श्री रितेश भट्ट, उपनिदेशक, कोच्चि

प्रवर्तन निदेशालय के अधीनस्थ कोच्चि आंचलिक कार्यालय में 14/09/2025 से 30/09/2025 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। राजभाषा विभाग के दिशानिर्देशों तथा निदेशक महोदय के निदेश के अनुसरण में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन कार्यालय में हिंदी के प्रति उत्साहजनक माहौल बनाने हेतु किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान हिंदी निबंध लेखन, कविता लेखन, शब्द शक्ति, हिंदी अनुवाद तथा फ़ोटो कैप्शन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। तदोपरांत, विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कुल 42 पुरस्कार वितरित किए गए।

(पखवाड़ा में आयोजित प्रतियोगिता की झलकियां)

राजभाषा हिंदी की प्रशिक्षण सुविधाएं-

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सूची

1.

क्र.सं.	पाठ्य क्रम	पाठ्यक्रम का स्तर	पात्रता
1	प्रबोध	प्राइमरी स्तर	जिनकी मातृभाषा तमिल, मिजो, मलयालम, कन्नड, तेलुगु, मणिपुरी या अंग्रेजी है।
2	प्रवीण	मिडिल स्तर	जिनकी मातृभाषा ओडिया, नेपाली, असमिया, बांग्ला, सिन्धी, मराठी या गुजराती है।
3	प्राज्ञ	माध्यमिक स्तर (कक्षा 10 स्तर)	जिनकी मातृभाषा पंजाबी, कश्मीरी, उर्दू या पश्तो है।
4	पारंगत	प्रवीणता/दक्षता हेतु	जिन्हें हिंदी का **कार्य साधक** ज्ञान प्राप्त है।
5	हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण	30 शब्द/मिनट 9000 KDPH	अवर श्रेणी लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अंग्रेजी टंकक, दूरसंचार सहायक, कार्यालय सहायक, डाक सहायक आदि सभी अधिकारियों के लिए।
6	हिंदी आशुलिपि	80 एवं 100 शब्द/मिनट	प्रधान निजी सचिव, निजी सचिव, अंग्रेजी आशुलिपिक, निजी सहायक।

अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

2.

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि
1	हिंदी कार्यशालाएं (Hindi Workshops) (कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों के लिए)	5 पूर्ण कार्य दिवस
2	अभिमुखीकरण कार्यक्रम (Orientation Programme) (राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े कार्मिकों के लिए)	5 पूर्ण कार्य दिवस
3	पुनश्चर्या कार्यक्रम (Refresher Programme) (केहिप्रसं/हिंशियो के कार्मिकों के लिए)	5 पूर्ण कार्य दिवस
4	प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme For Trainers) (प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए)	5 पूर्ण कार्य दिवस
5	केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग, प्रवेशण/पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम	30 पूर्ण कार्य दिवस

हिंदी भाषा एवं हिंदी टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम

देश भर के सुदूर क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक जो किसी कारणवश नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ हैं अथवा जहां पर हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं, उनके प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 1990-91 में हिंदी भाषा के प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण के पाठ्यक्रमों को पत्राचार के माध्यम से आरंभ किया गया। यह कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के 2-ए पृथ्वीराज रोड़, नई दिल्ली-110011 कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है।

हिंदी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

- मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या
- स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या
- यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है;
- तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान-

यदि किसी कर्मचारी ने-

- मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या
- केन्द्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
- केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
- यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

- यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
- केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।
- केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे; परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

निदेशालय की राजभाषा-गतिविधियां एवं कार्यालय में चल रही प्रोत्साहन योजनाएं –

सरकारी काम काज हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहन योजना:

- राजभाषा विभाग के दिनांक 25/08/2025 के पत्र संख्या 11034/09/2025-राजभाषा (नीति) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 'सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना' के नामकरण में संशोधन करते हुए अब इस योजना को प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) में यथासंशोधित 'सरकारी कामकाज (भौतिक अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप में) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना' नाम से लागू किया गया है।
- इस योजना की अवधि 01-04-2025 से 31-03-2026 है। इस योजना हेतु नकद पुरस्कार राशि निम्नानुसार है:

सरकारी कामकज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए पुरस्कार राशि:-

1. **पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक 5000/- रुपये**
2. **दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक 3000/- रुपये**
3. **तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक 2000/- रुपये**

अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि:

पहला पुरस्कार (1 पुरस्कार) : 5000/- रुपये

- इस योजना में भाग लेने के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी, मूल टिप्पण एवं आलेखन के साथ-साथ हिंदी में किए गए अन्य कार्य जैसे रजिस्टर में इंदराज, सूची तैयार करना, लेखा कार्य आदि जिसका सत्यापन किया जा सके, उसका साप्ताहिक विवरण राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रपत्र में भरकर अपने उच्चाधिकारी से सत्यापित करवा कर और किए गए कार्य के नमूने के पांच प्रारूपों सहित 15 अप्रैल, 2026 तक राजभाषा अनुभाग, प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय को भेजने का कष्ट करें, ताकि उक्त सामग्री मूल्यांकन समिति को अपेक्षित कार्रवाई हेतु प्रस्तुत की जा सके।

• आदेशानुसार ।

वर्ष 2024-25 के दौरान पुरस्कृत अधिकारियों की सूची

हिंदी डिक्टेशन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत अधिकारी का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	अभ्युक्ति	पुरस्कार राशि
1	श्री अंकित गहलौत, उप निदेशक (प्रशासन)	प्रथम पुरस्कार	5,000/- रु.

हिंदी टिप्पण एवं आलेखन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत कर्मचारियों का विवरण निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	अनुभाग का नाम	अभ्युक्ति	पुरस्कार राशि
1	श्री संजीत राठी, अवर श्रेणी लिपिक	प्रशासन एवं लेखा अनुभाग	प्रथम पुरस्कार	5,000/- रु.
2	श्री मेहरबान सिंह नेगी, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रशासन एवं लेखा अनुभाग	प्रथम पुरस्कार	5,000/- रु.
3	श्री हरेन्द्र तोमर, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रशासन एवं लेखा अनुभाग	द्वितीय पुरस्कार	3,000/- रु.
4	श्री राजकुमार गौड़, अवर श्रेणी लिपिक	आसूचना अनुभाग	द्वितीय पुरस्कार	3,000/- रु.
5	श्री मुकेश कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	विधिक अनुभाग	द्वितीय पुरस्कार	3,000/- रु.
6	श्री संदीप कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	विधिक अनुभाग	तृतीय पुरस्कार	2,000/- रु.
7	श्री राजेश, प्रवर श्रेणी लिपिक	विधिक अनुभाग	तृतीय पुरस्कार	2,000/- रु.
8	श्री संदीप कुमार छिकारा, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रशासन एवं लेखा अनुभाग	तृतीय पुरस्कार	2,000/- रु.

उपयोगी संदर्भ:-

मानक राजभाषा-शब्दावली

लैटिन-हिंदी शब्दावली

	लैटिन	हिंदी
1.	ab initio	आदित:, आरंभ से
2.	ad certum diem	निश्चित दिन
3.	ad hoc	तदर्थ
4.	ad infinitum	निरवधि
5.	ad interim	अंत:कालीन
6.	ad valorem	मूल्यानुसार
7.	alibi	अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक्
8.	amicus curie	न्याय-मित्र
9.	bona fide	सद्भाव से, वास्तविक, सद्भावपूर्वक, यथार्थ
10.	causa sine qua non	वह कारण जिसके बिना घटना नहीं हो सकती थी
11.	corpus delicti	अपराध-सार
12.	custodial legis	विधि अभिरक्षा
13.	data	आधार-तथ्य
14.	de facto	वस्तुत:
15.	de jure	विधित्:
16.	de novo	नए सिरे से
17.	ex-debito justiciae	न्यायानुसार, अधिकारत:
18.	ex-gratia	अनुग्रहपूर्वक
19.	ex-officio	पदेन
20.	ex-parte	एकपक्षीय
21.	ex-post facto	भूतलक्षी प्रभाव, कार्योत्तर
22.	fait accompli	संपन्न कार्य
23.	In esse	अस्तित्वशील, अस्तित्वयुक्त
24.	In limine	आरंभ में ही
25.	In presenti	वर्तमान में, तत्सामयिक, तत्समय
26.	Inter alia	अन्य बातों के साथ-साथ
27.	Intravires	शक्ति के अधीन, प्राधिकार के अधीन, शक्त्याधीन
28.	Ipso jure	विधित:, स्वयं विधि द्वारा
29.	Locus standi	सुने जाने का अधिकार
30.	Mala prohibita	विधि निषेध के कारण दोषपूर्ण

	लैटिन	हिंदी
31.	Modus operandi	कार्य प्रणाली, अपराधी कार्य प्रणाली
32.	Modus vivendi	निर्वाह रीति
33.	Mutatis mutandis	यथावश्यक परिवर्तन सहित
34.	Nemo	कोई नहीं
35.	Nexus	संबंध
36.	Onus probandi	साबित करने का भार
37.	Per annum	प्रतिवर्ष
38.	Per capita (= Per head)	व्यक्तिवार, प्रति व्यक्ति
39.	Per diem	प्रतिदिन
40.	Per mensem	प्रतिमास, मासिक
41.	Per centum ad valorem	मूल्यांकन प्रतिशत, मूल्यानुसार प्रतिशत
42.	Persona designate	नामोदिष्ट व्यक्ति
43.	Persona grata	ग्राह्य व्यक्ति
44.	Persona non grata	अग्राह्य व्यक्ति, अवांछित व्यक्ति
45.	Post mortem	मृत्यु के बाद, मरणोत्तर परीक्षा
46.	Prima facie	प्रथम दृष्ट्या
47.	Pro bono public	जनहित में, लोकहित में
48.	Pro rata	अनुपातत:
49.	Pro tempore	उस अवसर के लिए
50.	Quid pro quo	तत्प्रतित
51.	Res integra	अनिर्णीत विषय
52.	Res judicata	पूर्व न्याय
53.	Rule nisi	प्राथमिक आदेश, प्रारम्भिक आदेश
54.	Sine qua non	अनिवार्य
55.	Status quo	यथापूर्व स्थिति
56.	Sub judice	न्यायाधीन
57.	Suo moto	स्वप्रेरणा, स्वप्रेरणा से
58.	Ultra vires	अधिकारातीत
59.	Vires	शक्तिमत्ता
60.	Viva voce	मौखिक

संक्षिप्त नियमित टिप्पणियां/Brief Routine Notes

1	All concerned to note	सभी संबंधित नोट करें।
2	Approval may be accorded	अनुमोदन प्रदान किया जाए/कर दिया जाए।
3	Approved	अनुमोदित ।
4	Call for the file	फाइल मंगाई जाए।
5	Connect relevant papers and put up	सुसंगत कागजों को संलग्न कर प्रस्तुत/पेश करें।
6	Consolidated report may be called for	समेकित रिपोर्ट मंगवा ली जाए।
7	Decision is awaited	निर्णय की प्रतीक्षा है।
8	Early action please	कृपया शीघ्र कार्रवाई करें।
9	Fix a date for the meeting	बैठक के लिए तारीख़ नियत की जाए।
10	Further advice may be awaited	अगली सूचना की प्रतीक्षा की जाए।
11	Give top priority to this work	इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
12	I agree	मैं सहमत हूँ।
13	Issue as amended	यथासंशोधित जारी करें।
14	Keep pending	लंबित रखा जाए।
15	Kindly acknowledge receipt	कृपया पावती दें/प्राप्ति सूचना भेजें।
16	Kindly countersign	कृपया प्रतिहस्ताक्षर करें।
17	Kindly instruct further	कृपया अनुदेश दें/कृपया आगे हिदायत दें।
18	Kindly look into it	कृपया इसे देख लें।
19	Kindly review the case	कृपया मामले पर पुनर्विचार करें।
20	Locate the irregularities/discrepancies	अनियमितताओं/विसंगतियों का पता लगाएं।
21	Matter has been examined	मामले की जांच कर ली गई है।
22	Matter is under consideration	विषय/मामला विचाराधीन है।
23	Matter is under investigation	विषय/मामला की जांच की जा रही है। मामला अन्वेषणाधीन है।
24	May the proposal be accepted?	क्या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए?
25	May please furnish the requisite information	कृपया अपेक्षित/वांछित सूचना दें।
26	Please discuss/see with paper	कृपया काग़ज़-पत्रों के साथ चर्चा कीजिए/मिलें।
27	Please put up papers early	कृपया काग़ज़ शीघ्र प्रस्तुत करें।
28	Please reconcile the discrepancy in the entries	कृपया प्रविष्टियों का अंतर ठीक कीजिए।
29	Please see overleaf	कृपया दूसरे पृष्ठ पर, (पृष्ठ के) दूसरी ओर देखें।
30	Please speak	कृपया बात करें/बात कीजिए।
31	Please submit papers without further delay	कृपया और विलंब न करते हुए काग़ज़ प्रस्तुत करें।
32	Please treat this as most urgent	कृपया इसे परम आवश्यक समझें।
33	Proposal lacks justification	प्रस्ताव में औचित्य की कमी है।
34	Sanctioned	स्वीकृत/मंजूर ।
35	Sanctioned as special case	विशेष मामले के रूप में मंजूर किया गया।

'हिंदी नारा' तथा 'हिंदी में कार्यालयीन कामकाज की गति बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट सुझाव' प्रतियोगिता के महत्वपूर्ण प्रतिभागी और उनका योगदान

क्र.सं	अधिकारी का नाम/ पदनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	भाषा वर्ग	हिंदी नारा	सुझाव
1	टी. शंकर, विशेष निदेशक	हिंदीतर भाषी	भाषाएं अनेक, हिंदी से एक।	जितनी हिंदी जानते हैं, उतनी हिंदी का उपयोग करने से शुरुआत करें, और धीरे-धीरे अपनी भाषा दक्षता बढ़ाएं। कठिन या अत्यधिक साहित्यिक शब्दों की जगह सरल, रोजमर्रा की हिंदी का प्रयोग करने का सुझाव है ताकि संवाद सहज और प्रभावी हो सके। सीखने की प्रक्रिया को सरल और निरंतर बनाए।
2	विनय कौशल, अपर निदेशक	हिंदी भाषी	हिंदी-हृदय से बहे, मन की बात कहे।	कार्यालय के लिए सरल भाषा चुनें।
3	अनूप सिंह रौथान, संयुक्त निदेशक	हिंदी भाषी	देश का गौरव, देश की भाषा, आजादी से अमृतकाल की भाषा।	एआई वाले एमएस-ऑफिस (MS-OFFICE) के सॉफ्टवेयर खरीदे जाने चाहिए ताकि मूल काम करते समय किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में जाना न पड़े।
4	जितेंद्र कुमार गोगिया, संयुक्त निदेशक	हिंदी भाषी	भाषाएं अनेक, हिंदी एक, राज्य अनेक, देश अपना एक।	ई-ऑफिस में नोट पर नाम अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी आए।
5	अंकित गहलौत, उप निदेशक	हिंदी भाषी	हिंदी बोले देश, जुड़े हर प्रदेश।	डिजिटल सिग्नेचर हिंदी में भी होना चाहिए, भाषाई प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक है।
6	सुमित गोयल, उप निदेशक	हिंदी भाषी	हिंदी की शान, हिंदी का मान, हिंदी भाषा सबसे महान।	कार्यालयों में हिंदी साहित्यकारों की पंक्तियां चिह्नित की जाएं।
7	नरेश गुप्ता, उप निदेशक	हिंदी भाषी	हिंदी हमारी ताकत है, देश की विरासत है।	हिंदी को ईमेल में भी इस्तेमाल करना चाहिए।
8	रितेश कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक	हिंदी भाषी	भ्रष्टाचार पर ईडी का कड़ा प्रहार, जिससे हमारे देश का हो रहा उद्धार।	जो भी कर्मचारी या अधिकारी हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करते हैं या कहीं से भी पुरस्कृत होते है उसका उल्लेख उनके अपार (APAR) में भी किया जाना चाहिए।
9	रचना छोकर, उप निदेशक	हिंदी भाषी		प्रवर्तन निदेशालय में उपयुक्त होने वाली तकनीकी शब्दावली वर्ड फॉर्मेट में सभी अधिकारी/कर्मचारी को परिचालित की जानी चाहिए।
10	धनश्री पाटील, उप निदेशक	हिंदीतर भाषी	निज-भाषा का सम्मान ही बढ़ाएगा देश का सम्मान।	

11	प्रणब दुबे, उप निदेशक	हिंदी भाषी	राजभाषा हिंदी, गौरव की पहचान, जिसके हर शब्द में बसता है, भारत का सम्मान।	सूचना पटल पर “आज का शब्द” प्रतिदिन लिखा जाए।
12	शैलेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक	हिंदी भाषी	हिंदी जन की भाषा है, भारत की अभिलाषा है।	अंग्रेजी में प्राप्त ईमेल भी हिंदी में अनुवाद का विकल्प हो।
13	राहुल वर्मा, सहायक निदेशक	हिंदी भाषी	सबसे प्यारी है हमारी भाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा।	हिंदी में हस्ताक्षर को बढ़ावा देना चाहिए।
14	श्रीराम मीना, सहायक निदेशक	हिंदी भाषी	हिंदी है संवाद की शक्ति, आत्मा हिंदुस्तान की जिसमें बसती।	ई-ऑफिस और ईमेल में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
15	गौरव डबास, सहायक निदेशक	हिंदी भाषी	हिंदी हमारे सम्मान और गौरव की भाषा है।	
16	प्रवीण के. एस., सहायक निदेशक	हिंदी भाषी	लालच की गहराइयों में गिरकर अपनी आत्मा को खो न बैठना।	

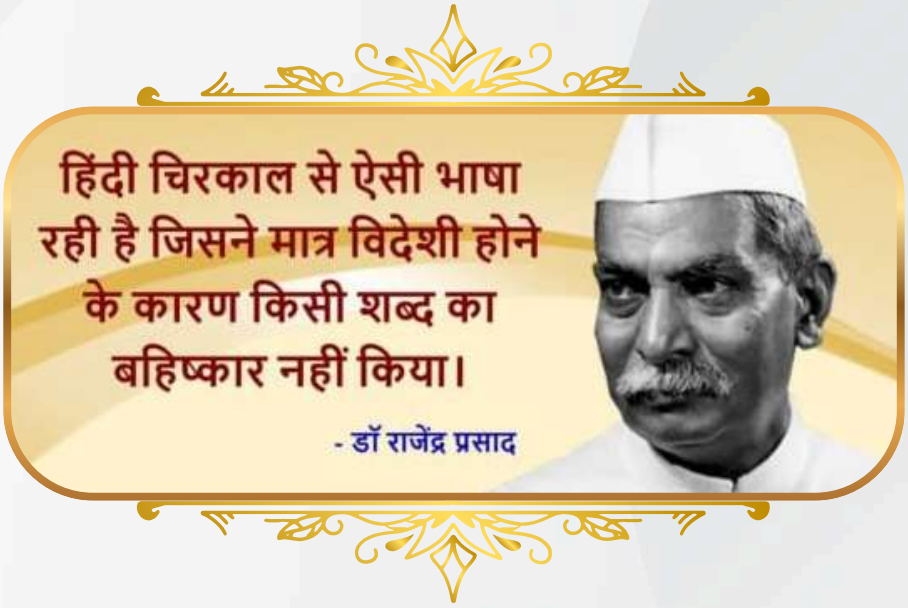

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी पखवाड़ा, 2025 के दौरान आयोजित हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता का प्रश्न पत्र उत्तर सहित (नमूना)

अंक – 100 **हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता- 2025** **समय- 1.30 घंटा**

1. केवल अंग्रेजी-हिंदी का सही मेल करें ।

1	Adjudication Order	आयकर विभाग	8
2	Penalty realisation	अग्रिम	
3	Income	अधिसूचना	
4	Money Laundering	अंतरिम आदेश	
5	Revenue	संपत्ति दोहन	
6	Executive Officer	रंगदारी वसूली	
7	Pay Commission	अन्वेषण	14
8	Income Tax Department	न्यायनिर्णयन आदेश	1
9	Certificate	बकाया	
10	Advance	राजस्व	5
11	Confidential	कार्यपालक अधिकारी	6
12	Casual Leave	सूचना	
13	Notification	कर	
14	Investigation	अर्जित छुट्टी	
15	Inspection	उच्च अधिकारी	
16		आय	3
17		धन शोधन	4
18		निरीक्षण	15
19		गोपनीय	11
20		शास्ति वसूली	2

2.अंग्रेजी का समतुल्य हिंदी लिखें । (कोई दस) अंक-20

I.	May be treated as urgent	इसे अतिआवश्यक माना जा सकता है।
II.	Put up for information please	सूचना के लिए प्रस्तुत है।
III.	Do the needful	आवश्यक कार्य करें।
IV	Approved as proposed	यथाप्रस्तावित अनुमोदित
V	Action may be taken as proposed	प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जा सकती है।
Vi	Submitted for orders please	कृपया आदेश के लिए प्रस्तुत।/कृपया आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।
VII	As for as possible	जहां तक संभव हो/यथासंभव
VIII.	Call for explanation	स्पष्टीकरण तलब किया जाए/मांगी जाए।
IX	Reminder may be sent	अनुस्मारक भेजा जा सकता है।
X	Draft is put up for approval please	कृपया मसौदा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
XI	Order may be issued	आदेश जारी कर सकते हैं।/आदेश जारी किया जा सकता है।

3) सटीक कार्यालयी व्यवहार में प्रयुक्त हिंदी में वाक्य बनाएं । (कोई दस) अंक-10

1)	Compliance	अनुपालन	कार्यालय में पारित आदेशों का **अनुपालन** करें।
2)	Dismiss	बर्खास्त	कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी को **बरख़ास्त** किया गया।
3)	Enquiry Committee	जांच समिति	भर्ती घोटाला मामले की निष्पक्षता से जांच के लिए **जांच समिति** का गठन किया गया।
4)	Manual	मैनुअल	किसी विषय की कार्य-प्रणाली/प्रक्रिया से संबंधित सरल व्याख्या / मार्गदर्शी साहित्य को **मैनुअल** कहा जाता है।
5)	Subject	विषय	कार्यालय में पदस्थ कार्मिकों को इस **विषय** में कोई जानकारी/सत्यापन नहीं मिला।
6)	Clarification	स्पष्टीकरण	कृपया इस विषय में **स्पष्टीकरण** लिखित में स्वीकार करने की कृपा करें।
7)	Certificate	प्रमाण पत्र	प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद सभी प्रशिक्षित कार्मिकों को **प्रमाणपत्र** वितरित किए गए।
8)	Confiscation	जब्ती	अपराध के आगम की **जब्ती** की जाती है।
9)	Liquidator	समापक	शास्ति वसूली के लिए **समापक** को पत्र भेजा जा सकता है।

10)	Act	अधिनियम	कार्यशाला में राजभाषा **अधिनियम** की जानकारी सभी अधिकारियों को दी गई।
11)	Notification	अधिसूचना	भर्ती नियमों की **अधिसूचना** हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है।
12)	Administration	प्रशासन	**प्रशासन** अनुभाग में 30 अधिकारी कार्यरत हैं।
13)	Payment	भुगतान	वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में आयकर राशि का **भुगतान** करना अनिवार्य है।
14)	Suspend	निलंबन	भ्रष्टाचार के मामले में दो अधिकारियों को **निलंबित** किया गया।
15)	Memorandum	ज्ञापन	खेल दिवस पर प्राप्त **ज्ञापन** अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।
16)	Joining Report	कार्य ग्रहण रिपोर्ट/ जॉयनिंग रिपोर्ट	अर्जित छुट्टी की समाप्ति के पश्चात **जॉयनिंग रिपोर्ट** सबमिट की जाती है।
17)	Office-hour	कार्य-अवधि	**कार्य-अवधि** 8.30 घंटे की होती है।
18)	Draft	मसौदा	**मसौदा** अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
19)	Appeal	अपील	फेमा के मामलों में **अपील** करने का प्रावधान है।
20)	Signature	हस्ताक्षर	इस दस्तावेज में राजपत्रित अधिकारी के **हस्ताक्षर** अनिवार्य है।
21)	Contingent Bill	आकस्मिक खर्च बिल	कुछ **आकस्मिक खर्च बिलों** का भुगतान लंबित है।

4) (क) आप प्रत्येक महीने 3000 रुपये आयकर कटवाना चाहते हैं, इस विषय पर सक्षम प्राधिकारी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखें एवं तथा फाईल में उपयुक्त मौसदा सहित प्रस्तुत करें। अंक-30

या

(ख) धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत किसी भी बैंक धोखाधड़ी या साइबर अपराध के मामले में चलाई गई तलाशी अभियान का एक प्रेस विज्ञप्ति लिखें।

या

(ग) साइबर अपराध की रोकथाम के कुछ प्रभावी उपायों का जिक्र करते हुए एक मामले पर रिपोर्ट/लेख लिखें।

या

(घ) 'संपत्तियों का प्रत्याहरण और ईडी का अभियान' विषय पर 150 शब्दों की समीक्षा लिखें।

उत्तर: (क)

पत्र

सेवा में,

उप निदेशक (प्रशासन),
प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली।

विषय : प्रति माह आयकर कटौती के संबंध में।

सविनय निवेदन है कि, मैं आपके कार्यालय में सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा निवेदन है कि मैं प्रत्येक माह में अपने वेतन से 3000/- रुपये आयकर के रूप में कटौती करवाना चाहती हूँ।
अतः आपसे से निवेदन है कि प्रत्येक माह मेरे वेतन से 3000/- रुपये आयकर के रूप मे कटौती करने की कृपा करें।

भवदीया,
(XXXXX),
सहायक

मसौदा :

फा.सं. ----------

कृपया प्रस्तुत आवती का अवलोकन करें जिसके माध्यम से अपने कार्यालय में कार्यरत xxxxx, सहायक ने अपने वेतन से प्रति माह 3000/- रुपये आयकर के रूप में कटौती करने का अनुरोध किया है।

अतः इस संबंध में मसौदा अवलोकन/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

ह०/-
(YYYYY)
सहायक

5) रोमन में लिखें । अंक-10

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति प्रकाशित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररुप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

उत्तर: Kendriya Sarkar ke karyalayon se sambandhit sabhi manual, sahintaayein aur prakriya sambandhi anya sahitya, Hindi aur Angrezi mein dvibhashik roop mein yathasthiti prakashit kiya jaayega. Kendriya Sarkar ke kisi karyalya mein prayog kiye jaane wale ragisteron ke praroop aur sheershak Hindi aur Angreji mein honge. Parantu yadi kendriya Sarkar aisa karna aavashayak samajhti hai to vah, saamaanya ya vishesh aadesh dvara, kendriya Sarkar ke kisi karyalya ko is niyam ke sabhi ya kinhi upbandhon se chhoot de sakti hai.

6. हिंदी में पूर्ण नाम लिखें- (कोई दस)

1)	FEOA	Fugitive Economic Offenders Act	भगोड़ा आर्थिक अपराधी आधिनियम
2)	PMLA	Prevention of Money Laundering Act	धन शोधन निवारण अधिनियम
3)	BSA	Bharatiya Sakshya Adhiniyam	भारतीय साक्ष्य अधिनियम
4)	ATFE	Appellate Tribunal for Foreign Exchange	विदेशी मुद्रा का अपील-अधिकरण
5)	FIU	Financial Intelligence Unit	वित्तीय आसूचना एकक/यूनिट
6)	FERA	Foreign Exchange Regulation Act	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम(फेरा)
7)	HIU	Head Quarters Intelligence Unit	मुख्यालय आसूचना एकक /यूनिट
8)	BNNS	Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
9)	PAN	Permanent Account Number	स्थायी खाता संख्या/पैन नंबर
10)	APR	Annual Performance Report	वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट
11)	GEM	Government E-marketplace	जीईएम, या गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
12)	STF	Special Task Force	विशेष कार्यदल

राजभाषा हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के कुछ उपयोगी टूल्स

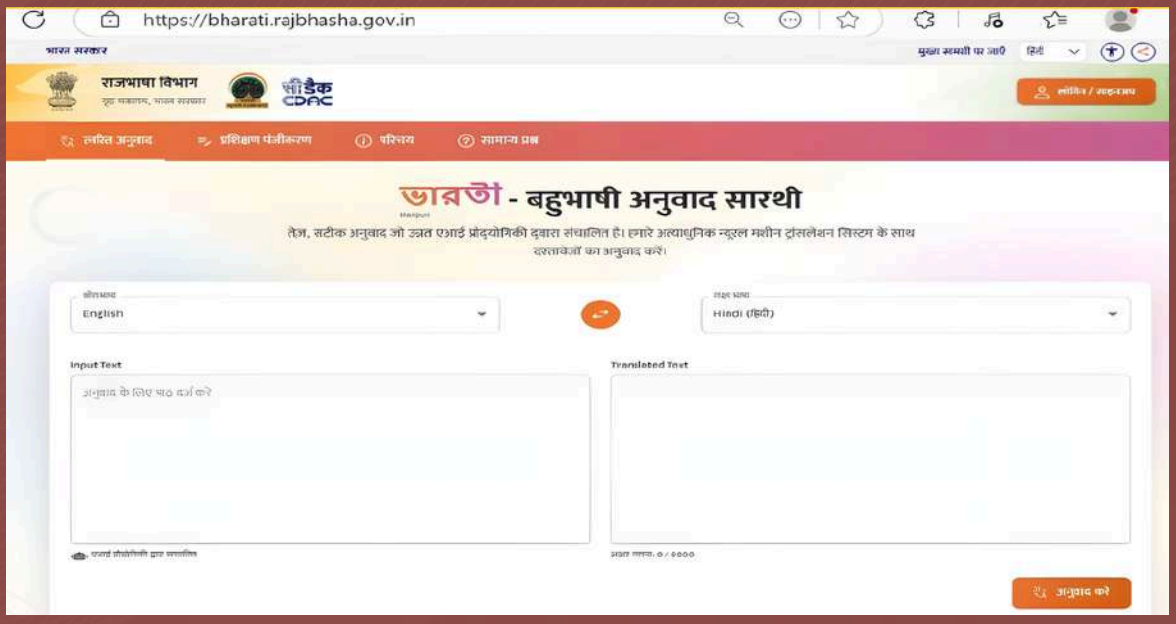

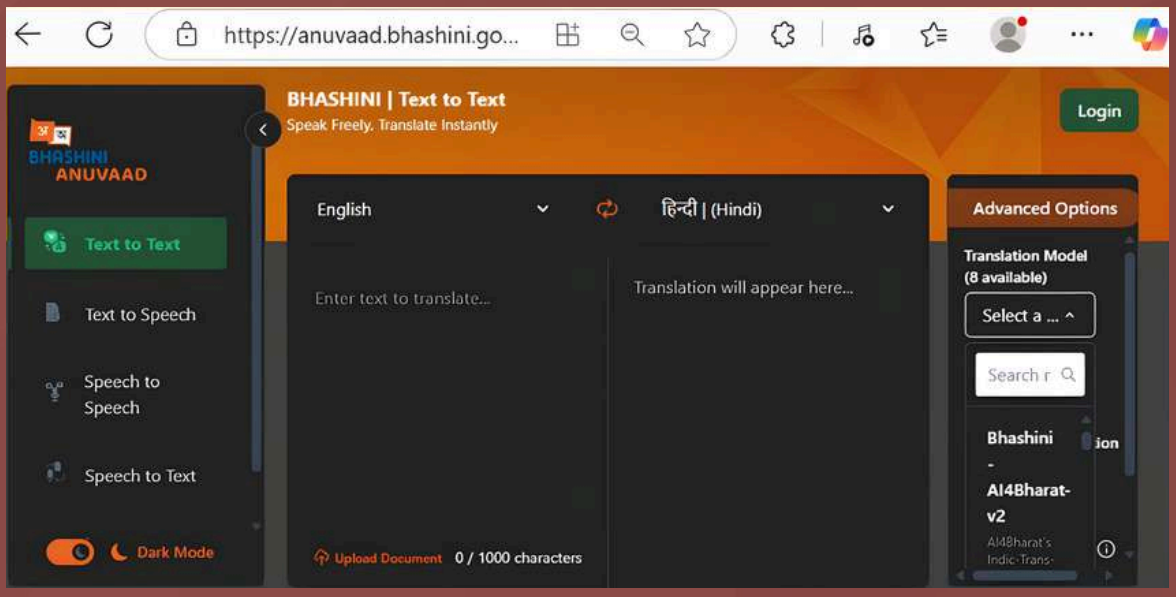

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय की हिंदी गृह पत्रिका